खण्ड-397, अंक-10
बृहस्पतिवार, 21 आषाढ़, शक संवत् 1912
(12 जुलाई, 1990 ई0)

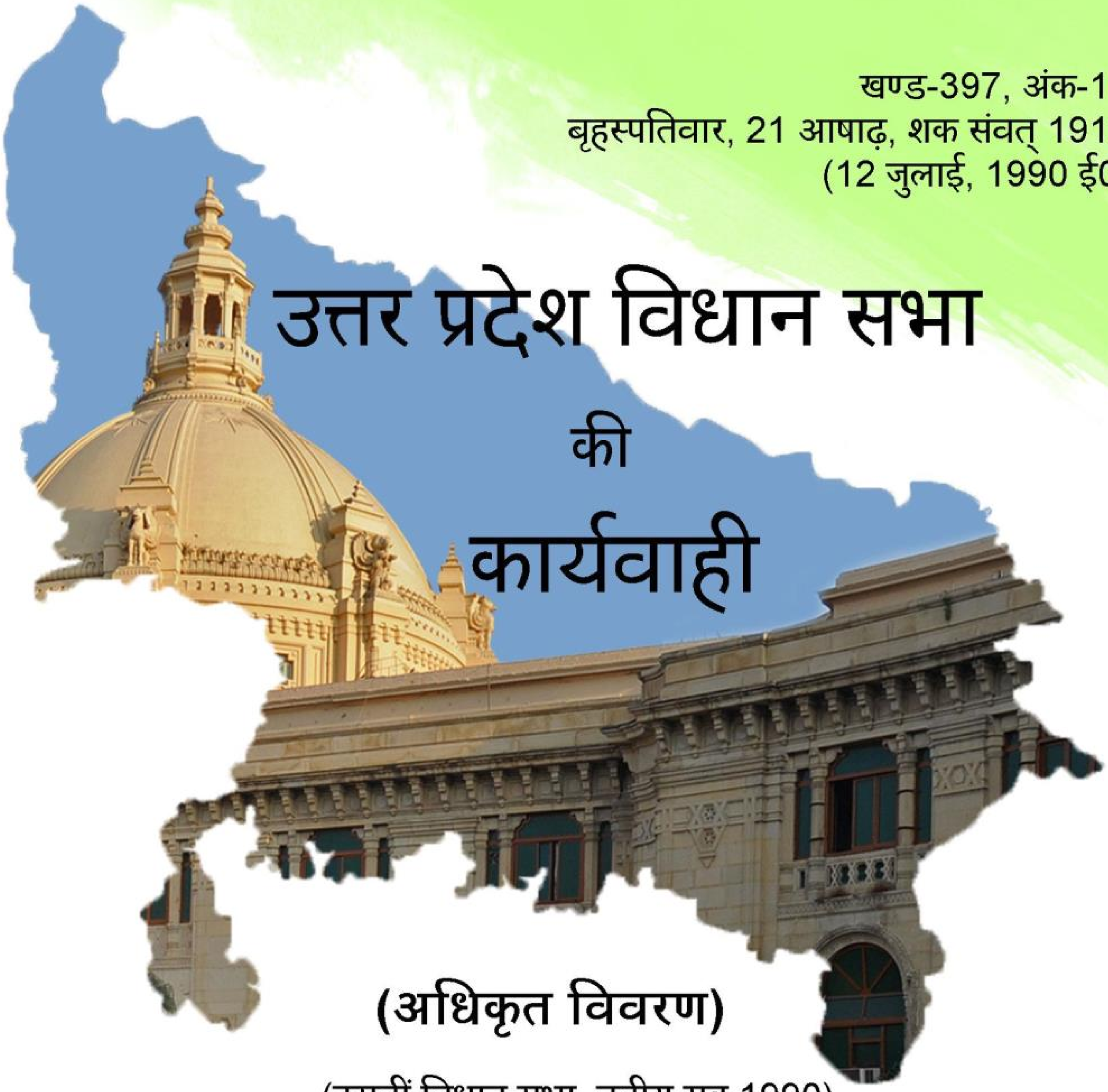

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 397 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–घ
प्रश्नोत्तर	1–59
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	59–62
नियम 301 की सूचनायें	62
जनपद बलिया के परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) द्वारा की गयी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद बाराबंकी के राजकीय कन्या इण्टर कालेज में हर कक्षा में नये सेक्शन खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62–63
जनपद बदायूं के ग्राम बितरोई में मूंगफली का तेल निकालने हेतु फैक्ट्री में वनस्पति घी उत्पादन हेतु अनुमति दिए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद फैजाबाद के जलालपुर मार्गों पर हुए जल भराव की समस्या को दूर करने एवं मार्गों को सुधारने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63–64
जनपद बुलन्द शहर के ग्राम भवई के माण्डू आश्रम घाट में घाटों एवं विद्युत् शव गृह का निर्माण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम मिचिड़, मीरपुर, गौरा आदि ग्रामों में भूमिहीनों को भूमि आवंटन में धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
वाराणसी शहर में सड़क यातायात में अवरोध की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	64
विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं की जानकारी	65
आजमगढ़ को नया मण्डल बनाये जाने विषयक नियम 103 की चर्चा में उत्तर भाषण का अवसर न दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	66
दिनांक 6 मार्च, 1990 की नियम 301 की सूचना का उत्तर न मिलने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	66
जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 1990 को उपवेशन होने के बावजूद आर0ई0एस0 समिति की बैठक बुलाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न	67
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	67–68
कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	68–75
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग (स्वीकृत)	75–92
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–18	92–117

विषय	पृष्ठ संख्या
कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) (स्वीकृत)	
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या–38	
नागरिक उड्डयन विभाग (स्वीकृत)	117
वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या––41	
निर्वाचन विभाग (स्वीकृत)	117–118
आजमगढ़ में त्वरित विकास के लिए विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (अस्वीकृत)	118–121
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	
जनपद बस्ती के थाना मुण्डेरवा में दिनांक 26 जून, 1990 को पुलिस द्वारा पकड़े गये श्रीअनिल कुमार सिंह की पुलिस लाक अप में हुई मृत्यु के संबंध में वक्तव्य	121–123
स्याना नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बुलन्दशहर) का निर्माण नागरिकों द्वारा दान की हुई निःशुल्क भूमि पर न कराकर पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	123–127
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गए करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा	127–130
गत्थी	131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 1990 ई0

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन, श्री	गोण्डा	मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
		यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर	यशवंत, श्री	आजमगढ़
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	राजधारी, श्री	बलिया
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई	राजा मो0 अमीर मो0 खां, श्री	सीतापुर
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल	राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार	राम औतार मिश्र, श्री	शाहजहांपुर
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
गोवर्धन सिंह, श्री	एटा	रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
जफर अली नकवी, श्री	खीरी	राम शरन, श्री	सहारनपुर
तेजपाल, श्री	बिजनौर	राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
धर्मपाल, श्री	बहराइच	रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल	रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
निरवेन्द्र कुमार, श्री	खीरी	वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री	कानपुर
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर	वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
प्रवीण सिंह ऐरन, श्री	बरेली	शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर		
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर	सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री	उन्नाव
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा	सत्य प्रकाश सोनकर, श्री	वाराणसी
मुहम्मद सईद "भ्रमर", श्री	सिद्धार्थनगर	सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर	सियाराम सागर, डा0	बरेली
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर	सुबास, श्री	मऊ

सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर	हरेन्द्र सिंह मलिक, श्री	मुजफ्फरनगर
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली	हाजी मो0 वसीम, श्री	रायबरेली

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 12 जुलाई, 1990 ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के जिलापूर्ति कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा राशन की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करने में धांधली की जांच ।

**1—श्री किशन गोपाल—क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जिला पूर्ति कार्यालयों में अधिकारियों द्वारा राशन की दुकानों से 500 रुपये माहवारी तथा दुकानदारों के लाइसेन्स रिन्यू करने हेतु 500 रुपये लिये जाने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1990 व 30 अप्रैल, 1990 को पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो इस वसूली को रोकने के लिये तथा अधिकारियों के विरुद्ध गुप्तचर विभाग द्वारा जांच कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

जी नहीं ।

माननीय श्री किशन गोपाल विधायक, आगरा का पत्र दिनांक 18 मार्च, 1990 तथा पत्र दिनांक 30 अप्रैल, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है । उक्त दोनों पत्र मात्र जनपद आगरा से सम्बन्धित हैं, उक्त पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच करायी जा रही है ।

श्री किशन गोपाल—

मान्यवर, आगरा का तो मैंने केवल एक उदाहरण मात्र दिया है, पूरे प्रदेश में यही हो रहा है । माननीय मंत्री जी क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस सम्बन्ध में जो तथ्य उनके सामने आये हैं, उनके आधार पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही अब तक की गई है ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जांच कराई जा रही है और यदि कोई दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी । माननीय सदस्य का पत्र आगरा के बारे में दिया गया है उसकी मैं जांच करा रहा हूं ।

डा0 दिनेश जौहरी—

मान्यवर, यह सब को विदित है कि प्रदेश भर में जितनी भी राशन की दुकानें हैं उनसे नीचे के कर्मचारियों से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक 500 रुपया माहवार राशन की दुकान वालों से लिया जाता है । इस गड़बड़ी को रोकने के लिये माननीय मंत्री जी कौन सा प्रयास कर रहे हैं ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैंने इसके पहले ही सदन में माननीय सदस्यों को बताया है कि इस बात का भरसक प्रयास किया जा रहा है कि राशन के दुकानदारों को अपना सामान प्राप्त करने में कोई दिक्कत न हो और उनका सामान समय से मिले । साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं को भी राशन की दुकानों से सामान मिलने में कोई दिक्कत न हो । इस सबके लिये, नियमों में परिवर्तन किया गया है, और किया भी जा रहा है । अपने विभाग का बजट प्रस्तुत करते समय मैंने यह भी बताया था कि अब भुगतान बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है और पे स्लिप के माध्यम से किया जा रहा है । तथा रिलीज आर्डर की प्रथा की समाप्त किया जा रहा है और अन्य प्रक्रियाओं को भी सरल किया जा रहा है । दुकानदारों को अपना सामान प्राप्त करने में आसानी हो और उन्हें प्रताड़ित न किया जा सके

तथा उपभोक्ताओं को भी अपना सामान राशन की दुकान से बिना परेशानी के मिल सके यह सब व्यवस्थायें की जा रही हैं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मान्यवर, इन राशन की दुकानों की स्थिति यह है कि जब भी उपभोक्ता सामान लेने के लिये जाता है तो राशन की दुकान प्रायः बन्द रहती है और एक सूचना टंगी मिलती है जिस पर लिखा रहता है कि माल लेने गये हैं । नीचे के अधिकारियों से लेकर सप्लाई इन्सपेक्टर आदि तक 500 रुपया बंधा हुआ है जो हर राशन की दुकान वालों को देना पड़ता है । इन सब गड़बड़ियों के कारण आज उपभोक्ता परेशान हैं....

मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जितनी दुकानें पूरे प्रदेश में हैं उनके लिये कोई ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन्, माननीय विधायक इलाहाबाद ने जो प्रश्न किया उसमें दो बिन्दु आये हैं और दोनों में विरोधाभास है । एक तरफ तो वे कहते हैं कि दुकानदार उपभोक्ताओं को परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि दुकानें नहीं खुल रही हैं । जहां तक दुकानों के खोलने की बात है, मैं बताना चाहूंगा कि शहरों में दुकानें खोलने का समय अब निश्चित कर दिया गया है और वह है 12 बजे से 7 बजे तक जाड़ों में और 1 बजे से 8 बजे तक गर्मियों में । यह इसलिये किया गया है ताकि दुकानदार को जो भी सामान उठाना हो, प्राप्त करना हो या पैसा जमा करना हो तो वह पूर्वाह्न में अपना काम कर लें और 1 बजे बाद गर्मियों में और 12 बजे के बाद सर्दियों में दुकानें खुली रहें । जहां दुकानें नहीं खुलती हैं उसकी जांच की कार्यवाही की जा रही है । इसके अतिरिक्त मान्यवर, माननीय सदस्य यदि कोई विशेष दुकान बता दें कि फला दुकान नहीं खुल रही है तो उसकी जांच करा ली जायेगी ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि प्रश्नकर्ता की मंशा दुकानदार को परेशान किये जाने के विरोध में कार्यवाही किये जाने की है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि अभी माननीय सदस्य इलाहाबाद ने कहा बहुत से फर्जी राशन कार्ड बने हुये हैं । कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकानदारों के फर्जी राशन कार्ड की जांच होती हो और उसके बाद अधिकारियों के साथ आक्रोश पैदा हुआ हो और उसका रूप बदल देते हों ? तो क्या मंत्री जी इसको भी दिखायेंगे कि जिन दुकानदारों के खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी या नहीं की जायेगी ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन्, जैसा कि माननीय सदस्य त्रिपाठी जी ने पूछा है, ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर भी हम कार्यवाही कर रहे हैं । श्रीमन्, इसलिये जब कोई शिकायत आती है तो उसके साथ ही साथ इस रूप में भी उसे देखना पड़ता है कि वास्तव में परेशान किया जा रहा है । या गलत ढंग से अधिकारी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं । इसकी जांच हो रही है और जैसा कि आपने कहा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से आदेश दिये जा रहे हैं सभी जगहों पर, और इस दृष्टि से हम पहले शहरों को ले रहे हैं, एरिया वाइज हम कोशिश कर रहे हैं । जो फर्जी राशन कार्ड हैं उनकी चैकिंग करायी जायेगी । दुकानें निश्चित समय से खुल रही हैं या नहीं और जो सामान रखने का प्राविधान किया गया वह मौजूद रहता है या नहीं । इसकी जांच अगस्त से कलेण्डर के रूप में हम करने जा रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश विकल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, प्रश्न की मूल भावना तो यही है कि जो जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय हैं वह जगह-जगह पर दुकानदारों से माहवारी पैसा लेते हैं और भी कई

बातें हैं जैसे फर्जी यूनिट की बात है, पैसा लेने की है, दुकान न खुलने की है । मेरा प्रश्न यह है कि इन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने और इन पर नियंत्रण रखने के लिये जिस प्रकार जिला खाद्य परामर्शदात्री समितियां जिनमें विधायक भी हुआ करते थे और जो गठित होने के बाद इन सब चीजों को देखा भी करती थीं, मासिक बैठक हुआ करती थी, क्या इस प्रकार की समितियां गठित हैं ? यदि नहीं बनी हैं तो क्या आप उनको गठित करेंगे ताकि यह सारी व्यवस्था ठीक हो सके ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

श्रीमन, ऐसी समितियां इस समय गठित नहीं हैं किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि यह विषय निश्चित रूप से विचाराधीन है और सदन के इस सत्र के समाप्त होने के बाद हम कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे ।

श्री किशन गोपाल--

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि, 500 रुपया रिन्यूवल फीस ले रहे हैं और 5 सौ रुपया प्रतिमाह यह कह कर ले रहे हैं कि [×××] के लिये यह व्यवस्था है । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो इस प्रकार पैसा लिया गया है [×××] यह खुले रूप से कह कर लिया जाता है तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह मंत्रियों के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री किशन गोपाल--

मैं भी इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं यह बात कही जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

यह तो मुझे नहीं मालूम कि विभागीय मंत्रियों को जा रहा है या विभागीय अधिकारियों को या क्षेत्रीय सदस्यों को जा रहा है । इसकी मुझे जानकारी नहीं है । लेकिन यह जरूर जानकारी है कि माननीय सदस्य ने जो पत्र लिखा माननीय मुख्य मंत्री जी को, खाद्य सचिव को उसमें केवल आगरा के बारे में जो भी सूचना मेरे पास उपलब्ध है वह आगरा के बारे में है और उसका उत्तर हमने दिया है अब जो विधान सभा में प्रश्न किया है उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में है तो इससे तो माननीय सदस्य ने सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है ।

श्री किशन गोपाल--

यह पूरे प्रदेश का मामला है सभी माननीय सदस्य जानते हैं और सहमत हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब मैं इजाजत नहीं देता हूं आप ऐसी अनावश्यक बात करते हैं ।

प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने की योजना

**2--श्री राज किशोर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

नोट--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सिंचाई एवं लघु उद्योग मंत्री (श्री रेवती रमण सिंह)--

भारत सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन किया गया है तथा मानक निर्धारित किये गये हैं । इन मानकों के अनुरूप कार्यवाही किये जाने के निर्देश सम्बन्धित विभागों को दे दिये गये हैं ।

श्री राज किशोर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत संक्षेप में उत्तर दे दिया । और जो प्रश्न पूछा गया है उसकी भावना को गोलमोल कर दिया है । ध्वनि प्रदूषण से आजकल बड़े नगरों में खासकर जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं उनको बहुत ही परेशानी हो रही है । इसलिये मैंने पूछा था कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो भारत सरकार का ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) कानून बना है उसके क्या मानक हैं, संशोधन जो हुआ है, उसके प्रमुख बिन्दु क्या हैं जो ध्वनि प्रदूषण से सम्बन्धित हैं ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो मानक बनाये गये हैं वह भारत सरकार द्वारा बनाये गये हैं जो इस प्रकार हैं:-

	डेसीबल दिवस समय	डेसीबल रात्रि समय
औद्योगिक क्षेत्र	75	70
व्यावसायिक क्षेत्र	65	55
आवासीय क्षेत्र	55	45
शांत क्षेत्र	50	40

मान्यवर, यह टेक्निकल बातें हैं । यह सही है कि पूरे प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण गम्भीर समस्या बन गयी है । जिससे हर व्यक्ति परेशान है । सरकार की मंशा है कि यह ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये कारगर कदम उठाये जायं । वैसे भारत सरकार इसके लिये बिल पास करके ऐक्ट बना रही है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं लेकिन हम उसके पहले भी जो अधिनियम में प्राविधान है उसको किसी तरह लागू करके इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ध्वनि प्रदूषण जो लाउड स्पीकरों या मशीनों द्वारा या और किसी रूप में हो उसको तत्काल कैसे प्रभावी ढंग से रोक सकते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 6 महीनों में उधर सरकार में जो भ्रष्टाचार का प्रदूषण फैला है उसको कैसे दूर करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो प्रदूषण प्रमोद कुमार तिवारी की सरकार ने फैलाया था उसको पूरी तरह से यह सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है और दूर करेगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह--

मान्यवर, कल मंत्री जी ने अच्छा भाषण दिया था कि हमारे देश और प्रदेश में धर्म और मजहब को मानने वाले पहले मजबूत थे और मन्दिर और मस्जिद पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन इधर इन चीजों का प्रयोग हो रहा है जिससे साम्प्रदायिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन धार्मिक स्थानों पर लाउड स्पीकर का प्रयोग हटा दिया जाये ?

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, कल भी मैंने कहा था कि इस मामले में मैं सदन के सहयोग की अपेक्षा करता हूं, यदि सदन का सहयोग रहेगा तो इसमें सरकार क्या कार्यवाही कर सकती है विचार कर रही है और अगले दिनों में हल निकालेंगे कि यह जो धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकरों का सुबह से रात तक प्रयोग अहिनिश और 24 से 48 घंटों तक होता रहता है, उसको कैसे रोका जाये, इस पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह--

मान्यवर, उत्तर में बताया गया कि भारत सरकार प्रभावी कार्यवाही इस सम्बन्ध में कर रही है और नियम बना रही है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इस सम्बन्ध में अपनी कुछ संस्तुतियां भारत सरकार को भेजेगी और जेलों में जो लाउडस्पीकर्स प्रयोग किये जाते हैं उसको समाप्त करने की संस्तुति करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सम्यक् रूप से सभी पहलुओं पर विचार करके, भारत सरकार को शासन अपनी संस्तुति भेजेगा ।

शेख मोहम्मद सुलेमान--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बड़े-बड़े महानगरों जैसे लखनऊ, कानपुर आदि में जो थ्रीह्वीलर टैम्पों चलते रहते हैं और काफी शोर और धुंवा छोड़ते रहते हैं, क्या सरकार ऐसी टेक्नालोजी लायेगी जिससे इनकी आवाज को कम किया जा सके ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न आप स्पष्ट करें ?

शेख मोहम्मद सुलेमान--

माननीय उपाध्यक्ष जी के माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों, खासकर लखनऊ के अन्दर इन थ्री व्हीलर्स के चलने के कारण जो तोप की तरह छूटते रहते हैं बड़ा प्रदूषण होता है तो क्या उसकी आवाज को कम करने के लिए और प्रदूषण रोकने के लिए वह कोई नई टेक्नोलाजी लायेंगे ? क्या कोई ऐसी प्लानिंग आपके पास है ?

श्री उपाध्यक्ष --

आपके पास सूचना उपलब्ध हो तो बता दीजिए ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, जो लखनऊ में थ्री व्हीलर्स टैम्पो से प्रदूषण होता है, उसके बारे में माननीय सुलेमान जी ने जो सवाल पूछा है, उस पर इस वक्त सरकार बड़ी गम्भीरता से कार्यवाही कर रही है, और पर्यावरण नियन्त्रण ऐक्ट के तहत परिवहन निगम को ही यह काम सौंपा गया है कि जो भी गाड़ियां इस तरह का धुंआ निकालती हैं और प्रदूषण करती हैं, उनके खिलाफ चालान किया जाय । भारत सरकार के मानक के अनुसार पहले बार एक हजार और दूसरी बार में दो हजार रुपये का चालान करने का प्राविधान है । क्योंकि वह प्रदूषण विभाग के अन्दर में नहीं आते हैं, समय-समय पर पर्यावरण विभाग से बात करके उसको लागू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

(व्यवधान)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों हेतु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना

*1—श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों के पिछड़ेपन को दूर करने एवं ग्रामीण बेरोजगारों को काम देने हेतु ग्रामों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए शासन में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? और कब से लागू हो रही है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के स्थापित करने की एक बृहद् योजना तैयार की गयी है। 8वीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) में खादी ग्रामोद्योग से संबंधित 5 लाख नयी इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन नई इकाईयों के फलस्वरूप 14.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने की योजना है। यह योजना वर्ष 1990–91 से लागू की जा रही है।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिन 5 लाख ग्रामोद्योग इकाइयों की योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में है, उसके द्वितीय वर्ष में कितनी इकाइयां लगाई जाएंगी और उनका आबंटन जिलों में और विभागों में किस प्रकार होगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

5 साल में जो इकाइयां लगाई जाएंगी, उसमें इस साल 74,303 इकाई प्रदेश में लगाई जाएंगी, 1991–92 में 89,028, 1992–93 में 98,749, 1993–94 में 1,12,247, 1994–95 में 1,27,557 लगाई जाएंगी।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

आप प्रत्येक जनपदवार उनका आबंटन बता दीजिए।

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं वैश्य जी से आग्रह करूंगा कि वह थोड़ा धैर्य रखें मैं बैठ नहीं रहा हूं। मान्यवर, इसका आवंटन कोई निश्चित नहीं किया गया है कि हर जिले में कितनी इकाई लगेंगी। जितने उद्यमी आते हैं, जितने प्रार्थना पत्र हमें प्राप्त होते हैं, उस पर यह निर्णय लिया जाएगा, ऐसे कैसे अभी से बता दिया जाए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अपने उत्तर में उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा यह इकाइयां लगायी जायेंगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग की जितनी भी इकाइयां चल रही हैं वह कागज पर चल रही हैं। मंत्री जी यदि उचित समझें तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज की जांच करवा लें। इतनी छोटी योजनाओं पर इतना सारा धन लग रहा है। खादी ग्रामोद्योग की यह स्थिति है कि 5 प्रतिशत इकाइयां काम कर रही हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—

ओझा जी आप प्रश्न करिये भाषण मत दीजिये ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं । मान्यवर, यह इकाइयां विश्वसनीय नहीं हैं । तो सरकार क्या यह व्यवस्था करेगी कि सही मायने में सरकारी पैसा सरकारी योजनाओं के अनुरूप खर्च हो सके ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि माननीय सदस्य गोरखपुर, श्री ओझा. . .

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय मंत्री जी, कृपया सही कर लें । गोरखपुर नहीं है बल्कि महाराजगंज है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह अभी सिर्फ कागज पर ही है । सब काम गोरखपुर से चल रहे हैं । माननीय सदस्य ओझा जी ने कहा है कि वह सही है कि अभी भी 50 फीसदी तक इकाइयां फर्जी थीं, फर्जी रूप से काम होता था लेकिन मान्यवर, हमने कुछ कदम उठाये हैं । सरकार ने लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, खादी और रेशम का एक अलग सचिव बना दिया है । सरकार द्वारा निर्देश दिये जा रहे हैं कि जिला उद्योग केन्द्रों की जब मीटिंग हो तो उसमें माननीय सदस्यों को भी जरूर आमन्त्रित किया जायेगा । यह कार्यवाही की जायेगी कि ज्यादा से ज्यादा सही लोगों को पैसा मिल सके । ओझा जी, जैसा कि आपने कहा यह सही है कि चार प्रतिशत ब्याज पर अनुदान मिलता है, यह इकाइयां पैसा लेती हैं और दूसरी जगह इस्तेमाल करती हैं । इसके लिए खादी कमीशन को लिखने जा रहे हैं कि यह पैसा जो ग्रान्ट का देते हैं उसके बजाय विपणन के लिए प्रचार, प्रसारण के लिए अधिक पैसा दे दें । अगर मार्केटिंग सही हो सके तो हम उसमें उत्पादन कर सकेंगे उससे फर्जी इकाइयां भी ज्यादा नहीं बन सकेंगी और उन्हें अपना माल बेचने में भी सहूलियत होगी ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर प्रश्न करने के लिए अनुमति मांगने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नहीं है । इस पर और प्रश्न करने की मैं अनुमति नहीं दे सकता हूं । मन्त्री जी ने पहले ही विस्तार से उत्तर दे दिया है, जितने की आवश्यकता नहीं थी । इसलिए अब आप लोग बैठ जायें ।

जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचलों में फैली बीमारियों की रोकथाम

*2—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि क्या जनपद आगरा और फिरोजाबाद के ग्रामीण अंचलों की तहसील बाह और फिरोजाबाद में तेज बुखार, खसरा और उल्टी व दस्त पेचिस जैसी भयानक बीमारियां गत माह मई, 1990 में बड़े पैमाने पर फैलीं जिसके कारण अनेक बच्चों की मौत हुई ? यदि हां, तो उक्त बीमारियों के फैलाव को रोकने हेतु शासन ने क्या कदम उठाये हैं ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जी हां, परन्तु इन बीमारियों से कोई मृत्यु होने की पुष्टि नहीं हुई है ।

प्रश्नगत बीमारियों की रोकथाम के लिये विभाग द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 131 पर)

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि तहसील किरावली में तीन, शमसाबाद में तीन और बाह में सात लोगों की भयानक बीमारियों से मौतें हो चुकी हैं । यह जो मौतें हुई हैं, वह डाक्टरों की लापरवाही और निष्क्रियता के कारण हुई हैं । क्या मंत्री जी उन डाक्टरों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में इस प्रकार की मौतें न हो सकें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अभी अभी जानकारी मिली है कि आगरा और.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप अनिल यादव जी धीरे बात करें । अगर बात न ही करें तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, आगरा में बाह तहसील में यह जानकारी मिली थी कि तीन बालिकाओं की मृत्यु हो गई है । केरावली ब्लाक जो है यहां करीब चार की मौत हुई है । ऐसी खबर आई है । मान्यवर, के0 के0 बख्शी, स्वास्थ्य सचिव को जिलाधिकारी ने बताया कि केरावली में 5-7 मौत की खबर आई है । उन्होंने यह भी बताया कि अतिरिक्त जिलाधिकारी भी वहां मौजूद थे । जहां महामारी फैली थी वहां दो चिकित्सक मौजूद थे उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक तरह से नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और उनके अनुशासनहीनता की कार्यवाही के लिए शासन को लिखा गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, जो संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जिलों पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाते हैं और जो जिला स्तर पर दस्ते बनते हैं उन दस्तों को ग्रामों में भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, भविष्य में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे ।

मि0 ग्रोवर की कम्पनी मेसर्स ग्रोसन्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लि0, लखनऊ से औषधि क्रय की जांच की मांग

*3--श्री शिव करन सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या 1980 से 1983 के दौरान तत्कालीन मुख्य मंत्री ने दवा की आपूर्ति करने वाली कम्पनी ग्रोसन्स के मालिक मि0 ग्रोवर की कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड कर रखा था एवं मि0 ग्रोवर को जेल में बन्दी बनाकर रखा गया था ? क्या सरकार के द्वारा वर्तमान वर्ष में सी0 एम0 एस0 डी0 में उक्त व्यक्ति के माध्यम से करोड़ों रुपये की दवाइयां सप्लाई किए जाने के आदेश दिए गए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने रुपये के आर्डर दिए गए और क्यों ? क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मि0 ग्रोवर की कम्पनी मेसर्स ग्रोसन्स फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था । श्री बी0 पी0 ग्रोवर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सी0 एम0 एस0 डी0 से रु0 81,03,674 की दवाइयां सप्लाई किये जाने के आदेश मेसर्स ग्रोसन्स फार्मास्युटिकल्स, लखनऊ को दिये गये हैं । निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

निजी क्षेत्र से औषधियों का क्रय निविदाओं के माध्यम से किया जाता है। अन्य फर्मों की भांति मेसर्स प्रोसन्स फार्मास्युटिकल्स द्वारा भी कतिपय औषधियों के लिये निविदायें दी गयी थीं। निर्धारित प्रक्रिया तथा परीक्षण के अनुसार ही क्रय आदेश दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवकरन सिंह--

मान्यवर, मामला बहुत गम्भीर है। प्रश्न पूछने से पहले सदन के संज्ञान में यह लाना चाहूंगा और सदन का संरक्षण चाहूंगा कि विशेषाधिकार के हनन की सूचना आपको दी गई है। इस प्रश्न के संबंध में आज सुबह मुझे फोन से धमकी दी गई कि इस प्रश्न के लिए जांच की मांग करोगे तो ऊपर पहुंचा दिए जाओगे।

श्री उपाध्यक्ष --

शिवकरन जी यह अभी न कहें यह आप जीरो आवर में रखिएगा अभी आप प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

श्री शिवकरन सिंह--

मैं फौज का सिपाही हूं मरने की परवाह नहीं करता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न करें। मैंने शून्य प्रहर में कह दिया है कि इसको ले लें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री शिव करन सिंह--

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि प्रोवर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध किया गया था और जेल भेजा गया था इसलिए यह तो साबित हो गया कि वह देशद्रोही हैं। इसके बावजूद भी इनको इतना बड़ा आर्डर दे दिया गया है। क्या इस बात की जांच करायी जायगी कि वह सही क्वालिटी की दवायें और सही दाम पर दवाई सप्लाई कर रहे हैं। क्या इसकी जांच सी0 बी0 आई0 से या विधान सभा के माननीय सदस्यों की एक समिति से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, जरा प्रश्न को स्पष्ट करा दीजिये, किस बात की जांच चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न स्पष्ट कर दीजिये कि किस बात की जांच चाहते हैं।

श्री शिवकरन सिंह--

मान्यवर, उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत बंद किया गया था। वह देशद्रोही हैं। ऐसे व्यक्ति को इतनी बड़ी मात्रा में दवायें सप्लाई करने का आर्डर दिया गया है। (शोर)

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं 2 बातें जानना चाहता हूं । जैसा कि मंत्री जी ने स्वीकार किया कि श्री बी0 पी0 ग्रोवर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में गिरफ्तार किया गया था तो उनको किस बात के लिये बंद किया था यह बताने का कष्ट करें । दूसरी बात यह है कि उनकी एक कंपनी जो ब्लैक लिस्ट नहीं की गयी थी उस कंपनी के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में वर्षवार उनको कितने-कितने रुपये के आर्डर दिये गये हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, एक बात मैं बहुत साफ कर दूं कि ग्रोवर को बचाने की कोई मंशा नहीं है । (शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांत रहें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई बात कहने के पहले माननीय सदस्य अपना आधार बना लें और पूरी बात सुनें नहीं, यह उचित नहीं है। सवाल करें, सवाल का जवाब दिया जायेगा, कोई बात छिपायी नहीं जायगी। आपकी ही सरकार का मामला है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं चैलेंज करता हूं, इस सारे मामले की जांच हाईकोर्ट तक करवा लीजिये ।

(शोर)

श्री शिव करन सिंह--

मान्यवर, देश पहले है, पार्टी बाद में है। इस मामले की जांच हाईकोर्ट तक करवा लीजिये।

श्री रेवती रमण सिंह-- (शोर)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, उन्होंने एक सवाल पूछा, उस सवाल का जवाब माननीय नियोजन मंत्री जी दे रहे हैं, मेरा आग्रह यह है कि उसका जवाब तो कम से कम सुन लें । अब सवाल का जवाब भी नहीं सुन रहे हैं । कृपया जवाब सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

इस पर चर्चा लगा दी गयी है। अब आगे इस पर कोई प्रश्न नहीं होगा।

(घोर व्यवधान)

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जो कि सुनाई नहीं पड़ा)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय अंचल जी, बैठिये। माननीय वर्मा जी, बैठिये। माननीय शिव करन सिंह जी, बैठिये। माननीय विकल जी, बैठिये।

श्री शिव करन सिंह--

मान्यवर, चर्चा का मामला दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष—

एक चर्चा इसमें ग्रोवर के ऊपर पहले ही लग चुकी है।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, यह विन्दु अलग है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इन्हीं ग्रोवर के बारे में नियम 49 में चर्चा लगी हुई है।

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

(घोर व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, वैसे तो आप जो भी आदेश दें शिरोधार्य है, हमारे पास सारे सवाल का जवाब है।

(घोर व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, जब मंत्री जी जवाब देने के लिये तैयार हैं, तो उन्हें सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें चर्चा लगी हुई है।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

माननीय राना जी, कृपया बैठिये। माननीय तिवारी जी, कृपया बैठिये।

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

जब अध्यक्ष पीठ से कोई खड़ा हो, तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। इसमें चर्चा लगी हुई है।

(घोर व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, करोड़ों रुपये की लागत से स्वास्थ्य मंत्री जी गोमती नगर में मकान बनवा रहे हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं तो ठीक है।

श्री विजय सिंह राणा--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था यह है कि जब प्रश्न सूची में प्रश्न आ गया तो उसको प्रश्न के उत्तर के माध्यम से ही सुलझाया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, प्रश्नकाल में व्यवस्था कैसी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

सदन को चलने दें, आगे के प्रश्न और हैं, क्या आप लोग आगे के प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, कृपया बैठें।

श्री शिव करन सिंह--

मान्यवर, मुझे जान से मारने की धमकी दी गयी है इससे स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार है। मान्यवर, हजारों सैनिक देश के लिये कुरबान होते हैं, अगर मैं प्रदेश के लिये कुरबान हो जाऊंगा तो मुझे परवाह नहीं है। इस पर आज चर्चा जरूर कराई जाय। मान्यवर, मैंने अपनी सुरक्षा की मांग नहीं की है, पूरे प्रदेश की सुरक्षा की मांग की है।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

शिव करन जी बैठें, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं बड़ी गम्भीरतापूर्वक आपका ध्यान नियमों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, नियमों से ऊपर कोई नहीं है। मैंने बैठे-बैठे आपकी व्यवस्था सुनी कि इस सवाल पर चर्चा लग गयी इसलिये प्रश्न एलाऊ नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं देता। मैं सुन रहा था। सदस्य झांसी ने एक सवाल प्रस्तुत किया और उसको सुनकर आपने मंत्री जी को बुला लिया उसके बाद अन्यथा आपने कोई व्यवस्था दे दी। मेरा यह मतलब है, नियमों से संगत बात कह रहा हूं, जब एक बार प्रश्न हो गया या तो एजेन्डे में प्रश्न नहीं आता, अगर लग गया तो सदन की संपत्ति हो गया, उसके बाद एलाऊ कर दिया, एक सवाल हुआ और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने उसके पूरक प्रश्न को एलाऊ कर दिया तो उसके बाद प्रश्नों को एलाऊ न करना बिल्कुल नियमों के खिलाफ है।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सवाल उठाया है। मैं सरकार की इस नीति का समर्थक हूं। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ी है। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ने के मामले में हम सहयोगी हैं और मैं समझता हूं कि इस सहयोग का समादर होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्ता जी कह चुके हैं, माननीय विजय सिंह राणा जी कह चुके हैं, मैंने इस प्रश्न को स्थगित नहीं किया, जब यहां हल्ला-गुल्ला की स्थिति हुई और अव्यवस्था देखी तो मैंने यह व्यवस्था दी। चूंकि ग्रोवर कम्पनी पर नियम 49 में

चर्चा दी जा चुकी है और वह आज आने वाली है इस पर बात कर लेंगे, मैंने प्रश्न को स्थगित नहीं किया ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र शुक्ला जी का उत्तर आने दीजिये। पंचानन राय जी रवीन्द्र शुक्ला जी ने 3 प्रश्न उठाए हैं, उन्होंने तीन प्रश्न एक साथ उठाए हैं । उनका उत्तर आने दीजिये, फिर प्रश्न कर लीजियेगा। उनका उत्तर आने के बाद आपको सुन लेंगे।

श्री रवीन्द्र शुक्ल—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से तीन बातें जाननी चाहीं, पहली राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में किस कारण से, कौन से अपराध में बन्द किये गये, दूसरा इसके पूर्व जो बन्द किये गये तो किस अपराध में बन्द थे और ग्रोवर की अन्य कम्पनियां कौन सी हैं जिनके माध्यम से दवाएं सप्लाई कर रहे हैं और तीसरा पिछले पांच वर्ष में वर्षवार प्रति वर्ष कितने कितने आर्डर इनको निर्गत किये गये?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, जो ग्रोवर हैं, ये रासुका में बन्द किये गये थे, और जब ये बिहार चले गये थे, 1981 में पटना में बन्द किये गये थे। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग धैर्य से सुन नहीं रहे हैं। इतना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं । आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है शुक्ला जी का और आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं । कृपया ध्यान से सुनें । माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, ये रासुका में बन्द किये गये थे और जिस महीने बन्द किये गये, उसी महीने में छोड़ भी दिये गये। रासुका में इसलिये बन्द किये गये थे, चूंकि ये दवा बनाने का और सप्लाई का काम करते थे यहां पर एक केन्द्रीय औषधि भन्डार है, जिसके जरिये से स्वास्थ्य विभाग दवा लेता है। वहां ये दवा सप्लाई करते थे। इनके ऊपर 420 का आरोप लगा, धोखाधड़ी का आरोप लगा दिये बिक्रीकर की चोरी करते हैं और ये फर्जी बिल भी बनाते हैं । यह सब जो सतर्कता की, विजिलेंस की जांच कराई गयी, उसकी सिफारिश थी सूबे की सरकार को 1 वर्ष 1979 में इनके खिलाफ जांच कराई गयी उसकी दो सिफारिशें थीं, पहली यह कि इन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय और दूसरी यह कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय । ये विजिलेंस की सिफारिशें थीं। तो मनयवर, जहां तक ब्लैक लिस्ट करने की बात है, तो ब्लैक लिस्ट करने के लिये यह तय हुआ कि स्वास्थ्य महानिदेशक अपने स्तर से कार्यवाही करें और उन्होंने इस संबंध में कारण बताओ नोटिस ग्रोवर को दिया । ग्रोवर ने जवाब भी दिया । यह कांग्रेस सरकार के जमाने का काम है । उन्होंने जवाब दिया और उसके बाद वहां पर जो उसके इंचार्ज हैं, केन्द्रीय औषधि भन्डार के । उन्होंने यह कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला बनता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग शांति बनाये रखें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं नाम नहीं लूंगा कौन स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय।

श्री प्रमोद कुमार—

कौन मुख्य मंत्री थे उस समय यह भी बता दें?

श्री उपाध्यक्ष—

आपस में बात न करें। उत्तर सुन लीजिये।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह 1986 का मामला है, 1986 में कौन मुख्य मंत्री थे, यह आप समझ लीजिये। जब उनको ब्लैक लिस्ट करना था, नहीं किया, और स्वास्थ्य मंत्री कौन थे यह आप अच्छी तरह से जानते हैं।

यह भी पता लगा कि इनकी बहुत सी फाइलें गायब कर दी गयीं। यह मैं सदन में बता रहा हूं, इनकी बहुत सी फाइलें गायब कर दी गयी और यह ब्लैक लिस्ट नहीं हो पाये। इनके खिलाफ यह भी आरोप लगाया कि कई जगह आजमगढ़ में, उन्नाव में, सीतापुर में, यह तीन जगह और आजमगढ़ में उन्होंने करीब 89 हजार रु0 के फर्जी बिल बनवाये। उन्नाव में 1 लाख 25 हजार रु0 के फर्जी बिल बनवाये।

श्री शारदा नन्द अंचल—

यह किस समय ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

वही पुराना समय सीतापुर में 72 हजार रु0 का एक और 73 हजार रु0 का एक।

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग बैठें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

यह फर्जी मामले हैं। इस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया उनके खिलाफ। उन्होंने इस पर उच्च न्यायालय से सब समेत करते हुए जुड़वाते हुए, स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। उच्च न्यायालय की शरण में जाकर कानूनी कार्यवाही रुकवा दी।

उनको गिरफ्तार किया गया था रासुका में और ब्लैक लिस्ट करने की सिफारिश की गयी थी, उस पर कोई कार्यवाही हुई। यह आज ब्लैक लिस्ट नहीं है। इस समय इस साल इनको करीब 81 लाख रु0 की दवायें वितरित करने का आदेश दिया गया है। तो यह तफसील से है, रासुका कानून में यह गिरफ्तार हुए थे।

(व्यवधान)

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने फाइल गुम होने की बात कही।

श्री शारदा नन्द अंचल—

मान्यवर, आप संरक्षण दें, हर सदस्य को सवाल पूछने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

(व्यवधान)

श्री शारदा नन्द अंचल--

पिछले पांच सालों में उसे कम्पनी को कितना सामान सप्लाई करने का ठेका दिया गया।

श्री पंचायन राय--

मंत्री जी ने मान्यवर बताया कि आजमगढ़, उन्नाव और सीतापुर में इनके खिलाफ मुकदमें कायम हुए पहले तो यह जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ में इनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट किस तारीख को दर्ज करायी गयी ?

दूसरे पूरा सदन इस मामले पर चिंतित है, क्या मामले की दुबारा विजिलेंस से जांच करायी जायेगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, ऐसा है, दिनांक 31 मार्च सन् 1980 को (बीच में अनेक कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा बीच में "किसी की सरकार थी" कौन मुख्य मंत्री था, पूछने पर) माननीय पंचानन राय जी, आप अध्यापन का कार्य करते हैं, लेकिन आप थोड़ा राजनीति का ज्ञान भी कर लीजिये, इसमें कोई बहस की बात नहीं है। मान्यवर, उस समय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, किसकी सरकार थी, यह आप लोग स्वयं समझ लीजियेगा। जब विजिलेंस ने अपनी साफ जांच कर ली, तो विजिलेंस की जांच पर क्या जांच करायेंगे, जब कि विजिलेंस ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है।

श्री शारदा नन्द अंचल--

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में इस कम्पनी को कितने आर्डर दिये गये और उसमें कितने के विरुद्ध जांच चल रही है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश--

अब कितने का आर्डर दिया गया, यह तो इस समय मेरे पास लिखा पढ़ी में मौजूद नहीं है, उसका कोई वर्णन यहां नहीं हो सकता, वह बहुत है। केवल लखनऊ ही नहीं, प्रदेश के 63 जिलों में इसको आर्डर दिया गया, उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से दो बातें जानना चाहूंगा, एक तो यह कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, तब क्या ग्रोवर के खिलाफ साढ़े 4 करोड़ की जांच का आदेश दिया गया था ? दूसरी बात कि जब सतर्कता विभाग ने स्पष्ट अनुशंसा कर दी थी कि इस फर्म को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाय, तो आपके ही प्रधान मंत्री उस समय मुख्य मंत्री थे, उनकी इच्छा की अवहेलना करके आपने क्यों 81 लाख का आर्डर दे दिया ? एक और बात कि यह बात अखबार में छप चुकी है और नियम 49 की चर्चा स्वीकार किये जाने के बाद (बीच में श्री शारदा नन्द अंचल, श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर टोकाटाकी करने पर घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष--

जो अनुचित होगा, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, माननीय तिवारी जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिये। सच छुप नहीं पायेगा। एक कहावत याद होगी, "सच्चाई छुप नहीं सकती, नकली उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से" यह सारे का सारा काम ठेका देने का, कार्यवाही न करने का, सतर्कता की सिफारिश का पालन न करने का, यह सब कांग्रेस राज में हुआ है, सन् 81 से लेकर 89 तक।

श्री कल्यान सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बड़े विश्वास के साथ उत्तर दिया है और मैं उन्हें इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने किसी तथ्य को छुपाया नहीं है। मान्यवर, यह बहुत गंभीर प्रश्न है। आपके माध्यम से मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि जब यह तय हो गया कि ग्रोवर की कम्पनी ने गंभीर घोटाले किये, जिसकी जांच हुई, यह पत्रावली में मौजूद है। इसके बावजूद भी उसे 81 लाख का आर्डर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसे ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया था। जो निविदायें आई हुई थीं, उन निविदाओं के अनुसार उसकी निविदा सबसे निचले स्तर की थी, उसी का नतीजा था कि आर्डर दे दिया गया। आखिर में पूछना चाहता हूं कि किस स्तर पर यह पत्रावली छिपाई गई। वह कौन अधिकारी था, जिसने वर्तमान सरकार के सामने सही तथ्यों को न रखकर, सरकार को अंधेरे में रखा, जिसका परिणाम यह रहा कि वह 81 लाख का आर्डर लेने में सफल हो गया। इसलिये माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस बिन्दु पर, यह फाइल छिपाई गई, किसने इसे छिपाया, कौन इसके लिये जिम्मेदार है तथा जो 81 लाख रुपए का आर्डर दिया गया है, उसे रोकने के लिये आदेश देने की कृपा करेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आज सवेरे ही माननीय मुख्य मंत्री जी से इस मामले में मेरी बात हुई है। मैंने उन्हें सारे तथ्य बता दिये हैं। इन सिफारिशों पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई, किस अधिकारी ने यह कार्यवाही नहीं की, पत्रावली किस स्तर से गायब हुई और सरकार को अंधेरे में क्यों रखा गया, ये सारे बिन्दु हैं, इसलिए इस सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच करा ली जायेगी। जल्दी ही जांच करा ली जायेगी। जांच के दौरान अगर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर कोई लाभ अर्जित करने का काम किया गया तो उसके बारे में भी तत्परता से कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य की जो मंशा है, वह मैं समझ गया हूं। हम जुबान से काम नहीं करते हैं, बल्कि काम करके दिखाते हैं।

श्री शिव करन सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जांच कराये जाने की घोषणा की है। माननीय मंत्री जी स्पष्ट कहें जांच करायेंगे। यही कारण है कि आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गायब हैं।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा नत्थी (ग) पर प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने पर)।

(श्री शिव करन सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार व श्री डाक्टर ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी आदि के खड़े होने पर शोर।)

श्री उपाध्यक्ष—

आप लोग कृपा करके बैठ जायं । प्रश्न काल में अब केवल 10–12 मिनट रह गये हैं ।

(कांग्रेस दल के श्री शिव करन सिंह, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री शैलेन्द्र कुमार आदि अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान) ।

कुछ भी कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा । आप लोग बैठें ।

(पुनः घोर व्यवधान होते रहने पर)

मैं 12.30 बजे तक के लिये सदन स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी ।)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में रिक्त एवं सम्बद्ध अतिरिक्त चिकित्सकों की संख्या

*1—श्री बसन्त लाल गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में कितने चिकित्सकों के पद रिक्त हैं तथा लखनऊ के विभिन्न चिकित्सालयों में कितने अतिरिक्त चिकित्सक सम्बद्ध किये गये हैं ? इसका क्या औचित्य है ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री मुख्तार अनीस)—

प्रदेश के एलोपैथिक चिकित्सालयों में सीनियर स्केल (पुरुष) के पदों को छोड़कर 3,438 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं । चिकित्सालयों में सीनियर स्केल (पुरुष) के भरे रिक्त पदों की स्थिति की सूचना एकत्र की जा रही है । लखनऊ के विभिन्न चिकित्सालयों में 5 अतिरिक्त चिकित्सक सम्बद्ध किये गये हैं ।

प्रत्येक चिकित्सक के विषय में गुणावगुण के आधार पर विचार कर जनहित में सम्बद्ध किया गया है ।

(गुरुवार, दिनांक 12 जुलाई, 1990 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न) ।

*1—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

प्रदेश के बाहर से डिग्री प्राप्त आयुर्वेदिक चिकित्सक स्नातकों को प्रदेश में आयुर्वेदिक सेवाओं में लेने की मांग

*2—श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे आयुर्वेदिक चिकित्सा स्नातक जिन्होंने प्रदेश के बाहर से अपनी डिग्रियां प्राप्त की हैं, को उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक सेवाओं में लेने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट—प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 41 के अनुसार शेष प्रश्न उत्तरित माने गये ।

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

अधीनस्थ राजपत्रित चिकित्सा सेवा (आयुर्वेद एवं यूनानी) नियमावली, 1964 के नियम 10 एवं यू0 पी0 मेडिसिन ऐक्ट, 1939 की धारा 40 के प्राविधानानुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी संवर्ग में चिकित्साधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु केवल उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों/संस्थाओं से डिग्री प्राप्त आयुर्वेद/यूनानी स्नातकों को ही अर्ह माना गया है ।

आगरा जनपद की खारी नदी पर लघु बियर बनाये जाने की योजना

*3—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आगरा जनपद की तहसील बिरावली, खेरागढ़ व आगरा में स्थित खारी नदी के किनारे पर बसे ग्रामों का जल स्तर नीचे उतर गया है और कुएं सूख गये हैं तथा पानी खारा हो गया है ? यदि हां, तो जल स्तर ऊपर लाने, उसे मीठा करने तथा सिंचाई साधन बढ़ाने के लिये खारी नदी के चैकोरा, जैगारा आदि घाटों पर बरसाती जल को रोकने हेतु लघु बांध बनाया जावेगा, यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, आगरा जनपद में खारी नदी के किनारे बसे ग्रामों के कुछ कुओं का जल स्तर नीचे उतर गया है और जनपद के अधिकांश कुओं का पानी खारा है ।

खारी नदी पर सिकन्दरपुर पिनानी, नगला बिच और भवनपुर ग्रामों में 4 लघु बियर बनाने की योजना विचाराधीन है जिसमें वर्षा का पानी रोक कर पीने के जल को उपलब्ध कराने की योजना है ।

प्रस्तावित योजना के जल विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है । जल विज्ञान की स्वीकृति के पश्चात् योजना की साध्यता स्थापित होने एवं केन्द्रीय जल आयोग की स्वीकृति व वांछित धन की व्यवस्था होने पर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा सकता है ।

बांदा जनपद में बघेन नदी पर लिफ्ट योजना बनाने की मांग

*4—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले में बागे नदी पर तहसील कर्वी के ग्राम पहाड़िया बुजुर्ग सानी एवं गढ़ी घाट में लिफ्ट योजनायें बनाये जाने हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बागे नदी का सतत् जल प्रवाह उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है ? क्या ऐसी योजनाएं धान आदि खरीफ फसलों के लिये लगायी जायेगी जिसके लिये केवल 31 दिसम्बर से पूर्व ही पानी की आवश्यकता पड़ती है ? यदि हां, तो कहां और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में बागे नदी नाम की कोई नदी नहीं है । बघेन नदी नाम की एक नदी अवश्य है जो मध्य प्रदेश के पन्ना जनपद से निकल कर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के ग्राम विलास के पास यमुना नदी में मिलती है । बघेन नदी पर स्थित ग्राम पहाड़िया बुजुर्ग सानी एवं गढ़ी घाट में किसी नई डाल सिंचाई योजना हेतु वांछित जल उपलब्ध नहीं है । बघेन नदी की कुल लम्बाई 167 कि0 मी0 है जिसमें 126 कि0 मी0 (75 प्रतिशत से अधिक) उत्तर प्रदेश की सीमा में है । परिणामस्वरूप बघेन नदी का सतत् जल प्रवाह उत्तर प्रदेश की सीमा में है ।

उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य में नई सिंचाई योजनाओं का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

*5--डा0 दिनेश जौहरी—

(दिनांक 5 जुलाई, 1990 को अतारांकित प्रश्न संख्या 26 द्वारा उत्तरित)

कोटद्वार भावर में भूमि को कतिपय नदियों की बाढ़ से बचाव की योजना

*6—श्री भारत सिंह रावत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोटद्वार भावर में माखन नदी, खो नदी व सुखरो नदी से प्रति वर्ष सैकड़ों बीघा भूमि बाढ़ से बह जाती है ? यदि हां, तो उसके बचाव के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां । कोटद्वार भावर में उल्लिखित तीनों नदियों से किन्हीं-किन्हीं वर्षों में अत्यधिक वर्षा होने पर आकस्मिक एवं तीव्र बहाव के कारण नदियों के किनारे अथवा बहाव क्षेत्र में अवरोधों के कटान से क्षति पहुंचती रहती है ।

जन-जीवन एवं भवनों आदि की सुरक्षा हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 26.76 लाख रुपये की योजनायें प्रेषित की गयी जिसके विरुद्ध वर्ष 1989–90 में 12.76 लाख रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ तथा 7 योजनाओं पर बचाव कार्य कराया गया । इसी प्रकार वर्ष 1990–91 में भी योजनाओं की स्वीकृति एवं धन आवंटन होने पर आवश्यकतानुसार बचाव कार्य किया जाना प्रस्तावित है ।

जनपद उन्नाव के सिंचाई खण्ड व शारदा खण्ड में सिल्ट सफाई में की गयी अनियमितता की शिकायत की जांच

*7—श्री हृदय नारायण—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के सिंचाई खण्ड व शारदा खण्ड में सिल्ट सफाई में अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा उनको मार्च, 1990 में दिये गये शिकायती–पत्र की जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? जांचोपरान्त दोषी अधिकारी को क्या दण्ड दिये गये हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र में लखनपुरा माइनर शाहपुर व हिलौली राजवाहे में सिल्ट सफाई में अनियमितताओं का उल्लेख है, जो केवल सिंचाई खण्ड, उन्नाव से सम्बन्धित है एवं जिसका उन्नाव खण्ड शारदा नहर, उन्नाव से सम्बन्ध नहीं है, पर जांच कार्य प्रगति में है । जांच पूर्ण होने के बाद जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया जा सकेगा ।

जांच प्रगति में होने के कारण अभी किसी अधिकारी को दोषी ठहराने एवं दण्डित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जिले के हर्रैया ब्लाक में घाघरा नदी के कटाव को रोकने की मांग

*8—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटान रोकने के सम्बन्ध में सिंचाई सचिव के कक्ष में 19 जनवरी, 1990 को बैठक आयोजित हुई थी और उसमें यह निश्चय हुआ था कि विभाग द्वारा 10 फरवरी, 1990 तक कटान रोकने की परियोजना शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दी जायेगी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई सचिव के कक्ष में 19 जनवरी, 1990 को आयोजित बैठक के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियन्ता समिति ने ग्राम रोशनगंज, उदिहा तथा हदराबाद में कटान रोकने की योजनाओं को अनुमोदित कर दिया है तथा राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति में प्रस्तुत करने हेतु योजनायें सचिव, राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् को भेजी जा चुकी हैं ।

जनपद सोनभद्र के रेनू पावर कम्पनी से होने वाले वायु प्रदूषण की रोक थाम

*9—श्री विजय सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सोनभद्र के रेनू पावर कम्पनी के पावर हाउस के चिमनियों से निकलने वाले धुयें में कौन-कौन सी गैसें और राख कितनी मात्रा में प्रतिदिन निकलती हैं ? क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उद्योग से उत्सर्जित धुयें में सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड गैसें तथा सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मैटर मुख्यतः होते हैं । सल्फर डाई आक्साईड तथा नाइट्रोजन डाईआक्साइड गैसें लगभग क्रमशः 145 टन तथा 51 टन प्रतिदिन उत्सर्जित होती हैं । ठोस निलम्बित कण (सस्पेन्डेड पार्टीकुलेट मैटर) लगभग 6.99 टन प्रतिदिन वायु मण्डल में उत्सर्जित होते हैं ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा अपने सभी पांचों ब्वायलरों पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटर वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र की स्थापना कर ली है ।

गाजीपुर जनपद में असिंचित क्षेत्रों में नलकूपों का एक कलस्टर लगाये जाने की मांग

*10—श्री अफजाल अंसारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भावरकोल के ग्राम व मौजा रानीपुर, नकटीकोल, आमघाट, निकरोजपुर, घर जुडों, जसदेपुर, कठार, बढ़नपुरा, महेशपुर मुहम्मदपुर, मुस्तफाबाद, मुर्तजीपुर, मुहम्मदपुर बांड, सेनूपुर, नसीरुद्दीनपुर, टडवा, राजेपाह जगहतपुर, बलुवा टपेशाहपुर, नसीरपुर माफी, चक अब्बास, चक मैनुद्दीन, चक पीर मुहम्मद इत्यादि ग्रामों में असिंचित भूमि का क्षेत्रफल 4000 एकड़ से भी अधिक है ? क्या मंत्री जी तत्काल सर्वे कराकर इस क्षेत्र में 20 नलकूपों का एक कलस्टर लगवाने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं, प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं प्रथम अनुमान के अनुसार वर्णित ग्रामों में ग्राम आमघाट, कटवा, टडवा राजेपाह, चक मैनुद्दीन, भवरकोल में लगभग केवल 875 एकड़ असिंचित क्षेत्र है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नलकूपों का कलस्टर के रूप में निर्माण विश्व बैंक एवं इण्डोडच परियोजना से कराया जा रहा है । विश्व बैंक परियोजना में अब कोई कलस्टर बनना शेष नहीं है तथा इण्डोडच परियोजना में जनपद गाजीपुर सम्मिलित नहीं है ।

*11—श्री सुबाष—

(9वें सोम में ता0 प्र0 संख्या 20 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित)

जनपद गोण्डा में कतिपय उच्चीकृत चिकित्सालयों का निर्माण

*12—श्री अजय प्रताप सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोण्डा में उच्चीकृत चिकित्सालय, मनिकापुर, तरबगंज व कर्नलगंज का निर्माण कार्य एक साथ प्रारम्भ हुआ था जिनमें से मनिकापुर तथा तरबगंज के चिकित्सालय बनकर तैयार हो गये हैं परन्तु कर्नलगंज चिकित्सालय अभी भी निर्माणाधीन है जबकि तीनों चिकित्सालयों के कार्य समाप्ति की तिथि मार्च, 1987 ही थी ? यदि हां, तो कर्नलगंज चिकित्सालय के निर्माण में इतने विलम्ब का क्या कारण है ? क्या यह भी सही है कि मनिकापुर व तरबगंज चिकित्सालय क्रमशः 42 व 43 लाख रुपये की लागत में तैयार हो गये हैं, जबकि कर्नलगंज चिकित्सालय में 53 लाख रुपये खर्च करने के बावजूद 8 लाख रुपये की और डिमान्ड की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिकापुर, तरबगंज एवं कर्नलगंज के निर्माण कार्य एक साथ प्रारम्भ नहीं हुये ।

जी हां ।

विलम्ब का कारण निम्नलिखित है :

(1) भूमि न मिलने के कारण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ ।

(2) जिला योजना से मांग के अनुसार धन प्राप्त न होना ।

मनिकापुर व तरबगंज के निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पादित कराये गये एवं उनकी लागत में 16 प्रतिशत अधिष्ठान व्यय सम्मिलित नहीं है जबकि कर्नलगंज का निर्माण कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है । शेष निर्माण कार्यों के लिये रुपये 2,35,750 की अतिरिक्त मांग की गयी है ।

जनपद बस्ती के खलीलाबाद में स्थित संजय पेपर मिल से होने वाला प्रदूषण तथा रोकथाम

*13—श्री मिठाई लाल शास्त्री—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद बस्ती में खलीलाबाद में स्थित संजय पेपर मिल से निकला दूषित जल गिरने से आमी नदी का जल अत्यधिक काला एवं प्रदूषित हो गया है जिससे आमी नदी के तटवर्ती लोगों को भीषण प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार प्रदूषण रोकने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

उद्योग द्वारा जनित उत्प्रवाह को आंशिक रूप से शुद्धिकरण के उपरान्त आमी नदी में निस्तारित करने से नदी में जल प्रदूषण की समस्या विद्यमान है ।

उद्योग में शुद्धिकरण की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वर्ष 1989 की जल सहमति अस्वीकार करते हुये उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र में समुचित सुधार करने एवं शुद्धिकरण संयंत्र को प्रभावी रूप से संचालन एवं रख-रखाव के निर्देश दिये गये थे । निर्देशों के अनुपालन में उद्योग द्वारा एक और सेकेन्डरी क्लेरी फायर एवं स्लज ड्राइंग बेड का निर्माण किया जा रहा है ।

उद्योग के विरुद्ध (जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(1) तथा 44 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही भी की गई है ।

*14—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति की जानकारी

*15—श्री रविन्द्र कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2/2-1973-कार्मिक-2, दिनांक 14 दिसम्बर, 1989, संख्या 1190-सेक/14-वी0पी0-12-89, दिनांक 30 जनवरी, 1990 तथा संख्या 1/2-1973-कार्मिक-2, दिनांक 22 फरवरी, 1990 एवं अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों के बावजूद संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कई अधिकारी अभी तक पुनर्नियुक्ति पर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विभिन्न संस्थाओं एवं विभागों से सेवानिवृत्त 3 प्रोफेसर एवं सलाहकार कार्यरत हैं ।

संस्थान के कार्य हित में झांसी निकाय के निर्णयों के अनुरूप यह कार्यरत हैं ।

*16—श्री श्याम देवराय चौधरी दादा तथा श्री रमापति शास्त्री—

(10वें बुधवार में ता0 प्र0 संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर के रामगढ़ ताल परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

*17—श्री शिव प्रताप शुक्ल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में रामगढ़ ताल परियोजना हेतु अधिग्रहीत की गयी किसानों की जमीन का मुआवजा किसानों को मिल गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? सम्पूर्ण मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

कुल घोषित रु02,71,07,014.65 के प्रतिकर के विरुद्ध कृषकों को रु02,69,36,038.69 वितरित किया जा चुका है । रु0 1,10,975.96 का प्रतिकर विवादास्पद होने के कारण अथवा प्रतिकर लेने के लिये उपस्थित न होने के कारण या विरासत की कार्यवाही के विचाराधीन होने के कारण वितरित नहीं किया जा सका है ।

वर्ष 1987, 1988, 1989 तथा 1990 की विभिन्न तिथियों में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अवशेष रु0 1,70,975.96 विवादास्पद होने के कारण अथवा प्रतिकर लेने के लिये उपस्थित न होने के कारण या विरासत की कार्यवाही के विचाराधीन होने के कारण नहीं बांटा जा सका है । विवाद आदि समाप्त होने पर वितरित कर दिया जायेगा ।

प्रदेश में सेवारत जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय में वृद्धि की मांग

*18—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सेवारत जन स्वास्थ्य रक्षकों को मिलने वाला मानदेय आज की महंगाई में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपर्याप्त है । यदि हां, तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने की संस्तुति केन्द्र सरकार से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

वर्ष 1986 में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से जन स्वास्थ्य रक्षकों के मानदेय को 50 रु0 से बढ़ाकर 200 रु0 प्रतिमाह किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था, परन्तु यह धनराशि अभी तक बढ़ायी नहीं गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों द्वारा चीनी वितरण में धांधली का आरोप

*19—श्री रविदास मेहरोत्रा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 के महानगरों तथा नगरों में प्रतिमाह प्रति यूनिट पर कितनी चीनी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से देने का मानक निर्धारित है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इस समय लखनऊ महानगर के भीतर एक किलो प्रति यूनिट के स्थान पर 900 ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जा रही है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या सरकार प्रदेश के महानगरों में निर्धारित मानक के अनुसार प्रति यूनिट चीनी वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

उत्तर प्रदेश के महानगरों तथा नगरों में राशन कार्ड पर प्रति माह प्रति यूनिट एक किलोग्राम चीनी उचित दर की दुकानों के माध्यम से देने का प्राविधान है ।

जी नहीं । महानगर लखनऊ में राशन कार्ड धारकों को एक किलो ग्राम चीनी प्रति यूनिट प्रति माह उपलब्ध कराई जा रही है ।

किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

महानगरों में निर्धारित मानक के अनुसार प्रति यूनिट प्रति माह चीनी की वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है ।

जनपद फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योग हेतु गैस संपूर्ति की योजना

20—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के कस्बा फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी के कारोबार के लिए कोयला के अभाव को देखते हुए या गैस पाइप लाइन से फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग को गैस संपूर्ति करने की योजना, यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 के माध्यम से बनाई जायेगी ? यदि हां, तो इस उद्योग को गैस आधारित उद्योग बनाने के लिये तकनीकी ज्ञान और सहायता के लिए सरकार क्या योगदान देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

औरैया से फिरोजाबाद तक गैस पाइप लाइन गैस अथारिटी आफ इंडिया द्वारा बिछाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । यू0 पी0 एस0 आई0 डी0 सी0 द्वारा फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योगों के लिये प्राकृतिक गैस की वितरण प्रणाली स्थापित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है ।

गैस अथारिटी आफ इंडिया द्वारा संस्तुति व गैस उपलब्ध कराये जाने के बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आभूषण निर्माण औ0 उ0 सहकारी समिति लिमिटेड, बरेली को सहकारी बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी दिया जाना

1—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि वर्ष 1985-86 के लिए आभूषण निर्माण औ0 उ0 सहकारी समिति लिमिटेड, बरेली को कार्यशील पूंजी दी गयी थी उसके बाद 1986-87 में समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप तथा निश्चित समय में नवीनीकरण तथा अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दिये जाने का आवेदन जिला उद्योग बरेली में किया गया था ? यदि हां, तो क्या बिना किसी कारण बताये समिति को कार्यशील पूंजी न देकर समिति को डिफाल्टर बनाने की जिम्मेदारी जिला उद्योग केन्द्र, बरेली की है ? यदि हां, तो समिति को हुई क्षति-पूर्ति शासन करेगा ? क्या समिति को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दिये जाने के आदेश दिये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

आभूषण निर्माण औ0 उ0 सहकारी समिति लिमिटेड, बरेली को वर्ष 1985-86 में जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति पर सहकारी बैंक द्वारा कार्यशील पूंजी स्वीकृत की गई थी परन्तु वर्ष 1986-87 में समिति द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन-पत्र में पूर्व में निकाली गई धनराशि के सदुपयोग की सूचना व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई। जिसके कारण उनके आवेदन-पत्र पर बैंक की संस्तुति नहीं की जा सकी।

जी नहीं। समिति को आपत्तियां सूचित कर दी गयी थीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1989-90 में समिति को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी दिये जाने के सम्बन्ध में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, बरेली को संस्तुति की जा चुकी है। कार्यशील पूंजी की सुविधा बैंक द्वारा दी जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

2—श्री हरद्वार दूबे एडवोकेट—

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)।

हरगांव, महोली तथा गोला शुगर मिलों के विरुद्ध जल प्रदूषण निवारण या नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही

3—श्री दौलत राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरगांव, महोली तथा गोला शुगर मिलों का प्रदूषित जल नदियों में डाला जा रहा है उससे सरायन तथा गोमती नदियों का पानी प्रदूषित होने से मछलियां भी मर रही हैं तथा जनमानस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है ? इस प्रदूषण को रोकने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

दिसम्बर, 1986 तथा मार्च, 1989 में गोमती नदी लखनऊ में मछलियों के मरने की घटना घटित हुई थी उसके पश्चात् गोमती नदी में मछलियों के मरने की कोई घटना

शासन को प्राप्त नहीं हुई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 (1) तथा 44 के अन्तर्गत मेसर्स अवध शुगर मिल, हरगांव, मेसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला गोकर्णनाथ के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी है तथा मेसर्स यू0 पी0 स्टेट शुगर कार्पोरेशन, महोली को धारा 33 (ए) के अन्तर्गत विधिक नोटिस प्रेषित की गयी है।

4—श्री नजमुद्दीन—

(दिनांक 5 जुलाई, 1990 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित)।

मुख्य अभियन्ता, सोन, वाराणसी के अधीन कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण किय जान की मांग

5—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियन्ता, सोन, वाराणसी के अधीन, ऐसे कौन-कौन सहायक अभियन्ता हैं जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन अब तक प्रतिबन्धित स्थानों पर नहीं रहे हैं ? ऐसा क्यों ? क्या इन्हें इस साल स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मुख्य अभियन्ता (सोन) के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई सहायक अभियन्ता नहीं है, जो प्रथम 10 वर्ष की सेवायें पूर्ण करने वाला हो और अब तक प्रतिबन्धित स्थान पर न रहा हो।

प्रश्न ही नहीं उठता।
प्रश्न ही नहीं उठता।
प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के ब्लाक सिधौली में चिकित्सालय खोलने की मांग

6—श्री फौजदार प्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोधना, ब्लाक सिधौली, जनपद सीतापुर में जहां की आबादी लगभग 8000 है और अधिकांश आबादी हरिजन एवं पिछड़ी जाति की है, वहां पर अभी तक कोई चिकित्सालय क्यों नहीं खोला गया ? क्या सरकार वहां अस्पताल खोले जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

ग्राम गोधना, ब्लाक सिधौली से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम मनवा में राजकीय महिला चिकित्सालय तथा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। जिनसे स्थानीय जनता चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकती है।

जनपद बरेली में प्रेम नगर स्थित राजकीय स्वास्थ्य विद्यालय के भवन के किराये का भुगतान

7—श्री भूपेन्द्र नाथ शर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बरेली में प्रेमनगर स्थित राजकीय स्वास्थ्य विद्यालय के भवन का किराया, किराया नियंत्रक एवं निष्कासन अधिकारी, बरेली

द्वारा 7300 रुपया प्रतिमाह नियत कर दिया गया है जो माह मई, 1988 से देय है ? इसकी अपील एवं रिव्यू जिला जज बरेली द्वारा निरस्त कर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग पर उक्त भवन का माह अप्रैल 1990 तक अवशेष किराया 1,72,0801 रुपया बाकी है, ? क्या किराया का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार भुगतान कब तक करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हाँ।

जी नहीं।

चूंकि मकान मालिक ने पूरे परिसर का मूल्यांकन करवा कर भवन का किराया निर्धारित कराया है जब कि मकान का 1/3 (तिहाई भाग) ही विभाग के अधीनस्थ है। सक्षम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध शासन द्वारा उच्च न्यायालय में रिट दायर करने की कार्यवाही की जा रही है। रिट याचिका पर न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।

जनपद बाराबंकी के ग्राम सभा जेवली के उप प्रधान श्री जगन्नाथ प्रसाद को कोटा का लाइसेन्स दिया जाना

8—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगन्नाथ प्रसाद, उप प्रधान, ग्राम सभा जेवली, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी ने अपने ही परिवार के सदस्य नवल किशोर जो अनपढ़ व नाबालिग है, के नाम फर्जी फुटकर शकर व तेल वितरण का लाइसेन्स प्राप्त कर लिया और प्रतिमाह शक्कर व तेल जो ग्रामवासियों को वितरण हेतु मिलता है उसे बाजार में ही बेच दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी उक्त उप ग्राम प्रधान के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करके ग्रामवासियों को उचित मात्रा में चीनी व तेल वितरण की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

यह सत्य नहीं है। ग्राम सभा ज्यौली, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में श्री नवल किशोर, जो पढ़े लिखे एवं बालिग हैं, तथा उप-प्रधान श्री जगन्नाथ प्रसाद के परिवार के सदस्य नहीं हैं, को नियमानुसार उचित दर की दुकान आवंटित की गई है।

उक्त दुकानदार द्वारा प्राप्त सामग्रियों का वितरण नियमानुसार किया जाता है। कालाबाजारी के शिकायत की पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, विशुनपुरा, गोरखपुर के चिकित्सकों एवं कर्मचारियों हेतु भवन निर्माण की माँग

9—श्री विश्वनाथ सिंह तथा श्री केदारनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, विशुनपुरा के अस्पताल भवन एवं डाक्टर व अन्य कर्मचारियों के आवास हेतु ग्राम पकड़िहा, तहसील चौरी-चौरा, गोरखपुर में ली गयी जमीन पर निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष (1990-91) में करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत चिकित्सालय के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजना का अंग है। अतः निर्माण हेतु स्थल के चयन हो जाने, जिला योजना में अपेक्षित परिव्यय उपलब्ध कराये जाने व जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही शासन द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति पर विचार किया जाता है। प्रश्नगत चिकित्सालय हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

गाजीपुर जनपद में रामगढ़ पम्प कैनाल की विद्युत् आपूर्ति हेतु सेपरेट फीडर की व्यवस्था की मांग

10—श्री बीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में रामगढ़ पम्प कैनाल, जो विद्युत् की लो वोल्टेज के कारण इस वर्ष किसानों के सिंचाई के लिये पानी नहीं दे सकी है, को विद्युत् आपूर्ति के लिये सेपरेट फीडर के लिये राज्य सेक्टर से धन देने की व्यवस्था की जा रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति सीमित संसाधनों के अन्तर्गत प्रस्तावित नहीं है।

नगरीय परिवार कल्याण के गीतानगर, कानपुर में बेसिक हेल्थ वर्कर की सेवा बहाली विषयक कार्यवाही

11—श्री धर्मज्ञ मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र, गीतानगर, कानपुर (नगर) में अक्तूबर, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक किन-किन बेसिक हेल्थ वर्कर की सेवायें (प्रसवकालीन अवकाश लेने के उपरान्त भी) समाप्त की गयी ? सेवायें समाप्त करने के क्या कारण थे ? क्या उक्त के सम्बन्ध में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश, स्वास्थ्य निदेशक, सचिव स्वास्थ्य विभाग को उन्हें सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में माह मई, 1989 से मई, 1990 तक किन-किन विधायकों के पत्र प्राप्त हुए ? उक्त पत्रों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि कर्मचारियों को बहाल करने के बजाय नव-नियुक्ति की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? सेवा बहाली के आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायगे ?

[श्री मुख्तार अनीस—

उक्त अवधि में श्रीमती सुदर्शनी त्रिपाठी, बेसिक हेल्थ वर्कर की सेवायें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर के आदेश दिनांक 16 दिसम्बर, 1985 द्वारा समाप्त की गयी थी।

श्रीमती त्रिपाठी द्वारा अपने पद के दायित्वों का निर्वाह नहीं किया गया तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गयी। माननीय विधान परिषद् सदस्य श्री लालन शर्मा के 4 पत्र प्राप्त हुए हैं।

श्रीमती त्रिपाठी के मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मानवीय आधार पर ए0 एन0 एम0 के पद पर अक्तूबर, 1989 में नई नियुक्ति दी गई।

जी हां।

माननीय जन-प्रतिनिधि की संस्तुतियों एवं मानवीय आधार पर पुनः नियुक्ति देकर सेवा में लिया गया ।

शासन स्तर पर श्रीमती त्रिपाठी के मामले पर विचार किया जा रहा है । यदि सेवा में बहाल करने का औचित्य पाया जायेगा तो तद्नुसार आदेश जारी किया जायेगा ।

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कतिपय सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) की सेवा-निवृत्ति के विवरण की जानकारी

12—श्री रिफाकत हुसेन—

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि सिंचाई अनुभाग-2 के आदेश संख्या 1818/2-90-27 सि-2/38-88, दिनांक 8 मई, 1990 द्वारा किन-किन सहायक अभियन्ताओं (यांत्रिक) को सेवा-निवृत्त किया गया है ? क्या यह सही है कि सेवा-निवृत्ति आदेश के पूर्व उन्हें कोई आरोप-पत्र नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो उन्हें सेवा-निवृत्त किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई अनुभाग-2 के आदेश संख्या 1818/वो-90-27-सि-2/38-88, दिनांक 8 मई, 1990 द्वारा केवल एक सहायक अभियन्ता (यांत्रिक), श्री बलवन्त सिंह को अनिवार्य सेवा-निवृत्त किया गया ।

अनिवार्य सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी शासनादेशों तथा निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल 56 (संशोधन) अधिनियम, 1976 के प्राविधानों के परिपेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जनहित में अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्ति की गई । इसके अलावा आरोप-पत्र अथवा अन्य विभागीय कार्यवाही करने का प्राविधान नहीं है ।

अधीक्षण अभियन्ता, 18वां मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

13—श्री नजमुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, 18वां मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद में कितने तृतीय श्रेणी (लिपिक) कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

18वां मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद में तृतीय श्रेणी (लिपिक) वर्ग के निम्नलिखित कर्मचारी उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथि से कार्यरत हैं :

क्रम-संख्या	कर्मचारी का नाम	मण्डल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	राजेन्द्र कुमार मालवीय	16-7-89 से अब तक
2	अब्दुल बारी सिद्दीकी	20-7-82 से अब तक

1	2			3	
3	देवी प्रसाद शुक्ला	..	..	1-7-84	से अब तक
4	अब्दुल हकीम	..	..	2-8-88	से अब तक
5	कैलाश नाथ पटेल	..	..	1-7-83	से अब तक
6	रूप बिहारी	..	..	1-8-84	से अब तक
7	मुहम्मद यूनुस	..	..	3-7-80	से अब तक
8	श्रीनाथ	..	..	19-7-87	से अब तक
9	सुरेश चन्द्र पाण्डेय	..	..	29-8-89	से अब तक
10	सैय्यद मजहर हसनैन	..	..	20-3-80	से अब तक
11	सुरेन्द्र बहादुर	..	..	19-3-80	से अब तक
12	श्रीमती मनोरमा सहाय	..	..	1-8-89	से अब तक
13	दीनानाथ सिंह	..	..	19-8-77	से अब तक
14	कृष्ण नन्द तिवारी	..	..	20-8-77	से अब तक

आगामी सामान्य स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।

14—श्री नजमुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता, 18वां मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं ? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

18वां मण्डल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष			कार्यरत कर्मचारियों की संख्या
1977	..	..	1
1978	..	..	2
1986	..	..	1
1989	..	..	1
		योग ..	5

जी हां । आगामी सामान्य स्थानान्तरण के समय नियमानुसार विचार किया जायेगा । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर में चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण

15—श्री खुर्शीद अहमद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मई से 10 जून, 1990 तक जनपद गाजीपुर के कितने चिकित्सा अधिकारियों का स्थानान्तरण हुआ है ? उनमें से कितनों ने स्थानान्तरण आदेश का पालन किया है ? स्थानान्तरण आदेश का पालन न करने वाले चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद गाजीपुर में प्रश्नगत अवधि में 39 चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये जिनमें से 33 चिकित्साधिकारियों ने स्थानान्तरण आदेशों का अनुपालन किया । अवशेष 6 चिकित्साधिकारियों में से 3 चिकित्साधिकारी के स्थानान्तरण निरस्त किये गये । चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण स्थगित किया गया एवं दो चिकित्साधिकारियों को एकतरफा कार्य मुक्त कर दिया गया ।

16—श्री किशन गोपाल—

(7वें शुक्र0 में अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

जनपद लखनऊ में आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण की मांग

17—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में कुछ ऐसे चिकित्साधिकारी हैं, जो एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक और इस जनपद में 6 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । शासनादेश के अनुसार उन्हें अब तक स्थानान्तरित न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । विशेष परिस्थितियों में तीन ऐसे चिकित्साधिकारियों को स्थानान्तरित नहीं किया गया है ।

सी0 पी0 एम0 टी0 में चयनित पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों द्वारा अनुबन्ध की शर्तों का पालन न किया जाना

18—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सी0 पी0 एम0 टी0 में चयनित पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेजों में प्रवेश के समय अनुबन्ध करना होता है कि वे डिग्री प्राप्त करने के बाद अवश्य ही निश्चित अवधि तक पर्वतीय क्षेत्र में सेवा करेंगे ? यदि हां, तो क्या अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन होता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । शासनादेश संख्या 1902—सेक—14/पांच—25-89, दिनांक 10 मार्च, 1989 के अनुसार एम0 बी0 बी0 एस0 में प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की राजकीय सेवा करने का अनुबन्ध—पत्र भराये जाने का प्राविधान है ।

एम0 बी0 बी0 एस0 पास करने के उपरान्त इन डाक्टरों को पी0 एम0 एस0 में तुरन्त कोई जाब नहीं दी जाती है । इसी दौरान ये डाक्टर हाऊस जाब/डिप्लोमा/डिग्री में प्रवेश ले लेते हैं । जिस कारण अनुबन्ध की शर्तों का कड़ाई से पालन नहीं हो पाता ।

जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर पम्प नहर द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान किया जाना।

19—श्री रामरती विन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर पम्प नहर के डीघ राजबहा की लम्बाई कितने कि0मी0 है, उससे कितने कि0मी0 तक पानी की सिंचाई होती है ? जो गांव अभी तक इस राजबहा से सिंचाई से वंचित है क्या सरकार इन गांव में सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर पम्प नहर के डीघ राजबहा की लम्बाई 16.8 कि0मी0 है ।

डीघ राजबहा से इस समय 7.5 कि0मी0 तक पानी की सिंचाई होती है ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1990–91 के अन्त तक उन गांवों में, जो सिंचाई से वंचित हैं, सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने का प्रयत्न किया जायेगा ।

जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून (डा0 जे0 पी0 शर्मा) के स्थानान्तरण का निरस्तीकरण

20—श्री पूर्णवासी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 जे0 पी0 शर्मा, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, जनपद देहरादून में कब से तैनात हैं ? क्या उक्त चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण शासनादेश संख्या 20/सेक–15–पांच-89–72–86 सी0 सी0, दिनांक 2 जून, 1989 के अनुसार उनका स्थानान्तरण किये जाने के उपरान्त वे देहरादून में ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

डा0 जे0 पी0 शर्मा, जनपद देहरादून में 27 जून, 1979 से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात हैं । शासनादेश दिनांक 2 जून, 1989 के अनुसार उनका स्थानान्तरण उत्तरकाशी के लिये किया गया था जिसे विशेष परिस्थितियों में 30 जून, 1990 तक स्थगित कर दिया गया था । दिनांक 11 मई, 1990 से वे सम्प्रति जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद के विरुद्ध चिकित्साधिकारी के रूप में जनपद देहरादून में तैनात किये गये हैं ।

21—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

(5वें बुध0 में अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

जनपद देहरादून में नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु मानक का निर्धारण एवं व्यय धनराशि

22—श्री रणजीत सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून में नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये मानक पर्वतीय क्षेत्र का माना गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जनपद देहरादून में

नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिये कितनी-कितनी धनराशि गत चार वर्षों में आवंटित व व्यय हुई है एवं वर्ष 1990–91 हेतु कितने धन का आवंटन प्राधिकृत किया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

जनपद देहरादून में मैदानी एवं पर्वतीय दोनों ही क्षेत्र होने के कारण नहरों की स्थिति के अनुसार उनके अनुरक्षण हेतु दोनों ही आधार लागू होते । इस जनपद में नहरों के अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु सामान्य तथा केन्द्रीय सहायता मद के अन्तर्गत आवंटन एवं व्यय की सूचना निम्नानुसार (आंकड़े लाख रुपये में) हैं—

वर्ष	आवंटन	व्यय
1986–87	35.30	51.453
1987–88	38.00	53.099
1988–89	50.40	65.183
1989–90	51.263	78.546

वर्ष 1990–91 में सामान्य रख-रखाव मद में देहरादून जनपद को अभी तक 16.70 लाख का आवंटन प्राधिकृत किया जा चुका है ।

प्रदेश नर्सिंग सेवा में कार्यरत स्टाफ नर्सों एवं सिस्टरों की दक्षतारोक पार किये जाने की नीति का निर्धारण

23—डाक्टर दिनेश जौहरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश नर्सिंग सेवा में कार्यरत स्टाफ नर्सों तथा सिस्टरों को दक्षतारोक पार किये जाने की स्वीकृति के विषय में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने 29 अगस्त, 1989 को विधायक श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में अक्तूबर, 1989 को दिये गये उत्तर में बताया था कि 15 जुलाई, 1989 को सभी मण्डलीय, अपर निदेशक को दक्षतारोक पार किये जाने की स्वीकृत प्रदान करने हेतु अधिकृत करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो अभी तक उक्त अधिकारियों द्वारा दक्षता रोक पार करने की स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ? यह कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, शासनादेश संख्या 2302/16—13–89, दिनांक 15 जुलाई, 1989 द्वारा उपचारिका सेवा के पात्र अराजपत्रित कर्मियों को समयबद्ध वेतनमान तथा दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु मण्डलीय अपर निदेशकों को प्राधिकृत किया गया था । परन्तु शासनादेश संख्या 26/16–13–90–एन (123)-89, दिनांक 27 जनवरी, 1990 द्वारा उपर्युक्त शासनादेश को निरस्त करते हुये उक्त कार्यों हेतु पुनः महानिदेशालय को प्राधिकृत कर दिया गया । अब मण्डलीय अपर निदेशकों द्वारा दक्षतारोक पार करने की स्वीकृति दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत् सेल की सचल कार्यशालाओं (मोबाइल यूनिटों) का मूल्यांकन एवं पुनर्गठन

24---श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत् सेल की सचल कार्यशालाओं (मोबाइल यूनिटों) के मूल्यांकन एवं पुनर्गठन सम्बन्धी प्रश्नकर्ता एवं विधायक श्री सुखबीर सिंह के कोई पत्र दिनांक 1 मई, 1990 तथा 26 मई, 1990 संलग्नकों के साथ प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

उनपर महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से आख्या प्राप्त कर ली गयी है तथा विचाराधीन है ।

प्रदेश में संयुक्त निदेशक (विद्युत्) के पद पर प्रोन्नति का प्रस्ताव

25--श्री राम प्रसाद सिंह--

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक, विद्युत् के पद पर प्रोन्नति हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत प्रोन्नति के लिये बनाये गये सेवा नियमों का प्रोन्नति पर विचार करने से पूर्व शासन के सेवा नियमावली सेल से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ? यदि सेवा नियम नहीं बने हैं तो क्या सरकार नियमानुसार सेवा नियम बनाकर ही प्रश्नगत प्रोन्नति पर विचार करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

संयुक्त निदेशक (विद्युत्) के पद पर प्रोन्नति हेतु सेवा नियमावली नहीं बनी है । सामान्य प्रक्रिया के अनुरूप नियमावली सेल के परामर्श से कार्यवाह आदेश बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद बलिया के सीवर और नगर विकास खण्डों में ड्रेनेज निर्माण

26--श्री शारदानन्द अंचल--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में ड्रेनेज खुदाई के लिये सीवर और नगर विकास खण्डों में 12 ड्रेनों का जो प्राक्कलन वर्ष 1985-86 के बाद स्वीकृत हुआ था, का निर्माण कार्य अब तक नहीं हो सका जिससे ड्रेनेज के अभाव में दो-दो विकास खण्डों में फसल पानी में डूबकर बरबाद हो जाती है ? यदि हां, तो सरकार इस गम्भीर समस्या के निराकरण हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह--

सियर एवं नगरा विकास खण्डों में 12 निर्मित ड्रेनों के जल ग्रहण क्षेत्र में और अधिक जल निकासी की सुविधा प्रदान करने हेतु 16 लिंक ड्रेनों के निर्माण लागत रुपया 5.5 लाख की योजना ग्राम विकास अभिकरण, बलिया को आर0एल0ई0जी0 पी0 के अन्तर्गत अक्टूबर, 1985 में भेजी गई थी । इस योजना के क्रियान्वयन हेतु धन आवंटन के लिये अपर जिलाधिकारी (परियोजना), बलिया से पुनः अनुरोध किया जा रहा है ।

जनपद बांदा के कर्वी क्षेत्र की पेय जल समस्या का निराकरण

27—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा जनपद के कर्वी क्षेत्र की पेयजल समस्या समाधान विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1990 अर्द्ध-शासकीय पत्र संख्या 18-एम0 एल0 ए0/90-26-5, उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई अनुभाग-5, दिनांक 20 फरवरी, 1990 द्वारा मुख्य अभियन्ता, नलकूप मध्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश के साथ भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

कर्वी क्षेत्र में भूगर्भ जल की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण नलकूपों का निर्माण विचाराधीन नहीं है ।

बघेन तथा ओहैन नदियों में स्थल विशेष पर जल की उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण किसी भी लिफ्ट योजना का निर्माण किया जाना विचाराधीन नहीं है । वर्तमान समय में बघेन नदी पर ओरा पम्प नहर (35 क्यूसेक) तथा लमियारी (10 क्यूसेक) कर्वी क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही है । यमुना नदी पर राजापुर चिल्लीमल लिफ्ट नहरें कर्वी संभाग में सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देहरादून जनपद के घमण्डपुर गांव में नलकूप का निर्माण

28—श्री रणजीत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद देहरादून के ग्राम घमण्डपुर में सिंचाई सुविधा हेतु नलकूप विभाग द्वारा नलकूप का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो नलकूप कब बनकर तैयार हुआ था ? क्या यह सही है कि नलकूप निर्माण के एक वर्ष से भी अधिक अवधि तक उक्त नलकूप से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन कारणों की जांच करायेंगे तथा सरकार को होने वाली राजस्व हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

पुनः निर्मित नलकूप 18 डी0डी0 का ऊर्जीकरण मई, 1989 में हुआ ।

जनपद देहरादून के पहाड़ी क्षेत्र की जटिल भू-गर्भीय स्थिति होने के कारण नलकूप की पूर्ण सफलता एवं निकास की अनिश्चितता है । इस कूप का निकास अत्यधिक कम है । कम्प्रेशर से विकसन के प्रयास करने के बाद पम्प सेट से निकास बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्यालय, प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में लिपिक वर्ग कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

29—डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री हरि शंकर तिवारी एवं श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लखनऊ में कार्यरत लिपिकीय वर्ग कर्मचारियों का स्थानान्तरण सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार इस वर्ष नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक तदनुसार स्थानान्तरण किये जायेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय के लिपिकीय अधिष्ठान में इस वर्ष सामान्य स्थानान्तरण किये गये हैं । स्थानान्तरण करते समय स्थानान्तरण नीति, कर्मचारियों की प्रार्थना प्रशासनिक आधार को दृष्टिगत रखा गया है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा नियमावली का निर्माण

30—श्री रणजीत सिंह तथा श्री बलवीर सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों की सेवा-नियमावली बना दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? नियमावली कब तक बनवा दी जायेगी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

रेशम निदेशालय का गठन 12 अगस्त, 1987 को हुआ था । निदेशालय के कर्मचारियों की सेवा-नियमावली बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । चूंकि सेवा नियमावली निर्माण की प्रक्रिया काफी जटिल होती है तथा इसमें काफी समय लगता है, अतः इस चरण पर यह कहना सम्भव नहीं कि सेवा-नियमावली कब तक अधिसूचित हो जायेगी ।

जनपद बाराबंकी में ग्राम सरसौदी से सौहारा तक शारदा सहायक नहर की पटरी पर खडंजा लगाये जाने की मांग

31—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक नहर (जनपद बाराबंकी) में सरसौदी ग्राम होते हुये ग्राम सौहारा तक नहर की पटरी पर खडंजा लगाये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो खडंजा कब तक लगवा दिया जावेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हृदय रोग संस्थान, कानपुर में हुये सरकारी गबन की सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच एवं कृत कार्यवाही

32—श्री महाबीर सिंह राणा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हृदय रोग संस्थान कानपुर में वर्ष 1978 में रुपया 1,10,798.70 पैसे का सरकारी गबन हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

हृदय रोग संस्थान, कानपुर, में वर्ष 1978 में रुपये 1,10,798.70 पैसे के गबन की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्कालीन आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा थाना स्वरूप नगर, कानपुर में की गई। उक्त मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, कानपुर द्वारा की गई। जांच में तत्कालीन लेखाकार श्री प्रहलाद सिंह चौहान को दोषी पाया गया जिनके विरुद्ध मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। श्री प्रहलाद सिंह की सेवायें भी समाप्त कर दी गयी हैं।

अतः दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

लोक निर्माण विभाग से स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये सिविल अभियन्ताओं के सम्बन्ध में जानकारी

33—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि लोक नि0 वि0 के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के लिये सरकार के पूर्व निर्णय के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अन्य सिविल अभियन्ताओं के विषय में समान एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 24 मई, 1990 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो कब तक कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

पत्र के मुख्य बिन्दु लोक निर्माण विभाग से स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये अभियन्ता श्री दत्ता एवं श्री सुधीर ठाकुर को उनके मूल विभाग वापस करने अथवा मूल विभाग के वर्तमान पद के अनुसार वर्तमान तिथि से ही वरिष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में शासन के अन्य सम्बन्धित विभागों एवं लोक सेवा आयोग से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

प्रदेश में अवर अभियन्ताओं का पी0डब्लू0डी0 से स्वास्थ्य विभाग में संविलियन सम्बन्धी नीति विषयक जानकारी

34—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 डब्लू0 डी0 के अवर अभियन्ताओं को स्वास्थ्य विभाग में संविलियन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न नीति अपनाने हेतु कार्यवाही विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 मई, 1990 स्वास्थ्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

पत्र के मुख्य बिन्दु लोक निर्माण विभाग से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय में प्रति-नियुक्ति पर आये श्री मुजीबुर्रहमान, अवर अभियन्ता की चल अचल सम्पत्ति का विवरण देने तथा उन्हें उनके मूल विभाग में वापस करने और श्री सुधीर ठाकुर, अवर अभियन्ता को भी उनके मूल विभाग में वापस किये जाने के सम्बन्ध में है। इस विषय में शासन के सम्बन्धित विभागों से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

36—श्री खुर्शीद अहमद—

(स्पष्टीकरण हेतु बुलाया गया।)

जिला मुजफ्फरनगर की मेसर्स चांद फाउण्ड्री एवं सितारा इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा किये जा रहे वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध कार्यवाही

35—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जिला मुजफ्फरनगर के औद्योगिक क्षेत्र होते हुये भी यहां दो बड़ी इकाईयां मेसर्स चांद फाउण्ड्री एवं सितारा इन्जीनियरिंग कम्पनी, मोहल्ला सरवट निकट सरवट पीर में घनी आबादी में चल रही है जो भारी मात्रा में वायु व ध्वनि प्रदूषण फैला रही है ? क्या मंत्री जी उन्हें जनहित में बन्द करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

प्र0नि0 बोर्ड द्वारा वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों के अन्तर्गत मेसर्स चांद फाउण्ड्री तथा सितारा इंजीनियरिंग कं0, सरवट, मुजफ्फरनगर को वायु प्रदूषण हेतु समुचित वायु प्रदूषण हेतु नियंत्रण यंत्र लगाने एवं प्रदूषित वायु का उत्सर्जन बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप करने तथा बोर्ड से वायु सहमति लेने हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

यदि इन उद्योगों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो इनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं वरिष्ठ चिकित्साधीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

37—श्री शिव करन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों के स्थानान्तरण की क्या नीति निर्धारित की गयी है ? क्या उक्त नीति का अनुपालन हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार स्थानान्तरण के मामलों के भ्रष्टाचार की जांच विधान सभा सदस्यों की समिति द्वारा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों के स्थानान्तरण के लिये वही नीति निर्धारित की गयी है जो सामान्यतः श्रेणी एक के अधिकारियों के लिये निर्धारित है । श्रेणी एक के अधिकारियों को सामान्यतः एक पद पर 3 वर्ष और एक जनपद में विभिन्न पदों पर 6 वर्ष तक की अवधि पूरी करने पर स्थानान्तरित करने की नीति है । पर्वतीय क्षेत्रों में इस अवधि के उपरान्त भी तैनात रखा जा सकता है । वर्तमान सत्र में सामान्यतः उक्त नीति के अनुसार स्थानान्तरण किये गये हैं । स्थानान्तरण के मामलों में किसी विशिष्ट प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र पर जांच

38—श्री श्याम नारायण तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकटा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पिछड़ा अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति का दिनांक 12 अप्रैल, 1990 एवं 8 मई, 1990 को अवर अभियन्ता, श्री नादिर खां एवं श्री जहरुद्दीन, अधिशासी अभियन्ता, ड्रेनेज प्रखण्ड, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायती-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्रों में मुख्य शिकायतें कौन-कौन सी हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

उक्त पत्रों में मुख्य शिकायतें बिन्दु अधिशासी अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार को भुगतान हेतु देय 23,778 रुपये हड़पने, बाढ़ के समय अधिशासी अभियन्ता द्वारा पेट्रोमेक्स के 2000 रु0 के किराये के बजाय 50 हजार रुपये हड़पने, जीप के किराये के फर्जी बिल बनाने, फर्जी टेन्ट लगवाने के नाम पर 50 हजार रुपये हड़पने आदि तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा 4,66,000 रुपये की सामग्री क्रय करने, जो स्टाक रजिस्टर में दर्ज नहीं है, के संबंध में है। प्रस्तुत मामले में जांच हेतु मुख्य अभियन्ता (गन्डक), गोरखपुर को निर्देशित किया गया है।

जनपद आगरा के ए0 एन0 मेडिकल कालेज में तांत्रिक तंत्र इकाई (न्यूरोलाजी यूनिट) का प्रभारी बनाये जाने की मांग

39—श्री हरद्वार दुबे एडवोकेट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्य मेडिकल कालेजों की भांति ए0 एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में तांत्रिक तंत्र इकाई (न्यूरोलाजी यूनिट) के प्रभारी मेडिकल कौन्सिल आफ इंडिया 1989 के मानक पर आधारित योग्यता रखते हैं? यदि नहीं, तो क्या ए0 एन0 मेडिकल कालेज में तांत्रिक तंत्र विषय से योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति कार्यरत है? यदि हां, तो किस पद पर और उसे उक्त यूनिट का प्रभारी बनाये जाने में क्या कठिनाई है?

श्री मुख्तार अनीस—

राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रभारी के पद स्वीकृत नहीं हैं। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा प्रभारी हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं।

जी हां। डा0 प्रदीप कुमार माहेश्वरी, ए0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा में मेडिसिन विभाग के अधीन लेक्चरर इन न्यूरोलाजी के पद पर कार्यरत हैं। जो मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया द्वारा लेक्चरर न्यूरोलाजी पद हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता डी0 एम0 न्यूरोलाजी रखते हैं।

पद न होने के कारण किसी को प्रभारी बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के तहत सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

40—श्री राजाराम—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद में कितने तृतीय श्रेणी (लिपिक) तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कब से कार्यरत हैं? क्या शासन द्वारा निर्धारित स्थानान्तरण नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई खण्ड प्रथम, इलाहाबाद में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत कर्मचारियों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष जब से कार्यरत हैं	तृतीय श्रेणी	चतुर्थ श्रेणी
1	2	3	4
1	1977	..	14
2	1978	..	..
3	1979	..	1
4	1980	3	9
5	1981	2	11
6	1982	2	4

1	2	3	4
7	1983	1	1
8	1984	1	2
9	1985	..	..
10	1986	..	1
11	1987	3	2
12	1988	2	1
13	1989	3	1
14	1990	1	2
	योग ..	18	49

आगामी स्थानान्तरण सत्र में नियमानुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

जनपद वाराणसी के ग्राम छेछुवा का गंगा नदी द्वारा हो रहे कटाव को रोकने की मांग

41—श्री रामरती बिन्द—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के सिकरौल खंड ब्लॉक अन्तर्गत गंगा नदी से ग्राम छेछुआ का कटाव तेजी से हो रहा है? क्या सरकार कटाव रोकने के लिये अविलम्ब प्रभावी कदम उठायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, गंगा नदी से ग्राम छेछुआ के पास कुछ कटाव हो रहा है।

व्यवहारिक रूप से किसी नदी की कटान को रोकने में काफी धन की आवश्यकता होती है तथा उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के पश्चात प्रत्येक वर्ष रख-रखाव में काफी लागत आती है। गंगा जैसी बड़ी नदी में कटाव निरोधक कार्य कराने से नदी का प्राकृतिक बहाव बिगड़ जाता है तथा उसका कुप्रभाव दूसरे तट तथा अन्य स्थानों पर पड़ता है। इस परिप्रेक्ष्य में उक्त गांव में कटाव निरोधक कार्य की योजना नहीं बनाई गई है। इन मामलों में शासन की नीति यह है कि ऐसी आबादी को अन्यत्र सुरक्षित स्थान पर बसाया जाय।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण की जानकारी

42—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार मुख्य मंत्री ने सचिवालय में अपर डिवीजन सहायक तथा अनुभाग अधिकारी का व्यापक रूप से स्थानान्तरण किया है उसी प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में सीनियर क्लर्क, नोटर ड्राफ्टर तथा कार्यालय अधीक्षक का भी स्थानान्तरण करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, जून 1990 में 4 प्रशासनिक अधिकारी, 10 कार्यालय अधीक्षक, 20 वरिष्ठ सहायक, 12 वरिष्ठ लिपिक एवं 18 कनिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

43—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में कोई ऐसा कार्यालय अधीक्षक है जो 15 वर्षों से एक ही अनुभाग में नोटर ड्राफ्टर भी रहा और वहीं पर कार्यालय अधीक्षक पद पर प्रोन्नति पा गया है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, । श्री राजबीर सिंह चिकित्सा शिक्षा अनुभाग में 4-9-74 से वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हुए तथा 5 अगस्त, 1988 को कार्यालय अधीक्षक पद पर प्रोन्नत किए गए।

44—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या लखनऊ में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अधीनस्थ कार्यालयों में क्या ऐसे भी लिपिक हैं जो वरिष्ठ लिपिक से प्रोन्नति पाकर के वरिष्ठ सहायक तक उसी कार्यालय में कार्यरत हैं जो कि 15 वर्षों से अधिक हो चुका है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

45—श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ के निदेशक (प्रशासन) ने पिछले वर्षों में इस आशय का कोई परिपत्र जारी किया था कि जिन लिपिकों का 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है उनकी सीट तुरन्त हस्तान्तरित करके दूसरी जगह कर देना चाहिए ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं ? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में प्रोफेसर शरीर क्रिया के पद पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग की संस्तुति ।

46—श्री स्वामी नाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के प्रोफेसर शरीर क्रिया के पद पर तैनाती हेतु लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपनी संस्तुति लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व ही शासन को उपलब्ध करा दी है ? यदि हां तो उक्त प्रोफेसर (शरीर क्रिया) के पद हेतु संस्तुत किए गए अभ्यर्थी की तैनाती न करके पहले से ही विभाग में कार्यरत अन्य विशिष्टता वाले कार्मिक की तैनाती किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इस अनियमितता को दूर करने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां, लेकिन लोक सेवा आयोग की संस्तुति किसी एक कालेज विशेष के पद के लिए नहीं थी । आयुर्वेदिक कालेजों में शरीर विभाग के अन्तर्गत शरीर क्रिया विषय भी है । अतः उक्त पदों हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों को प्रोफेसर शारीर के पद पर नियुक्ति दी गई है ।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों में कतिपय विषय पदों के नामों में भिन्नता विद्यमान है । इनमें एकरूपता लाने के लिए एक समिति गठित की गयी है ।

डा0पी0डी0पी0माथुर तथा ए0एस0 गुप्ता, तत्कालीन संयुक्त निदेशक, गोरखपुर मण्डल, द्वारा अनियमित रूप में की गयी नियुक्तियों की जांच एवं गत कार्यवाही की जानकारी

47—श्रीमती सिया दुलारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0पी0डी0 पी0माथुर तथा ए0एस0 गुप्ता जब संयुक्त निदेशक गोरखपुर मण्डल के पद पर कार्यरत थे तब इनके द्वारा तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों में घोर अनियमितताएं बरती गयी थी क्या यह सच है कि अनियमितताओं की जांच कराई गयी थी और उक्त दोनों अधिकारी दोषी पाये गये थे ? यदि हां, तो उन्हें क्या दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें दण्डित करने की कार्यवाही न करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या उक्त दोनों अधिकारियों का विभागीय सामग्री के क्रय में की गयी अनियमितताओं की विभागीय जांच भी करायी जा रही है ? यदि हां, तो उक्त दोनों अधिकारियों को निदेशक के पद पर पदोन्नत किये जाने के क्या कारण थे और इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद गोरखपुर में तत्कालीन मण्डलीय संयुक्त निदेशक, डा0पी0 डी0पी0 माथुर व तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी, डा0ए0एस0 गुप्ता द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों की शिकायत की प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनों अधिकारियों को आरोप पत्र जारी किये गये एवं भूतपूर्व महानिदेशक को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी द्वारा की गयी विवेचनानुसार नियुक्तियों से संबंधित अनियमितता के आरोप आंशिकरूप से सिद्ध हुए । जिसके अनुसार डा0माथुर को कारण बताओ नोटिस दिया है जिसका उत्तर शासन को प्राप्त हो चुका है जो कि शासन के विचाराधीन है । डा0 ए0एस0 गुप्ता के विषय में उनके विरुद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए शासन द्वारा एक चेतावनी जारी की जा चुकी है । इन अधिकारियों द्वारा विभागीय सामग्री के क्रय में की गयी अनियमितता की कोई औपचारिक विभागीय जांच नहीं लम्बित है । सम्प्रति इन दोनों अधिकारियों को निदेशक के पद पर विधिवत तैनात नहीं किया है बल्कि कार्यवाहक रूप से निदेशक के पद का कार्य संचालित करने के आदेश प्रसारित किये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती सुभद्रा सिंह ए0एन0एम0 प्रा0स्वा0 केन्द्र, नाथ नगर, जनपद बस्ती से अवैध धन वसूलने का आरोप

48—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुभद्रा सिंह, ए0एन0एम0प्रा0स्वास्थ्य केन्द्र, नाथनगर, जनपद बस्ती से एरियर भुगतान के अवैध धन वसूले जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने कोई शिकायती-पत्र उन्हें रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1990 को भेजा है ? यदि हां, तो ऐसे गम्भीर मामले पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं । अभिलेखानुसार ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की खुदाई करने की मांग

49—श्री बदन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में स्थित वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन की इस वर्ष वर्षा काल से पूर्व तली तक खुदाई कर साफ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

50—श्री सुरेश यादव—

(6वें सोम0 में अता0 प्र0 सं0 197 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों को शोध कार्य से संबंधित सेवाओं में आरक्षण देने की मांग

51--श्री शारदा प्रताप शुक्ल--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं० 15/9/73-रा०एकी०, दिनांक 25 मई, 1973 प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के लिए शोध कार्य से संबंधित सेवाओं में तथा पदों पर आरक्षण देने से संबंधित है ? यदि हां, तो शासनादेश के तहत प्रदेश के समस्त मेडिकल एवं डेंटल स्नातकोत्तर प्रवेश में शासनादेश जारी होने से अब तक आरक्षण कोटा पूरा न किये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी वर्तमान सत्र 1990 में स्नातकोत्तर प्रवेश में आरक्षण कोटा पूरा कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

मेडिकल एवं डेंटल स्नातकोत्तर प्रवेश में उक्त शासनादेश लागू नहीं होता । शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को इस प्रयोजन हेतु आयोजित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित अंक में से 1.65 प्रतिशत अतिरिक्त अंक देकर मेरिट लिस्ट बनायी जाती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जांच

52--श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर के अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर एवं देवरिया में नलकूप निर्माण कार्यों में वित्तीय अनियमितता के संबंध में कतिपय विधायकों का शिकायती पत्र माह जनवरी/फरवरी, 1990 में प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या मंत्री जी इसकी जांच सतर्कता विभाग से कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह--

प्रकरण में श्री राम प्रसाद चौधरी, सांसद का एक पत्र दिनांक 25 फरवरी, 1990 तथा कतिपय अन्य विधायकों के माह मार्च, 1990 के कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं । अतः प्रश्नगत प्रकरण में प्रमुख अभियंता (यांत्रिक) को प्रारंभिक जांच हेतु निर्देश दिए गए हैं ।

शेष का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव

53--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं योजनावधि में प्रदेश में नये मेडिकल कालेज खोले जाने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए नये मेडिकल कालेज खोलने के बजाय वर्तमान मेडिकल कालेजों का ही सुदृढ़ीकरण किया जाय ।

54—श्री यशवन्त—

(6वें सोम में अता0 प्र0 सं0 196 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग से स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आये सिविल अभियन्ताओं का संविलियनकरण

55—श्री अकबर हुसैन बाबर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन एवं निदेशालय के अधिकारियों की दिनांक 30 जुलाई, 1987 की बैठक में, जिसका कि कार्यवृत्त शासन के पत्र सं0 4120/5-7-3718-86, दिनांक 31 जुलाई, 1987 द्वारा महानिदेशक को भेजा गया, में सिविल अवर अभियन्ताओं के विभाग में संविलियनकरण हेतु क्या निर्णय लिए गये थे ? दिनांक 30 जुलाई, 1987 की बैठक के कार्यमुक्त के पैरा–2 में उल्लिखित श्री सुधीर ठाकुर एवं अन्य अवर अभियन्ताओं के संविलियन हेतु निर्णय के अनुसार लो0 नि0 वि0 सचिव से सहमति कब प्राप्त की गयी ? यदि नहीं, तो ऐसे अवर अभियन्ताओं को गत तीन वर्ष में मूल विभाग में वापस भेजने की क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक उन्हें वापस भेजा जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस—

उक्त बैठक में संविलियन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये थे—

(1) श्री सुधीर ठाकुर के सहायक अभियंता के पद पर संविलियन करण के सम्बन्ध में यह विचार किया गया कि चूंकि वे इस पद के लिये निर्धारित शैक्षिक अर्हता नहीं रखते हैं, उनका संविलीनीकरण इस पद पर नहीं हो सकता है । यदि वे अवर अभियंता के पद पर संविलीनीकरण हेतु सहमति दें तो उनके पैतृक विभाग का सहमति से विचार किया जा सकता है ।

(2) श्री एन0 सी0 गंगवार के मामले में यह बताया कि वे 1962 से विभाग में निरन्तर कार्यरत हैं तथा निदेशक ने उन्हें वर्ष 1980 में पद पर स्थायी करते हुये सार्वजनिक निर्माण विभाग का लियन समाप्त करने के लिये लिख दिया था । अतः यह निर्णय लिया गया कि उन्हें विभाग में संविलीन हुआ माना जाय और उन्हें 1962 से वरिष्ठता दी जाय । लोक निर्माण विभाग से सहमति नहीं प्राप्त की गयी किन्तु प्रश्न में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन के संबंधित विभागों से परामर्श प्राप्त किया जा रहा है ।

प्रदेश के चिकित्साधिकारी कार्यालयों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों की प्रोन्नति ।

56—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा विभाग के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों को शासन द्वारा प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन उन्हें प्रोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

मामला विचाराधीन है ।

श्री दूधनाथ, ग्राम टेड़वा कुटी, जनपद महराजगंज द्वारा स्थापित उद्योग का पंजीकरण

57—श्री सुखवीर सिंह गहलौत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री दूधनाथ गुप्त, ग्राम टेडवा कुटी, पो0 महाराजगंज, जिला महाराजगंज, द्वारा ग्राम टेडवा कुटी में ही स्थापित की गई फैक्टरी आयल मिल, फ्लोर मिल एवं चूड़ा उद्योग पंजीकृत है ? यदि नहीं तो क्या सरकार सम्पूर्ण प्रकरण की जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं । यह इकाई उद्योग विभाग में पंजीकृत नहीं है ।

पंजीकरण हेतु प्रार्थी ने अभी आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

58—श्री सुबाष—

(5वें बुध में अतारांकित प्रश्न सं0 172 के अन्तर्गत स्थानान्तरित) ।

हापुड़ नगर में रामपुर रोड स्थित चमड़ा एवं हड्डी मिल के स्थानान्तरण की कार्यवाही

59—श्री गजराज सिंह—

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 10 फरवरी, 1989 पत्र सं0 3977/45-31 (4) प्रनि-86 को श्री जी0 गणेश, सचिव, पर्यावरण द्वारा प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को हापुड़ नगर में रामपुर रोड के समीप स्थापित चमड़ा एवं हड्डी मिल के दुर्गन्ध एवं प्रदूषण के कारण उसे अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

चमड़ा एवं हड्डी मिलों के स्थानान्तरण हेतु अभी तक उपयुक्त स्थल उपलब्ध न होने के कारण इन्हें स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है ।

नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर के अन्तर्गत कतिपय जनपदों में ऊर्जीकृत नलकूपों द्वारा सिंचाई

60—श्री ओम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि नलकूप निर्माण खण्ड, गोरखपुर के अन्तर्गत जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व देवरिया में ऊर्जीकृत नलकूपों द्वारा सिंचाई नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 व 1989-90 में ऊर्जीकृत नलकूपों द्वारा कितनी सिंचाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर व देवरिया में वर्ष 1988-89 में 63 एवं वर्ष 1989-90 में 26 राजकीय नलकूप ऊर्जीकृत हुए जिनमें से 39 राजकीय नलकूपों से वर्ष 1988-89 में 35 एकड़ एवं वर्ष 1989-90 में 448 एकड़ सिंचाई की गई । जनपद गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नलकूपों पर नलकूप चालक पदस्थापित नहीं किये जा सके । शेष नलकूपों की जल वितरण प्रणाली तथा अन्य कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं ।

जनपद हरिद्वार में मंगलौर व लिब्बरहेड़ी के बीच गंगा नहर की पटरी टूटने से हुई क्षति का मुआवजा दिया जाना

61—श्री काजी मोहम्मद मोहिउद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जिला हरिद्वार में मंगलौर लिब्बरहेड़ी के बीच गंगा नहर की पटरी टूट जाने से सैकड़ों किसानों का लगभग डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान हो गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त किसानों को उनकी फसलों का मुआवजा कितना और कब तक दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जिला हरिद्वार में मंगलौर व लिब्बरहेड़ी के बीच दिनांक 4 जून, 1990 को ऊपरी गंगा नहर की दायीं पटरी टूट जाने से लगभग 309 कृषकों के 237.85 एकड़ क्षेत्र का नुकसान हुआ है। नुकसान के मूल्य का आंकलन कार्य प्रगति पर है।

पटरी टूट जाने के कारण प्रभावित क्षेत्र व फसलों का आंकलन कर लिया गया है। मुआवजे के मूल्य का आंकलन कृषि विभाग से क्षतिग्रस्त फसलों की दरें प्राप्त हो जाने पर किया जा सकेगा तथा मुआवजे के वितरण की कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिये समय इंगित करना सम्भव प्रतीत नहीं होता है।

62—श्री उमानाथ—

(7वें गुरुवार के लिये स्थगित।)

63—श्री उमा नाथ—

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।)

जनपद आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल के शव विच्छेदन कक्ष में लाशों के रखने हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने की मांग

64—श्री बदन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में स्थित शव विच्छेदन कक्ष में लाशों को रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो शव विच्छेदन कक्ष की दशा सुधारने के लिये विभाग ने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की है?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में डाक्टर नियुक्त किये जाने की मांग

65—श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जिला पिथौरागढ़ के महिला अस्पताल में गत तीन महीने से एक भी डाक्टर नहीं है? यदि हां, तो मंत्री जी डाक्टर की नियुक्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में एक्स-रे टेक्निशियन की रिक्ति, प्रशिक्षण एवं नियुक्ति की जानकारी

66—श्री राम प्रसाद सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वास्थ्य विभाग में प्रदेश में एक्स-रे टेक्निशियन के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? क्या इन रिक्त पदों को भरा जायेगा? यदि हां तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विभाग में एक्स-रे टेक्निशियन के प्रशिक्षण की व्यवस्था है? यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षित एक्स-रे टेक्निशियन बेरोजगार हैं उनको खपाने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां। 16 पद।

वर्तमान में शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध है

जी हां । स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से एक्स-रे टेक्निशियन का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाता है । विभाग द्वारा प्रचलित नीति नियमों के अन्तर्गत रिक्तियों की स्थिति के अनुसार पदों पर चयन किया जाता है ।

प्रदेश में सिंचाई विभाग में प्रोन्नति नीति का निर्धारण

67—श्री राम करन आर्य—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ सहायक की प्रोन्नति कर पदस्थापना मुख्यालय तथा बाहर किये जाने की कोई नीति निर्धारित है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

प्रमुख अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 18 मई, 1987 के द्वारा अनुसचिवीय अधिष्ठान के कर्मचारियों की प्रोन्नति कर पदस्थापना मुख्यालय तथा बाहर किये जाने की नीति निर्धारित है ।

जनपद हरदोई की सण्डीला तहसील में शकर वितरण का निर्धारित मानक

68—श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जनपद के तहसील सण्डीला के गांवों में 250 ग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से शकर न देकर केवल 100 ग्राम प्रति कार्ड शकर वितरित की जा रही है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या यह भेद-भाव दूर किया जायेगा और शहरों की तरह प्रति यूनिट 1 किलोग्राम शकर प्रति व्यक्ति देने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

जी नहीं । हरदोई जनपद की तहसील सण्डीला के गांवों में निर्धारित मानक 250 ग्राम प्रति यूनिट प्रति माह की दर से चीनी का वितरण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वर्तमान परिस्थिति में अभी सम्भव नहीं है ।

भारत सरकार से अतिरिक्त चीनी के आवंटन की प्राप्ति पर ही वर्तमान मानक में परिवर्तन सम्भव हो सकेगा ।

मलपुरा माइनर, छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद के सर्विस रोड के निर्धारित मानक के अनुसार पक्का कराया जाना

69—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मलपुरा माइनर, छिबरामऊ, जनपद फर्रुखाबाद के सर्विस रोड को पक्का कराने का कार्य स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो क्या यह कार्य अब तक पूरा नहीं है तथा जो कार्य हुआ भी है वह मानक के अनुसार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच कराकर इस कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, मलपुरा माईनर की 4.02 कि0मी0 सर्विस रोड पर कंकड़ मैटलिंग का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना फर्रुखाबाद के अन्तर्गत माह मार्च, 1989 में स्वीकृत हुआ था ।

जी हां, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा धनाभाव के कारण स्थगित है । कार्य पूर्ण होने पर मानक से तुलना किया जाना उचित होगा । शेष कार्य जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद से धन प्राप्त होने पर मानक के अनुसार पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अभियन्ताओं के उत्पीड़न के आरोप की जांच

70—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि अभियन्ताओं के उत्पीड़न रोकने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24 अप्रैल, 1990 पर निदेशक (शासन) द्वारा अपर निदेशक नियोजन को जांच अधिकारी नियुक्त करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो जांच कब शुरू की गई एवं क्या जांच पूरी कर ली गई है ? जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये ? दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पुरुषोत्तम लाल, अधिशासी अभियन्ता, गंडक नहर निर्माण खण्ड–10, जिला देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत की टी0ए0सी0 द्वारा जांच एवं कृत कार्यवाही

71—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पुरुषोत्तम लाल, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–10, जिला देवरिया के भ्रष्टाचार, अनियमित कार्यों के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 18 अप्रैल, 1990 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रकरण में प्रश्नकर्तागण का पत्र दिनांक 26 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ है जिस पर मेरे दिनांक 18 अप्रैल, 1990 के आदेशानुसार मामले की जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग को निर्देश दे दिये गये हैं ।

72—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पुरुषोत्तम लाल, अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–11, जिला देवरिया के विरुद्ध दिनांक 18 अप्रैल, 1990 को टी0ए0सी0 से जांच करने तथा स्थानान्तरण करने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो जांच कौन कर रहा है तथा स्थानान्तरण कहां किया गया है ।

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रकरण में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26 मार्च, 1990 प्राप्त हुआ है जिस पर मेरे दिनांक 18 अप्रैल, 1990 के आदेशानुसार मामले की जांच हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, सिंचाई विभाग को निर्देश दिये गये हैं । उल्लेखनीय है कि उक्त शिकायत अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–10 के विरुद्ध है न कि अधिशासी अभियन्ता, गण्डक नहर निर्माण खण्ड–11 के विरुद्ध स्थानान्तरण का अभी औचित्य नहीं पाया गया ।

जनपद बलिया के मठधज्ज गिरी एवं शोभा छपरा के बीच नाले पर पुल के निर्माण की मांग

73—श्री भोला पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1983–84 में जिला योजना में मठधज्ज गोरी एवं शोभा छपरा गांव, जो जनपद बलिया में पड़ता है, के बीच के नाले पर पुल निर्माण की योजना है । यदि हां, तो किन परिस्थितियों में उसका निर्माण नहीं हुआ ? क्या निकट भविष्य में उक्त पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री रेवती रमण सिंह--

बलिया जनपद के ग्राम मठधज्जू गौरी एवं शोभा छपरा के बीच बहने वाले प्राकृतिक नाला के ऊपर पुल के निर्माण का प्राक्कलन जिला परिषद्, बलिया द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी, बलिया को प्रस्तुत की गई, परन्तु योजना की स्वीकृति एवं धन आवंटन न होने के कारण उक्त पुल का निर्माण नहीं किया जा सका ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय स्थित डिस्पेंसरी में औषधि आपूर्ति में की गयी औषधि बिल में कटौती की अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल द्वारा जांच

74--डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स जायसवाल मेडिकल स्टोर, नरही, लखनऊ के के विरुद्ध अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ने वर्ष 1988-89 में सचिवालय स्थित डिस्पेंसरी में आपूर्ति की गई औषधियों हेतु बिलों से भारी धनराशि की कटौती किये जाने की शिकायत की है ? यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

अपर निदेशक, लखनऊ मण्डल ने अपनी निरीक्षण आख्या में यह उल्लेख किया था कि सचिवालय स्थित डिस्पेन्सरी में आपूर्ति की गयी औषधियों के बिलों में कटौती की गयी है जिसके परीक्षण की आवश्यकता है ।

इस विषय वस्तु की महानिदेशक के आदेशानुसार विशेष सम्प्रेक्षा दल द्वारा जांच कराई जा रही है । सम्प्रेक्षा रिपोर्ट की संस्तुति के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

75--श्री श्याम बिहारी सिंह--

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

76--श्री अकबर हुसैन बाबर--

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा परिवहन कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये हस्ताक्षर सम्बन्धी आदेश एवं अनुपालन

77--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि संयुक्त निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ द्वारा परिवहन कर्मचारियों की उपस्थिति के लिये हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में कोई विभागीय आदेश संख्या 12-फा/1,2,3 दिनांक 6 जनवरी, 1990 जारी किया गया था ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि उपरोक्त आदेशों का अनुपालन न करने के विरुद्ध विधायकगण के महानिदेशक/निदेशक प्रशासन अथवा अपर निदेशक, नियोजन, स्वास्थ्य भवन को कोई शिकायती-पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1990 व 27 मार्च, 1990 प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुख्तार अनीस--

जी हां ।

पत्रों की खोज की जा रही है किन्तु प्रश्नगत आदेशों का अनुपालन कराया जा रहा है ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड अतरौली के जादोपुर माइनर पर पुल निर्माण

78—श्री कल्याण सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम जादोपुर और खेड़िया रफातपुर, विकास खण्ड अतरौली, जिला अलीगढ़ के बीच जादोपुर–माइनर (राजबहा) पर सार्वजनिक आवागमन हेतु पुल के निर्माण के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर खण्ड–19, निर्माण शाखा, अलीगढ़ के नाम सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का दिनांक 3 फरवरी, 1990 का पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां, प्रश्नगत पुल हेतु सर्वेक्षण कराया गया है । पुल का निर्माण जादोपुर माइनर के निर्माण के साथ करा दिया जायेगा ।

जनपद मथुरा स्थित गोबर्धन नाले की सफाई में व्यय धनराशि का भुगतान

79—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि मथुरा स्थित गोबर्धन नाले की सफाई कार्य का श्री गौड़ एवं अन्य युवा ठेकेदारों का वर्ष 1985 का लगभग 6 1/2 लाख रुपये जिसका एग्रीमेंट सं0 47/ए0सी0/ए–4 तथा सं0 44 यू0ए0सी0–4, 16 मार्च, 1985 एवं 13 मई, 1985 को हुआ था, अभी तक भुगतान नहीं किया गया है ? इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी उक्त भुगतान यथाशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

मथुरा स्थित गोबर्धन नाले की सफाई कार्य हेतु वर्ष 1984–85 में 11 अनुबन्ध (2 ईई/84,–85 से 12-ईई 84–85) तथा वर्ष 1985–86 में 5 अनुबन्ध (1-ईई 85 86 से 5-ईई/85–86) हुये थे । इनमें से श्री गौड़ (हर्ष गौड़) के नाम अनुबन्ध संख्या 9-ईई/84-85, दिनांक 16 मार्च 1985 एवं अनुबन्ध संख्या 4–ईई/85–86, दिनांक 13 मई, 1985 हुये थे । इनकी धनराशि क्रमशः 2,13,890 एवं 1,97,640 रुपये कुल रुपये 4,11,530 थी । एग्रीमेन्ट सं0 47/ए0सी0/ए–4 तथा सं0 44-यू0ए0सी0ए0–4, दिनांक 16 मार्च, 1985 व 13 मई, 1985 नाम का कोई एग्रीमेन्ट नहीं था ।

उक्त अनुबन्धों के विरुद्ध श्री गौड़ एवं अन्य किसी ठेकेदार का भुगतान शेष नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के श्री मुन्ना लाल, लिपिक के बकाये के भुगतान की जानकारी

80—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुन्ना लाल लिपिक के बकाया भुगतान संबंधी पत्र उनके कार्यालय से पत्रांक 213, दिनांक 16 जनवरी, 1990 प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है । क्या उनका बकाया भुगतान करा दिया गया है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

श्री मुन्ना लाल के बकाया भुगतान संबंधी पत्र दिनांक 16 जनवरी, 1990 को नहीं बल्कि 11 जनवरी, 1990 को प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेजा गया है । श्री मुन्ना लाल एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, जिन्हें उनके द्वारा विभिन्न अवधियों में की गयी सेवा के लिये वेतन का भुगतान किया जा चुका है ।

दोहरीघाट नहर पर भारी वाहन के आवागमन हेतु पुल निर्माण की मांग

81—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे दोहरीघाट नहर पर भारी वाहन निकलने हेतु पुल बनवाने के संबंध में उनके कार्यालय से पत्रांक 1691, दिनांक फरवरी, 1990 जो सचिव, सिंचाई विभाग को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेवती रमण सिंह—

प्रश्नगत नहर पर पुल निर्माण संबंधी मा0 विधायक का पत्र सचिव, सिंचाई विभाग को संदर्भित पत्रांक 1691, दिनांक फरवरी, 1990 द्वारा नहीं भेजा गया है। अतः शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या एवं प्रस्तावित चिकित्सालयों का निर्माण

82—श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं ? कितने नये चिकित्सालय प्रस्तावित हैं ? प्रस्तावित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र में दो राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कार्यरत हैं। जिला योजना वर्ष 1990-91 में इस क्षेत्र के लिये तीन नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नये चिकित्सालयों की स्थापना के लक्ष्यों की पूर्ति संभव होती है। भवनों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सिंचाई खन्ड प्रथम, इलाहाबाद में महरौड़ा माइनर के निर्माण कार्य की जानकारी

83—श्री नजपुद्दीन—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई खन्ड प्रथम, इलाहाबाद में महरौड़ा माइनर का सिंचाई कार्य वर्ष 86-87 से चल रहा है किन्तु उसका निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण पूरा न होने का क्या कारण है ? यह कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

महरौड़ा माइनर से सिंचाई नहीं हो रही है। इसका निर्माण कार्य अभी अपूर्ण है। माइनर के समरेखन व स्वीकृत लम्ब छिन्नक पर पुनः अवलोकन की आवश्यकता तथा माइनर के निर्माण में अब तक किये गये कार्यों के निम्न स्तर के पाये जाने के फलस्वरूप प्रस्तावित जांच के कारण प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है।

उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् ही निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

श्रीनगर (गढ़वाल) में बेस अस्पताल के नाम परिवर्तन की मांग

84—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीनगर (गढ़वाल) में बेस अस्पताल ने सुचारुरूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शासन जनभावना के अनुरूप इस अस्पताल का नाम स्वर्गीय श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के नाम पर रखने पर विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

श्री नगर बेस चिकित्सालय आंशिक रूप से कार्य कर रहा है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

वरिष्ठ चिकित्साधीक्षक, चिकित्सालय, सुल्तानपुर द्वारा की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच

85—श्री राज किशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1989 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 17 रिक्तियों पर किए गए चयन के उपरान्त बनाई गई सूची के क्रमानुसार नियुक्तियां कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

केवल 9 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियां की गयीं जो अनियमित हैं। इस संबंध में जांच करायी जा रही है।

चमोली जनपद के कतिपय लिफ्ट सिंचाई योजनाओं द्वारा की गयी सिंचाई की जानकारी

86—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं मंठा, बमोथ, तिलवाड़ा एवं कोठगी में निश्चित सिंचन क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पानी चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी नहीं।

प्रश्नगत लिफ्ट योजनाओं में विद्युत् आपूर्ति नियमित न रहने तथा वोल्टेज कम रहने कारण पम्प सेट्स पूरी क्षमता से नहीं चल पाते हैं जिसके कारण क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई नहीं हो पाती। विद्युत् आपूर्ति में सुधार करने हेतु विद्युत् विभाग के अधिकारियों को निदेशित कर दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील स्थित पब्लिक नलकूप संख्या 167 में सुधार किया जाना

87—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप संख्या 167 तहसील सगड़ी में सुधार के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 जनवरी, 1990 अधिशासी

अभियन्ता नलकूप, आजमगढ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 200 मीटर पाइप लाइन का विस्तार एवं 2 व कुलाबों का निर्माण कराना है जिसके लिये रु0 15000–00 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित अवर अभियन्ता तथा नलकूप मिस्त्री को नलकूप के नियमित निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। नलकूप पर नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु विद्युत विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल में कुलाबों लगाने की कार्यवाही

88—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल में गुल के निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता के कथित पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 में उल्लिखित गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिये कुलाबे लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद आजमगढ कन सगड़ी तहसील के गंगापुर ग्राम में दोहरी घाट लिंक कैनाल पर पुल निर्माण की मांग

89—श्री पंचायनन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की दोहरीघाट लिंक कैनाल पर ग्राम गंगापुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ में पुलिया निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 19 दिसम्बर, 1989 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में दोहरीघाट लिंक नहर के किमी0 42.00 के पास पुल की मांग की गई है। दोहरीघाट लिंक नहर के कि मी 41.648 तथा कि मी0 42.240 पर ग्रामीण पथ सेतु पूर्व में निर्मित है अतः कि मी0 42.00 के पास पुल के निर्माण का औचित्य नहीं पाया गया है।

जनपद नैनीताल के भाखड़ा से मोहान तक स्थित नालों से बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षा योजना

90—श्री किशन सिंह तड़ागी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामनगर ब्लाक, जनपद नैनीताल में भाखड़ा से मोहान तक लगभग 50 छोटे–बड़े नाले पड़ते हैं जो कि बरसात में बाढ़ का रूप धारण कर काश्तकारों की फसल व घरों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं ? क्या मंत्री जी इन नालों पर बन्धा बनाकर काश्तकारों को इससे छुटकारा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

रामनगर ब्लाक में भाखड़ा से मोहान तक लगभग 50 नाले पड़ते हैं । कुछ नालों में जिनमें कृषि योग्य भूमि का कटाव अधिक था, भूमि संरक्षण विभाग, नैनीताल द्वारा कार्य कराये गये हैं तथा शेष नालों में उनके द्वारा योजनायें प्रस्तावित हैं । सिंचाई विभाग द्वारा नदी व नालों पर संसाधनों के अनुरूप बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये जाते हैं । प्रश्नगत क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा समय-समय पर विभिन्न ग्रामों हेतु 27 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं का निर्माण किया गया है तथा 3 योजनायें निर्माणाधीन हैं ।

जनपद देवरिया में परिवार नियोजन/परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु व्यय धनराशि की जानकारी की मांग

91—श्री स्वामी नाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में परिवार नियोजन/परिवार कल्याण कार्यक्रम किस वर्ष से लागू किया गया तथा जनपद देवरिया में उक्त कार्यक्रम हेतु अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

श्री मुख्तार अनीस—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र, नरैनी में कतिपय नदियों से लिफ्ट पम्प कैनाल निकालने हेतु किये गये सर्वेक्षण की जानकारी

92—डा0 सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में सन् 1977 से अब तक रेंज नदी, बागे नदी एवं केन नदी से कितने लिफ्ट पम्प कैनाल का सर्वेक्षण कराया गया उनके अलग-अलग स्थान एवं नाम क्या हैं ? इनमें कितने निर्माण के लिये स्वीकृत हैं ? उनका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के नरैनी तहसील में रेंज संज (रेंज) नदी में जल उपलब्धता संदिग्ध होने के कारण कोई सर्वे नहीं कराया गया । बागे (बधेन) नदी पर काजीपुर, नेस्वा (निधवा) नौगवां, तौहार, कुरारी ग्रामों में लिफ्ट नहर के प्रस्ताव हेतु सर्वेक्षण कराया गया । इसके अतिरिक्त मसौनी पम्प नहर जो मसौनी ग्राम के निकट है, का सर्वेक्षण कराया गया केन नदी पर विन्ध्याचल रायपुर, कोलावल लिफ्ट नहर के प्रस्ताव हेतु भी सर्वेक्षण कराया गया ।

मसौनी पम्प नहर परियोजना डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत 29.44 लाख रुपये की वर्ष 1978 में स्वीकृत की गयी थी । अन्य के निर्माण की स्वीकृति नहीं है ।

मसौनी पम्प नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1979–80 में मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) के नियंत्रण में प्रारम्भ किया गया था । डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत पर्याप्त धन उपलब्ध न होने के कारण यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में नियुक्त महिला डाक्टरों की संख्या एवं देखे गये रोगियों का विवरण

93—श्री पंचानन राय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ के महिला विभाग में कौन-कौन सी महिला डाक्टर नियुक्त हैं ? प्रत्येक महिला डाक्टर ने एक जनवरी, 1989 से 31 मार्च, 1990 तक प्रति दिन अलग-अलग कितने रोगियों को ओ0 पी0 डी0 में देखा ?

श्री मुख्तार अनीस—

प्रश्नगत अवधि में जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में निम्न महिला चिकित्साधिकारी तैनात रहे—

1—डा0 (श्रीमती) बी0 कुमार, अधीक्षिका ।

2—डा0 (श्रीमती) आर0 डी0 सिंह, सीनियर गायनोकलोजिस्ट ।

3—डा0 (श्रीमती) बी0 सिन्हा, गायनाकलोजिस्ट ।

4—डा0 (श्रीमती) मधु लाल, चिकित्सा अधिकारी ।

5—डा0 (श्रीमती) स्वस्ति सिंह, चिकित्साधिकारी ।

उपर्युक्त महिला चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रति दिन ओ0 पी0 डी0 में देखे गये रोगियों का अलग-अलग विवरण संलग्न है ।*

जनपद देहरादून में यमुना सिंचाई निर्माण मण्डल के सिंचाई निर्माण खण्ड (प्रथम) डालीपुर द्वारा निर्माणाधीन सड़क की मिट्टी खुदाई का कार्य

94—श्री चरन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना सिंचाई निर्माण मण्डल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खण्ड (प्रथम) डालीपुर द्वारा खारा शक्ति नहर के हेड रेगुलेटर से लगभग 80 मीटर दक्षिण की ओर निर्माणाधीन रोड पर मिट्टी खुदाई का कार्य विभाग की अर्थ मूविंग मशीनों द्वारा कराया गया है ? क्या उक्त कार्य हेतु लाखों रुपये का भुगतान ठेकेदार को किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी तथा दोषी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रश्नगत मिट्टी की खुदाई खारा शक्ति नहर के हेड रेगुलेटर से लगभग 80 मीटर दक्षिण की ओर न होकर 200 मीटर दक्षिण की ओर है । खुदाई शक्ति नहर के कि0 मी0 0.90 से 0.961 तक मिट्टी की खुदाई दो चरणों में की गई थी, पहले विभागीय मशीनों द्वारा तथा उसके उपरान्त एक अनुबन्ध द्वारा जिसमें अनुबन्ध नहर की लाइनिंग का था तथा लाइ-

* छापी नहीं गयी ।

निंग के लिये जिस खुदाई की आवश्यकता होती है जो मिट्टी तलो में मशीनों द्वारा नहीं उठाई जा सकती थी उसको अनुबन्ध में सम्मिलित किया गया था । विभागीय मशीनों द्वारा मिट्टी की खुदाई दिनांक 10 अक्तूबर, 1988 से 31 मार्च, 1989 तक की गई थी ।

विभागीय मशीने हट जाने पर दिनांक 24 मई, 1989 को एक अनुबन्ध शेष मिट्टी तथा लाइनिंग के कार्य के लिये किया गया था । इस अनुबन्ध के अन्तर्गत मिट्टी की खुदाई दिनांक 24 मई, 1989 से 15 अप्रैल, 1990 तक की गई जो 6,564.633 घ0 मी0 आती है ।

इस प्रकार खारा शक्ति नहर के कि0 मी0 0.907 से 0.961 तक कुल 29147.537 घ0 मी0 मिट्टी की खुदाई की गई जिसमें से 22,582.904 घ0 मी0 विभागीय मशीनों द्वारा तथा शेष 6,564.633 घ0 मी0 अनुबन्ध माध्यम से कराई गई थी । जो खुदाई विभागीय मशीनों द्वारा कराई गई है उसका भुगतान के ठेकेदार को करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई निर्माण मण्डल, देहरादून के सिविल निर्माण खण्ड (प्रथम), डालीपुर द्वारा खारा शक्ति नहर की सुरंगों का किया गया ग्राउंडिंग का कार्य

95—श्री चरन सिंह तथा श्री दशरथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि यमुना सिंचाई निर्माण मण्डल, देहरादून के सिंचाई निर्माण खण्ड (प्रथम), डालीपुर के अन्तर्गत खारा शक्ति नहर के कि0 मी0 3 से 4 के बीच निर्माणाधीन अण्डर ग्राउन्ड टनल की ग्राउंडिंग में अधोमानक स्तर का कार्य कराकर करोड़ों रुपये की अनियमितता की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की टेक्निकल जांच कराकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सिंचाई निर्माण मण्डल, देहरादून के सिविल निर्माण खण्ड (प्रथम,) डालीपुर के अन्तर्गत खारा शक्ति नहर के कि0 मी0 3 से 4 के बीच निर्माणाधीन सुरंगों की ग्राउन्डिंग का कार्य अनुबन्ध की शर्तों विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जा रहा है । इसमें अभी तक 3 लाख रुपये से भी कम का भुगतान हुआ है । कार्य का तकनीकी निरीक्षण प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ द्वारा माह मार्च, 1990 में किया जा चुका है तथा कार्य सन्तोषजनक पाया गया । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के अवशेष वेतन का भुगतान

96—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, जिला अस्पताल, पीलीभीत में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी को नये वेतनमान का एरियर 1986 से अवशेष का (नये स्केल) भुगतान अभी तक न किये जाने के क्या कारण है ? इसके लिये दोषी कौन है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

डा0 उदित प्रताप सिंह, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, पीलीभीत का नये वेतनमान का 1986 से अवशेष वेतन का भुगतान किया जा चुका है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा में साड़ी उद्योगों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की मांग

97—श्री रविकान्त गर्ग—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में विकसित साड़ी उद्योग पर लगे अवैधानिक प्रतिबन्धों तथा जिला उद्योग प्रमाण-पत्र दिये जाने के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षर द्वारा उनको तथा उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश को कोई मांग-पत्र दिनांक 3 मार्च, 1990 या उसके

आस-पास दिया गया था ? यदि हां, तो उसमें मुख्य मांगें क्या हैं ? इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या लघु इकाइयों को रुग्ण होने से बचाने हेतु प्रतिबन्ध हटाने पर मंत्री जी विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सिद्धार्थनगर जिले के लेवड़ताल और धंवर ताल नाले के पानी की निकासी

98—श्री जय प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत तहसील बांसी में फजिहतवा नाले की खुदाई कराकर चवरताल में जल जमाव को समाप्त करने का आश्वासन विधान सभा में माननीय मंत्री जी ने 17 मई, 1978 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–4 के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रेवती रमण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश में सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश

99—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का सिंचाई मंत्री को सम्बोधित पत्रांक–1463/जद/90, दिनांक 24 अप्रैल, 1990 संलग्नकों समेत मिल गया है ? यदि हां, तो प्रश्नगत पत्र के साथ संलग्न प्रार्थना-पत्रों में सिंचाई विभाग से सम्बन्धित विभिन्न निर्माण कार्यों सम्बन्धी बिन्दुओं पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी और सारे कार्यों को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री रेवती रमण सिंह—

जी हां ।

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है ।

परिवार कल्याण निदेशालय कार्यशाला हेतु कर्मचारियों की मांग

100—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि परिवार कल्याण निदेशालय कार्यशाला हेतु कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में महानिदेशक, निदेशक प्रशासन एवं उप निदेशक (प्राविधिक) को प्रेषित परिवार कल्याण निदेशालय के पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 1989, 1 जनवरी, 1990 तथा 31 जनवरी, 1990 महानिदेशालय में प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां । उक्त पत्रों द्वारा मांगे गये कर्मचारियों को सम्बद्धता का औचित्य न पाते हुये महानिदेशालय के पत्र दिनांक 10 जुलाई, 1990 द्वारा तदनुसार निदेशक, परिवार को सूचित कर दिया गया है ।

क्षेत्रीय परिवहन कार्यशालाओं हेतु कर्मचारियों की व्यवस्था की मांग

101—श्री श्याम बिहारी सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यशालाओं के लिये कर्मचारियों की व्यवस्था हेतु आगरा सहित अन्य क्षेत्रीय कार्यशालाओं के सहायक अभियन्ताओं से दिनांक 27 मार्च, 1990 तथा उसके आस-पास की अवधि में निदेशक (प्रशासन) एवं उप निदेशक (प्राविधिक), स्वास्थ्य भवन को मांग पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुख्तार अनीस—

पत्र की खोज की जा रही है ।

महानिदेशालय शिविर कार्यशाला से सम्बद्ध कर्मचारियों को हटाये जाने की मांग

102—श्री श्याम बिहारी सिंह—

उपरोक्त के क्रम में क्या मंत्री जी बतायेंगे कि महानिदेशालय शिविर कार्यशाला से फालतू सम्बद्ध (अटैच्ड) कर्मचारियों को वापस क्षेत्रों आदि में भेजने के सम्बन्ध में शासन द्वारा 14 दिसम्बर, 1989 की बैठक में लिये गये निर्णय (जो 20 दिसम्बर, 1989 के पत्र द्वारा निदेशक को सूचित किये गये) पर निदेशक (प्रशासन) एवं उप निदेशक (प्राविधिक) व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? किन-किन सम्बद्ध कर्मचारियों को महानिदेशालय से अन्यत्र क्षेत्रों एवं परिवार कल्याण निदेशालय आदि में भेज दिया गया है ।

श्री मुख्तार अनीस—

जी नहीं ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिल्सी, जनपद बदायूं के मृतक नर्सिंग असिस्टेन्ट के देय अवशेषों का भुगतान

103—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि श्री त्रिलोक सिंह, जो राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिल्सी, जनपद बदायूं में नर्सिंग असिस्टेन्ट के पद पर कार्यरत थे और जिनका राजकीय सेवा में कार्यरत रहते हुये ही दिनांक 4 जनवरी, 1982 को देहान्त हो गया था, की विधवा श्रीमती भुवनेश्वरी देवी, निवासिनी ग्राम बागवान, पत्रालय श्री नगर-गढ़वाल, जिला पौड़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) को अभी तक ग्रेच्युटी, जी0पी0एफ0 पर बीमा, बचे हुये अर्जित अवकाश का वेतन नहीं मिला है ? यदि है, तो उक्त का भुगतान इन्हें कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी0पी0एफ0 तथा सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है । अन्य अवशेष देयों के भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है तथा शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायगा ।

राजकीय चिकित्सालय, मिलक, जनपद रामपुर में रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति की मांग

104—श्री अनिल कुमार भारद्वाज—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि राजकीय चिकित्सालय, मिलक, जनपद-रामपुर लगभग दो वर्ष पूर्व एक्स-रे मशीन स्थापित की गयी थी ? क्या उसको चलाने हेतु किसी रेडियोलाजिस्ट की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो चिकित्सक की नियुक्ति एवं वेतन हेतु धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां,

उक्त चिकित्सालय में अभी रेडियोलाजिस्ट का पद स्वीकृत नहीं है । एक्सरे मशीन चलाने हेतु एक्स-रे टेक्नीशियन की तैनाती कर दी गई है ।

राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग में तैनात चिकित्साधिकारियों के स्थायीकरण की मांग

105—श्री चरन सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग में वेतनक्रम (2,200-4,000) में कितने चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं तथा अब तक कितने चिकित्सा अधिकारी के पद स्थायी हैं उनके विपरीत कितने चिकित्सा अधिकारियों को अब तक शासन द्वारा स्थायी किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब का क्या कारण है तथा तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले अधिकारियों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग में वेतनक्रम (2,200–4,000) में 3075 चिकित्साधिकारी तैनात हैं ? इस वेतन क्रम में चिकित्साधिकारी के 1287 पद स्थायी हैं । इन समस्त स्थायी पदों के विरुद्ध पदधारकों को स्थायी किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है और शीघ्र ही पद धारकों को स्थायी कर दिया जायेगा ।

माननीय मंत्रीगण, विधायकों, शासन तथा जिलाधिकारियों से महानिदेशक, निदेशक प्रशासन के प्रेषित डाक पत्रों को गायब करने के सम्बन्ध में कतिपय विधायकों के कथित शिकायती–पत्र पर जांच

106—श्री मुक्ति नाथ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मंत्री गण, विधायकों, शासन एवं जनपद अधिकारियों से महानिदेशक, निदेशक प्रशासन को प्रेषित डाक (पत्रों) को गायब करने विषयक स्वामी नेमपाल सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल एवं श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, विधायकगण के पत्र सहित दिनांक 10 जनवरी, 1990, 11 जनवरी, 1990 एवं 29 जनवरी, 1990 महानिदेशक, निदेशक प्रशासन व अपर निदेशक, नियोजन तथा निदेशक, परिवार कल्याण को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण की जांच कराई जायेगी एवं दोषी को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेंहदावल, जनपद बस्ती के चिकित्साधिकारी द्वारा कर्मचारियों का अभिलेख हस्तान्तरित न किया जाना

107—श्री चन्द्र शेखर सिंह (बस्ती)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंहदावल के कर्मचारियों को पूरा वेतन, नगदीकरण आदि की सुविधा अभिलेखों के अभाव में नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये उत्तरदायी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस—

वेतन के अतिरिक्त अन्य देयों की सुविधा अभिलेखों के अभाव में नहीं मिल पा रही है ।

तत्कालीन प्रभारी चिकित्साधिकारी डा० एच०एन० श्रीवास्तव ने बहुत प्रयास किये जाने के पश्चात् भी अभिलेख हस्तांतरित नहीं किये जबकि वह दिनांक 29 जून, 1989 को कार्यभार मुक्त कर दिये गये थे । इस सम्बन्ध में इनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय, जौनपुर में कार्यरत स्टेनों द्वारा जनस्वास्थ्य रक्षक की फर्जी नियुक्ति की जांच एवं कृत कार्यवाही की जानकारी

108--श्री अकबर हुसैन बाबर--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976 में मु0 चि0अ0, जौनपुर के कार्यालय में कार्यरत स्टेनों श्री सभानन्द सिंह द्वारा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर जन-स्वास्थ्य रक्षक की नयी नियुक्ति के संबंध में एस0डी0एम0 एवं जिलाधिकारी ने जांच करके श्री सभानन्द सिंह की सेवाएं समाप्त करने तथा दण्डात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुख्तार अनीस--

प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 1989-90 का है और तत्कालीन मुख्य चिकित्साधिकारी तथा मुख्य लिपिक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके कार्यालय में अभी सम्बन्धित अभिलेखों की खोज की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग जनपद आगरा में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण

109--श्री कृष्ण कुमार नवमान--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग, जनपद आगरा में ऐसे कितने लिपिक कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका 15 वर्ष से स्थानान्तरण नहीं हुआ है और उन्हें एक ही स्थान पर कार्यरत रहते 15 वर्ष से अधिक समय हो चुका है ? शासन की नीति के अनुसार इनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुख्तार अनीस--

आगरा जनपद में कुल 7 लिपिक 15 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत थे जिनमें से 4 का स्थानान्तरण कर दिया गया है। शेष 3 लिपिकों के स्थानान्तरण के संबंध में आगामी स्थानान्तरण सत्र में यथा समय विचार किया जायेगा।

(12 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ?

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट मा0 पाण्डेय जी। हां, अब बोलें।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हम सब इस माननीय सदन के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित, प्रदेश से संबंधित और सरकार से संबंधित प्रश्न आपके कार्यालय में प्रेषित करते हैं और वह प्रश्न स्वीकार हो जाने के बाद निश्चित तिथि को कार्यसूची पर आने के लिये आप उसका निर्धारण कर देते हैं। तिथि के निर्धारण के बाद मैं समझता हूं कि जितना हमारा उत्तरदायित्व है उतना आपका भी उत्तरदायित्व है कि निश्चित अवधि की सीमा में उसका उत्तर दिलाया जाय। आज की कार्यसूची आप देखें जिसमें नत्थी (घ) में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्न लगा हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं मिल पाया उसका कारण यह है कि एक प्रश्न के उत्तर में पूरे सदन के सदस्य उत्तेजित हो गये और इससे पूरा सदन अव्यवस्थित हो गया और माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को स्थगित कर दिया और हमारा प्रश्न जो 12-20 तक आ जाता, वह नहीं आ पाया और हम अपने प्रश्न का उत्तर करने से वंचित रह गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां हमारा और सभी माननीय सदस्यों का दायित्व है कि सदन की कार्यवाही ठीक ढंग से चले वहीं यह आपका भी उत्तरदायित्व है कि सदन को ठीक ढंग से चलायें और इसके लिये नियमावली में प्राविधान है और उसके तहत आपको अधिकारों से लैस किया गया है कि अगर सदन में अव्यवस्था होती है तो आपको इसके संबंध में क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं इन सबका नियमावली में उल्लेख किया गया है ।

मान्यवर, मेरा कहना है कि अगर इसके लिये नियमावली में प्राविधान है कि आप कैसे सदन को व्यवस्थित करें तो जानबूझ कर सदन को व्यवस्थित न करना, नियमों का पालन न करना और हम लोगों को अपने उत्तरदायित्व से वंचित कर देना, इन सब बिन्दुओं पर विशेषाधिकार बनता है । यद्यपि मैं विशेषाधिकार पर जोर नहीं देना चाहता किन्तु मैं आपका ध्यान आपके कर्त्तव्यों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं । यदि आपके कर्त्तव्यों के निर्वहन में नियमावली के नियमों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो आप उसको नियमावली में से निकलवा दीजिये यदि उसका पालन नहीं करना चाहते हैं । आप तो सदन के उत्तेजित होने पर सदन को स्थगित करके भाग जाते हैं । मैंने पूर्व में भी कहा था कि नियमावली में इतने अधिक अधिकार देकर नियमों से हमारे मा0 अध्यक्ष और मा0 उपाध्यक्ष को अस्त्र-शस्त्र से लैस किया गया है, लेकिन इनकी स्थिति तो उस घर के मुखिया की तरह से हो जाती है कि जब घर में चोर आता है तो वह डर के मारे अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर भाग जाता है बजाय इसके कि वह उसका प्रयोग करे । तो मान्यवर, आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार से जीरो आवर 12.20 बजे के बाद जब तक आप की मर्जी होती है और जब तक सभी की बात पूरी नहीं हो जाती है, तब तक-वह चलता रहता है । उसका कोई निश्चित समय नहीं है । उसी प्रकार से आप यह निश्चित कर दें कि जब तक 20 तारांकित प्रश्न पूरे नहीं होंगे तब तक प्रश्नों का समय समाप्त नहीं होगा या जीरो आवर को भी एक निश्चित समय में बांध दें । आप कुछ तो करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय पांडे जी और सभी सदस्यगण, कल मैंने इस बात का संकेत किया था कि सदन को व्यवस्थित चलाने के लिये, नियमानुसार चलाने के लिये सभी दलों के माननीय नेतागण की एक बैठक आहूत की गयी थी । उसमें निर्णय हुआ था कि प्रश्न काल में कोई भी व्यवस्था का प्रश्न का व्यवधान नहीं उठाया जायेगा और प्रत्येक प्रश्नकर्ता को 2 अनुपूरक प्रश्न और अन्य को 2 प्रश्न करने का मौका दिया जायेगा । इसका उद्देश्य यह था जो आज आप कह रहे हैं जितने प्रश्न सूची में हैं, उन सभी के उत्तर आ जायें । पता नहीं कौन सा प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और समयाभाव के कारण वह रह जाये । इसी बिन्दु पर निर्णय हुआ था और उस निर्णय का पालन सभी को करना चाहिये । आपने कहा कि प्रत्येक माननीय सदस्य का दायित्व है कि सदन व्यवस्थित चले और पीठ का भी दायित्व है, यह सही बात है । जब कोई निर्णय हो जाये, सभी दलों के नेताओं की बैठक हो जाये उसके उपरान्त उस निर्णय की अवहेलना सदन में हो, तो आप मुझसे क्या आशा करते हैं, पीठ क्या करे । आप मुझे सुझाव दें ?

श्री माता प्रसाद पान्डेय—

नियमावली में नियम बने हुये हैं, उनके अनुसार सदन को चलाया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

नियमावली तो बहुत बड़ी है । यह कोई सुझाव नहीं है ।

एक सदस्य—

नियम 56 के अन्तर्गत जो अपने क्षेत्र की समस्या दी थी ।

श्री अध्यक्ष—

आप नियम 56 में कहां बोल रहे हैं ?

डा0 दिनेश जोहरी—

मान्यवर नियम 311 में एक सूचना दी थी कि कुमायूं गढ़वाल और बरेली....

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी प्रश्न किया है कि पीठ से आप क्या चाहते हैं ?

*श्री प्रमोद कुमार—

मैं भी उस बैठक में शामिल था । विपक्ष की हार्दिक इच्छा होती है कि उसके प्रश्न का उत्तर आ जाये । मैंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चिन्ता होती है कि प्रश्नकर्ता प्रश्न कुछ करता है और सरकार की ओर से उसका उत्तर कुछ आता है । आज भी ऐसा हुआ । एक मंत्री जी उत्तर दे रहे थे ।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित है कि नियमों के अन्तर्गत ही व्यवस्था दी जाये, लेकिन क्या जब यह निर्णय हो जाये कि प्रश्न काल में कोई व्यवधान नहीं डाला जायेगा, इसलिये कि सभी 20 प्रश्न हो जायें तो उसकी अवहेलना हो क्यों ? आगे आप प्रश्नों के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं, नियम 49 में भी उठा सकते हैं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, आप खड़े हैं, और यह (प्रमोद तिवारी) भी खड़े हैं ।

एक माननीय सदस्य—

सत्ता पक्ष की ओर से खड़ा होना अच्छा नहीं लगता है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर उत्तर सही नहीं है, तो उस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द किया जा सकता है । यदि आप एक ही प्रश्न में ऐसा व्यवधान कर दें कि जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाला है, उसका उत्तर समयाभाव के कारण न आ सके तो क्या पता आगे आने वाला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो और इतनी अव्यवस्था कर दें कि वह प्रश्न न आने पावे क्या यह उचित होगा ?

इसलिये अनेक शिकायतें उठ सकती हैं । जब निर्णय हो गया कि व्यवस्थित ढंग से सदन चले और नियमावली में आपके पास अनेक रास्ते हैं आप उसी को अपनायें । माननीय सदस्यगण, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इसका खेद है कि बार-बार इन बातों को कहना पड़ता है और उसके उपरान्त भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जो नहीं होना चाहिये । पांडेय जी मुझे खेद है कि आपका प्रश्न सदन में नहीं आ पाया । इस लिये मैं आप सब का सहयोग चाहता हूं ताकि सदन की कार्यवाही चलती रहे ।

प्रमोद कुमार—

मान्यवर, नियम 49 में हमने सूचना दे दी है । आपने कहा था कि लिखकर देनी चाहिए थी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

उस पर निर्णय हो जायेगा ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुये 7 सूचनायें स्वीकार की गई । जिसमें पहली सूचना श्री राम वचन धूसिया की परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), जनपद बलिया द्वारा कथित रूप से की जा रही अवैध नियुक्तियों के सम्बन्ध में, दूसरी श्री रामचन्द्र बख्श सिंह की राजकीय इंटर कालेज, बाराबंकी में नये सेक्शन को बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की जनपद बदायूं के उझानी ब्लाक में लगी वितरोई मूंगफली तेल निकालने वाली फैक्ट्री को वनस्पति घी निर्माण की अनुज्ञा के सम्बन्ध में, चौथी श्री राम लखन वर्मा की जनपद फैजाबाद के जलालपुर नगर में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही से जलभराव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं श्री इम्तियाज मोहम्मद खां की क्षेत्र स्याना, जनपद बुलन्दशहर के पेड़ों के कटाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, छठी श्री सुन्दरलाल (बाराबंकी) की जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के कतिपय ग्रामों में भूमिहीनों को भूमि आवंटन में धांधली के सम्बन्ध में तथा सातवीं श्री अमरनाथ यादव की वाराणसी शहर में अनियंत्रित यातायात के सम्बन्ध में है, स्वीकार की गई हैं और शेष अस्वीकृत हुई ।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुई मान ली गई ।)

जनपद बलिया के परियोजनाधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा) द्वारा की गयी शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री रामबचन धूसिया—

[मान्यवर, परियोजना अधिकारी (अनौपचारिक शिक्षा), जनपद बलिया ने रसनपुरा ब्लाक में 23 फरवरी, 1990 को गैर कानूनी मनमाने ढंग से लगभग 100 शिक्षकों की अवैधानिक नियुक्ति निहित स्वार्थ में किया है । यहां तक की एक ही गांव के चार-चार लोगों की नियुक्तियां मात्र कागजों में की गई हैं जबकि मौके पर कहीं कोई पठन-पाठन का कार्य नहीं कर रहा है । इसी प्रकार जनपद बलिया के अन्य विकास खण्डों जैसे नगरा, सोंवर, रसड़ा चिलकहर, सोहांव, आदि ब्लाकों में इस प्रकार अनियमितताएं हुई हैं । जो जन-धन का दुरुपयोग मात्र है उपरोक्त अनियमित शासन प्रशासन के संज्ञान में है किन्तु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा है जिससे जनसाधारण में भारी क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त है ।

अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस मामले को आपकी अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में लाते हुये तत्काल प्रभावी एवं कानूनी कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद बाराबंकी के राजकीय कन्या इण्टर कालेज के हर कक्षा में नये सेक्शन खोलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी में एक मात्र राजकीय कन्या इण्टर कालेज है। बालिकाओं को इण्टरमीडिएट में दाखिला लेने और पढ़ाई करने में विशेष असुविधा होती है । बड़े और सम्पन्न लोग तो किसी प्रकार अपनी लड़कियों को अन्यत्र स्थानों पर पढ़ा लेते हैं, परन्तु मध्यम और छोटे वर्ग

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं । राजकीय कन्या इण्टर कालेज बाराबंकी की बिल्डिंग में स्थान की बहुत कमी है, जिन लड़कियों का दाखिला हो भी जाता है, उन्हें पेड़ के नीचे बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता है । अतएव इस विषम परिस्थिति की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये मैं मांग करता हूं कि राजकीय इण्टर कालेज, बाराबंकी में हर कक्षा के लिये 4 सेक्शन खोले जायें तथा लगभग 25 कमरों का नया भवन कालेज हेतु निर्मित किया जाय ।]

जनपद बदायूं के ग्राम बितरोई में मूंगफली का तेल निकालने हेतु लगी फैक्ट्री में वनस्पति घी उत्पादन हेतु अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य--

[मान्यवर, बदायूं जनपद के उझयानी विकास खण्ड ग्राम बितरोई में सन् 1967 में मूंगफली का तेल निकालने एवं वनस्पति घी के मिश्रण हेतु फैक्ट्री लगाई पर अभी सन 1990 तक बितरोई फैक्ट्री को वनस्पति की उत्पादन का आशय पत्र नहीं मिल सका है जिसके कारण इस क्षेत्र में मूंगफली काश्तकारों की मूंगफली सस्ती बिक रही है एवं क्षेत्र का जो विकास होना चाहिये था नहीं हो पा रहा है इसके साथ ही कादर चौक विकास खण्ड के कटरी क्षेत्र के ग्रामों में भयंकर बेकारी एवं बेरोजगारी है क्षेत्र में अपराधी तत्व पनप रहे हैं यहां के नौजवान बेकार हैं और पेट पालने हेतु दर-दर घूम रहे हैं । पलिया, मनाखेड़ा आदि ग्रामों में मात्र एक ही प्रकार की घास होती है । जिससे कागज का निर्माण हो सकता है यह घास मुजफ्फरनगर आदि जाती है । यह कागज बनाने के काम आती है यदि इस क्षेत्र में शासन कागज बनाने के कारखाने की स्थापना कर दे तो यह घास भी काम आ जायेगी और इस क्षेत्र की बेकारी भी दूर करने हेतु बितरोई में घी उत्पादन के लिये आशय पत्र लिया जाये तथा मनाखेड़ा में मात्र घास कागज बनाने का कारखाना बनाया जाये ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद फैजाबाद के जलालपुर मार्गों पर हुये जल भराव की समस्या को दूर करने एवं मार्गों को सुधारने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम लखन वर्मा--

[मान्यवर, आपकी अनुमति से निम्नलिखित लोक महत्व का तथ्य सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं ।

फैजाबाद जनपद के जलालपुर मार्गों पर हुये जल भराव से स्थिति नारकीय हो गयी है ।

जलालपुर नगर के अन्तर्गत टैक्सी स्टैण्ड से डाकघर तथा जलालपुर चौराहा से अकबरपुर मार्ग पर सड़क पर पानी भरा हुआ है । थोड़ी सी भी बरसात होने पर सड़क पर पानी भर जाता है और हफ्तों भरा रहता है । कीचड़ व गन्दे पानी से होकर लोग आने-जाने को मजबूर हैं । सड़क से वाहन गुजरने पर कीचड़ व गंदा पानी पैदल जा रहे राहगीरों व मार्ग के किनारे स्थित दुकानों पर पड़ रहा है लोगों के कपड़े व दुकानों के सामान बर्बाद हो रहे हैं ।

इस गंदगी व पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है । लोगों की रात की नींद हराम हो गयी है । चर्म रोग, मलेरिया आदि रोगों के यहां के निवासी शिकार हो रहे हैं ।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोक निर्माण विभाग से इन सड़कों को सुधारने हेतु कई बार अनुरोध किया गया जिससे जल भराव की समस्या न पैदा हो लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

सदन व सरकार के संज्ञान में उक्त तथ्य लाते हुये अविलम्ब उक्त मार्गों को सुधारने तथा जल भराव की समस्या से निजात दिलाये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बुलन्दशहर के ग्राम मवई के मांडू आश्रम घाट में घाटों एवं शव गृह का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां—

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र स्याना जनपद बुलन्दशहर की लगभग 70-75 ग्रामों की गरीब जनता को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । पेड़ों के कटान पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण क्षेत्र में सूखी लकड़ी का अभाव हो गया है । इस कारण अन्तिम संस्कार के समय ग्रामीण जनता को क्रिया-कर्म रीत रिवाज के लिये उचित मात्रा में लकड़ी उपलब्ध नहीं हो पाती है । हृदय टूटे लोगों के लिये कष्ट के समय यह एक जटिल समस्या है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि इस समस्या के निस्तारण हेतु सरकार को निर्देशित किया जाय कि माण्डू आश्रम घाट ग्राम मवई जनपद बुलन्दशहर में घाटों एवं विद्युत् शवगृह का तत्काल निर्माण करें।]

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के ग्राम मिचिण, मीरपुर, गौरा आदि ग्रामों में भूमि हीनों को भूमि आवंटन में धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना :

*श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी)—

[मान्यवर, जनपद बाराबंकी स्थित हैदरगढ़ तहसील के ग्राम सभा मिचिण शेहना–मीरपुर, गौरा, उस्मानपुर, ककरी, कबूलपुर, राम नगर ओहरामऊ, इस्लामपुर, छन्दरौली, दहिला में भूमिहीनों को भूमि आवंटित न करके भूमिधर, दबंग लोगों को भूमि आवंटित कर दी गयी है । मिचिया में विद्यालय की भूमि प्रधान परिवार के नाम आवंटित कर दी गयी है । तो रोहना मीरापुर में जिले से बाहर लोगों को भूमि आवंटित की गयी है तो दूसरी ओर इसी तहसील में वर्ष 1975 में गरीब भूमिहीनों को आवंटित भूमि पर आज तक कब्जा नहीं दिलाया जा सका है ।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं।]

वाराणसी शहर में सड़क यातायात में अवरोध की समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव—

[मान्यवर, वाराणसी एक अन्तर्राष्ट्रीय नगर है । यह अपने गौरव एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के लिये प्रसिद्ध है । यह पर्यटक शैक्षणिक केन्द्र के साथ-साथ व्यवसायिक केन्द्र भी है । पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से गरीब निर्बल व असहाय वर्ग के लोग प्रतिदिन वाराणसी में लाखों की संख्या में दवा, व्यापार, शिक्षा आदि के लिये आते रहते हैं ।

वाराणसी स्वयं घनी आबादी का शहर है यहां की सड़कें कम चौड़ी हैं । प्रायः सड़कें भीड़, रिक्शे, स्कूटर साइकिल टैम्पो एवं बड़े वाहनों के कारण प्रातः 10.00 बजे से लेकर रात्रि 8.00 बजे के बीच जाम रहते हैं, जिसके कारण आवागमन में परेशानी के साथ गम्भीर रोगी को अस्पताल ले जाने सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालय में समय से पंहुचने छात्र-छात्राओं को कालेजों में पंहुचने में काफी बाधा पंहुचती है । कभी-कभी रास्ता जाम के कारण दुर्घटना घटती है और

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण शहर में रास्ता जाम होना, जनहित में तत्काल इस समस्या का हल निकालना सुनिश्चित होना आवश्यक है ।

अतः वाराणसी शहर में यातायात में अवरोध समस्या को शासन के संज्ञान में लाकर जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं की जानकारी

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने नियम 56 में जोड़ ली है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, पहाड़ों में सारी सड़कें खराब हो गयी हैं और यातायात ठप्प हो गया है ।

श्री हृदय नारायण —

मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है, उन्नाव के जिलाधिकारी से सम्बन्धित . . .

श्री अध्यक्ष—

वह प्राप्त हो गई है । उसे मैं देख लूंगा । आप कृपया बैठें ।

श्री हृदय नारायण—

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

सुनने की आवश्यकता नहीं है । आपसे कहा कि कार्यवाही हो रही है । आप बैठें ।

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

श्रीमान्, मैंने एक विशेषाधिकार की सूचना दी है माननीय गन्ना मंत्री ने मेरा अपमान किया है। नियम 63 के अन्तर्गत मैंने आपको सूचना दी है । यह घटना कल मेरे साथ घटी है और सदन में घटी है । गन्ना मंत्री जी ने मेरे लिये ऐसे अपशब्द कहे हैं वह आपने भी सुने होंगे । यहां पर उस समय माननीय जेल मंत्री तथा अन्य माननीय विधायकगण उपस्थित थे । असंसदीय शब्दों का प्रयोग मेरे लिए उन्होंने किया है (व्यवधान) . . . .

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना प्राप्त हो गई है ।

श्री शिव करन सिंह—

मैंने भी एक विशेषाधिकार की सूचना दी है . . . . . (व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी: —

मेरी एक नियम 63 में विशेषाधिकार की सूचना है. . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी बताया कि सूचना प्राप्त हो गयी है उसे कार्यवाही के लिये भेजा गया है ।

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आजमगढ़ को नया मण्डल बनाये जाने विषयक नियम 103 की चर्चा में उत्तर भाषण न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 की कल की सूचना पहले ले रहा हूं कल निर्णय लिया गया था कि आज उनको ले लिया जायेगा। तो पहली श्री पंचानन राय जी की आजमगढ़ को मंडल बनाने के बावत दिनांक 11 जुलाई, 1990 को प्रस्ताव पर बहस हुई किन्तु अधिष्ठाता महोदय ने एक घंटा पूरा होने के पहले ही मतदान करा दिया।

मैं माननीय पंचानन राय जी से कहना चाहता हूं कि यह बात आपकी सही है मैंने कार्यवाही को देख लिया है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। (श्री पंचानन राय के खड़े होने पर) अब आपको इसमें क्या कहना है। उत्तर जानना चाहते हैं ?

श्री पंचानन राय—

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं पीठ का आदर करता हूं लेकिन मैं बार-बार आग्रह करता रहा कि सिलसिलेवार लें और कहा कि एक घंटे की चर्चा है। पहले उन्होंने मंत्री जी को खड़ा किया। बड़े आग्रह के बाद 15 मिनट मुझे सुना उसके बाद बहुत से माननीय सदस्यों को जो बोलना चाहते थे सुनना चाहिये था लेकिन उन्होंने मन्त्री जी को बुला लिया। तो मेरा कहना है कि आप अधिष्ठाता जी बैठे उनको नियमों का ज्ञान करा दें।

*लोक निर्माण, संसदीय कार्य एवं आबकारी मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

माननीय सदस्य जिनको उत्तर देना था उनको खड़े होना चाहिये था। अगर खड़े हुये तो माननीय अधिष्ठाता ने उनको समय नहीं दिया तो अब अधिष्ठाता के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते हैं यह संसदीय परम्परा के विपरीत है कि चेयर के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती इसको अस्वीकार किया जाय।

श्री पंचानन राय—

आपने एक घण्टे का समय निर्धारित कर दिया और उसे कार्य सूची में सम्मिलित कर लिया गया उसके लिये एक घंटे का समय निर्धारित कर दिया गया तो उसके बाद जो प्रक्रिया नियमावली में नियम बना है उसके अनुसार चलना चाहिये था।

श्री सन्त बख्श रावत—

मान्यवर, जब माननीय सदस्य ..... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, इसी सम्बन्ध में कहना चाहता हूं इस पर चर्चा कराना उचित नहीं है उसके लिये सूचना नहीं दी गयी है। इस पर चर्चा कराना संसदीय परम्परा के खिलाफ है।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्वयं कह रहा हूं इस पर बल देने की आवश्यकता नहीं है।

दिनांक 6 मार्च, 1990 की नियम 301 की सूचना का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

दूसरी सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा जी की है—दिनांक 6 मार्च, 1990 को नियम 301 की सूचना दी गयी थी उत्तर नहीं मिला। दिनांक 11 जून, 1990 को उत्तर भेजा जा चुका है। जो विलम्ब हो रहा है उसके लिये शासन से कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है और पुनः कहा गया है। आपको इसका उत्तर दिया गया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रविदास मेहरोत्रा--

नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

उत्तर दिये गये हैं उसकी लिस्ट ले ली गयी हैं माननीय सदस्य को उस समय एतराज करना चाहिये था । अगर नहीं मिला है तो हम दूसरी प्रतिलिपि उपलब्ध करा देंगे । वह हमसे मिल लेते ।

श्री अध्यक्ष--

इसके बाद की पूर्णवासी जी की सूचना है गन्ना संस्थान देवरिया के निदेशक द्वारा घपला तो यह 300 में नहीं आती है ।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11 जुलाई, 1990 को उपवेशन होने के बावजूद आर0 ई0 एस0 समिति की बैठक बुलाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष--

चौथी सूचना ईश्वर शरण विद्यार्थी जी की 11 जुलाई, 1990 को आर0 ई0 एस0 की बैठक इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने बुलाई । तो इस सम्बन्ध में निर्णय हो चुका है कि जब सदन चल रहा हो और अगर बैठक में माननीय सदस्यों को जाना हो तो ऐसी बैठक न बुलाई जाय ।

(व्यवधान)

विद्यार्थी जी आप बैठ जायं । सिद्धान्त रूप में मान लिया गया है कि सत्र के दौरान बैठकें न बुलाई जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

जिला स्तर की कमेटियां जिनमें विधायक भी सदस्य होते हैं उनके सम्बन्ध में मण्डल स्तर पर मण्डल आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश हैं कि सत्रकाल में शनिवार और रविवार को छोड़कर बैठक न बुलाई जायं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

डा0 दिनेश जौहरी, श्री श्याम देवराय चौधरी श्री मयंकर सिंह की सूचना ।

दिनांक 6 जुलाई, 1990 को कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों के बारे में सरकार द्वारा गलत बयानी । नियम 300 में आपकी सूचना नहीं आती है ।

इस प्रकार सभी सूचनायें अस्वीकृत की गयी हैं ।

आज दिनांक 12 जुलाई, 1990 को नियम 300 की चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं ।

पहली सूचना श्री मुईद अहमद की है--आबकारी विभाग की बजट सामग्री में गलत विवरण दिखाया जाना । (व्यवधान)

(रघुराज प्रसाद उपाध्याय के खड़े होने पर)

आप बैठ जायं चूंकि हरि शंकर जी से वार्ता हो चुकी है कि इन सूचनाओं पर पहले मुख्य मंत्री जी से वार्ता हो जायेगी, हमारे कक्ष में, उसके उपरान्त सदन में लिया जायेगा ।

श्री मुईद अहमद—

बजट साहित्य में गलत विवरण के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने देख लिया है, परीक्षण करा लिया है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नियम 300 के अन्तर्गत आती हो, इसलिये अस्वीकार करता हूं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

आज आबकारी विभाग का बजट है तो आप अपनी बात कह लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप आज बोल लेंगे ।

दूसरी सूचना श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की है जो क्षेत्र समिति की बैठक बुलाये जाने के सम्बन्ध में है । इसकी पुनरावृत्ति हो गयी है, इसलिये इसे मैं अस्वीकार करता हूं ।

तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना—शस्त्र लाइसेन्स के बारे में मंत्री का बयान समानता के अधिकारों का हनन के सम्बन्ध में है । इसमें आपसे कहना है कि आप समझते हैं कि समानता का हनन है तो न्याय पालिका, हाई कोर्ट में रिट करें, सदन से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

चौथी सूचना श्री इम्तियाज मो० खां अधिकारीगण माननीय सदस्यों को सहयोग नहीं प्रदान करते हैं । तो नियम 300 में आपकी सूचना नहीं आती है । इसलिये सभी सूचना अस्वीकार हुई ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 12 जुलाई, 1990 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 41 सूचनायें प्राप्त हैं, जिनमें से निदेश संख्या 15 के अनुसार 10 सूचनायें चयनित की गई। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, भारत सिंह रावत, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री रणजीत सिंह, डा० दिनेश जौहरी और श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री विजय बहादुर सक्सेना, श्री सुरेश कुमार खन्ना, हरवंश कपूर, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री कृष्ण कुमार नवमान व श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य की पहली सूचना है । इसमें 311 में भी जो सूचनायें इसी विषय पर प्राप्त हुई हैं, उनको भी इसी में ले लिया गया है ।

श्री पंचानन राय—

मैंने भी इसी विषय में नियम 51 में आपको सूचना दिया है, क्या उसको भी ले लिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि उसको भी इसमें ले लिया जाए ?

श्री पंचानन राय—

ले लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उसमें आपका भी नाम जोड़ देंगे ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों के संज्ञान में सदन में मैं यह चीज ला दूं कि उस दिन मिटिंग में यह भी निर्णय हुआ था कि यदि एक ही विषय में कई माननीय सदस्यों के नाम आ जाएं तो एक राजनैतिक दल का एक ही व्यक्ति बोलेगा। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी व दोनों के ही नाम हैं । . . . (व्यवधान) आप आपस में निर्णय कर लें जो बोलना चाहें वह एक बोलें । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी भी खड़े हैं और विकल जी भी हमारे सामने खड़े हैं. (व्यवधान) . . . मैं गुप्ता जी को समय देता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

ज्यों ही वर्षा का मौसम आया, उसके 36 घंटे में ही सम्पूर्ण जन-जीवन वर्षा से अस्त-व्यस्त हो गया, इसमें अब तक कुल 37 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। गढ़वाल और कुमायूं इलाके का सम्बन्ध पूरे प्रदेश से कट गया है। वहां पर हजारों पर्यटक, जो भ्रमण के लिये गये हुये थे, फंसे हुये हैं। यह बड़ी चिन्ता की स्थिति है। मुरादाबाद में मकान ढहा जिसमें करीब 13 से अधिक लोग मर गये। टनकपुर में उफनाती नदी में एक बस बह गई और सात आदमी उसमें बह गये। सभी नदी नाले उफना गये और जनता में उनसे बड़ी तबाही मची हुई है। यहां शहरों तक की सड़कों में भारी जल भराव हो गया है। लखनऊ में भी यहां वर्षा के कारण एक हरिजन छात्रावास ढह गया। सीतापुर में भी सई नदी ने अपना विकराल रूप दिखाया है और वहां पर जो पुल बनना था न बनने के बारे में बड़ी बर्बाद हुई है। यह चिन्ता का तो विषय है ही, इसके साथ सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय यह है कि वर्षा के पूर्व इसकी जो तैयारी करनी चाहिये राहत कार्यों के बारे में, निर्माण कार्यों के बारे में, उसमें सरकार पूरी तरह विफल रही है। जो लोग पर्वतीय अंचलों में फंसे हुये हैं, उनको वहां से निकालने में भी यह सरकार विफल हुई है। जिस द्रुतगति से वर्षा के पहले नियंत्रण के लिये सफाई होनी चाहिये, वह नहीं हुई। परिणाम जगह-जगह पानी अवरुद्ध होकर उसने जलभराव का रूप ग्रहण कर लिया है। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई है कि पहली वर्षा में ही लोगों का सारा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाये। यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है और सारे प्रदेश की जनता को यह मामला प्रभावित करता है इसलिये इस मामले में आप चर्चा अवश्य करा दें....

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, सदन में आग लगी हुई है, बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। मैं यह सूचना दे रहा हूं, आप जल्दी दिखवा लें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

मान्यवर, 44-ख में आग लगी हुई है। आपके परिसर में मान्यवर, आग लग गई है... (व्यवधान)

*भारत सिंह रावत--

मान्यवर, पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण वर्षा से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जो भी मुख्य मार्ग हैं, मोटर रोड हैं वह सबके सब अवरुद्ध हो गये हैं। वहां के जन-जीवन में अवरोध पैदा हो गया है और सभी जरूरत की वस्तुओं का पहाड़ों में जाना बन्द हो गया है। वहां पर भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। अभी जो गढ़वाल में बाढ़ आयी है, उससे 20 लोग मारे गये, एक गाड़ी जिसमें सब पैसेन्जर बैठे थे, वह सब मर गये, सैकड़ों पशु मर गये, कई मकान ढह गये हैं, उपजाऊ भूमि बह गयी है। मेरा शासन से निवेदन है कि उन क्षेत्रों में राहत कार्य अविलम्ब शुरू करा दिया जाय। जो सड़कें टूटी हैं, उनकी मरम्मत की जाय, पुलों की मरम्मत कराई जाय। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता दी जाय। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है, इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष--

भारद्वाज जी मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया आप धैर्य रखें और बैठ जायें। इस समय नियम-56 की सूचनायें नियमानुसार चल रही हैं। जब यह 56 की सूचनायें समाप्त हो जायें तब आप पूछिएगा कि आपकी सूचना के बारे में क्या हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पौड़ी-गढ़वाल में लक्ष्मण झूला तल्ली गांव में दो मकान ढह गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सचिव जी सूचना भेज दीजिये, जिससे मैं माननीय सदस्यों को बुलवा सकूं। (डा० दिनेश जौहरी के खड़े होकर बोलने पर) जौहरी जी, यह रामपुर की सूचना है। इस समय विषय चल रहा है कि पहाड़ों में रास्ते बन्द हो गये हैं। आपकी सूचना भिन्न है इसलिये जौहरी जी आप बैठ जायें। आप नियमों को तोड़ रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, पौड़ी गढ़वाल में लक्ष्मण झूला के पास तल्ली गांव में भीषण वर्षा से दो मकान ढह गये हैं जिसमें 13 व्यक्ति मर गये। नीलकंठ में धर्मशाला के ऊपर चट्टान गिर गयी फलस्वरूप जो भी यात्री उसमें थे, वह दब गये। आशंका है कि काफी लोग धर्मशाला में दबे हुये हैं। मान्यवर, एक जीप टैक्सी ज्वालपा देवी के पास दब गयी और उसमें जो यात्री थे वह मर गये।....

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में सारी संचार व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई है। सारी सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। सारी संपर्क व्यवस्था कट गई है, जो यात्री जो पर्यटक वहां फंस गये हैं, उनके खाने-पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। दवाओं का इन्तजाम नहीं है। वहां बहुत गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। भू-स्खलन की वजह से सैकड़ों गांव गंभीर संकट में आ गये हैं। नदियों में सब जगह बाढ़ आ गई है। खतरे के बिन्दु से सब जगह पानी ऊपर है। पर्वतीय क्षेत्रों में राहत कार्य न पहुंचने की वजह से असंतोष है, निराशा बनी हुई है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है यह सारे प्रदेश का मामला है। इसमें चर्चा अवश्य मंजूर कराई जाये।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, वर्षा की वजह से भयंकर स्थिति पैदा हो गई है इसपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। (कई माननीय सदस्यों के बोलने के कारण व्यवधान हो रहा था।)

मान्यवर, बुल्डोजर से सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क साफ कराते हैं, जिससे यात्रियों और मुसाफिरों को तकलीफ न हो। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में बुल्डोजर खराब हालत में पड़े हैं उनकी मरम्मत नहीं हुई है। मैंने पहले भी इस बात को कहा था कि इसकी मरम्मत होनी चाहिये, लेकिन ठीक नहीं हुए हैं वहां बुल्डोजर ठीक न होने की वजह से तमाम यात्री परेशान हैं। मान्यवर, टनकपुर के बारे में गुप्ता जी ने बताया। मान्यवर, मेरे क्षेत्र के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है टेलीफोन भी नहीं हो पा रहा है। इससे मैं बहुत चिन्तित हूं सारा प्रदेश वर्षा और बाढ़ की वजह से परेशान है मान्यवर, वहां पर रानीखेत, अम्बाला, मंसूरी आदि जगहों के पर्यटक फंसे हुए हैं।

(व्यवधान)

डा० दिनेश जौहरी—

मान्यवर, पूरा मुरादाबाद मन्डल और बरेली इससे प्रभावित है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

चार से ज्यादा लोगों को नहीं बुलवाऊंगा, सारा समय इसी में निकल जायगा ।

डा0 दिनेश जौहरी--

कुमायूं मण्डल, गढ़वाल मंडल तथा मुरादाबाद, बरेली सब इससे प्रभावित हैं। बहेड़ी तहसील के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप नम्बर-2 पर बोल रहे हैं और सूचना आपने नम्बर-3 में दी है मैं फिर आपको नहीं बुलवाऊंगा ।

डा0 दिनेश जौहरी--

राष्ट्रीय मार्ग 24 पूरी तरह से बह गये हैं। मुरादाबाद और बरेली के बीच तमाम ट्रक फंस गये हैं ।

श्री अध्यक्ष--

मा0 डा0 जौहरी जी आप कृपया बैठ जायं । बिकल जी आप कृपया बैठ जायं मैं पहाड़ के लोगों को बुलवाऊंगा ।

*श्री रणजीत सिंह--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में भारी वर्षा और भू-स्खलन से सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है । जनपद देहरादून में हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच रेलवे लाइन टूट गयी है। सत्य नारायण बाई पास पर जाखन नदी पर बना काजवे टूट गया है जिससे आवागमन अवरुद्ध हो गया है। जो मलिन बस्तियां देहरादून में विस्पा व बिन्दाल नदी के किनारे बसी हैं उनके घरों में पानी घुसने से घर क्षतिग्रस्त हो गये हैं। तमाम गरीब नागरिकों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी तरह से ग्राम गढ़ी, श्यामपुर व भल्ला फार्म के पास से बहने वाले नालों में बाढ़ के कारण कृषि योग्य भूमि कट गयी है और फसलें नष्ट हो गयी हैं और बहुत से जानवर बह गये हैं। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है । सौंग नदी, सुखना नदी एवं जाखन नदी के किनारे तमाम खेत कटने की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। तथा किसानों को लाखों रुपये की क्षति पहुंची है इसलिये इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर मैं मांग करता हूं कि माननीय सदन में बाढ़ नियंत्रण कार्य कराये जायं एवं प्रभावित परिवारों को क्षतिपूर्ति करायी जाय तथा चर्चा करायी जाय।

श्री सत्य प्रकाश बिकल--

मान्यवर, गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में जो बाढ़ आयी है उससे एक भयावह समस्या उत्पन्न हो गयी है। इसका असर केवल वहीं नहीं चारों तरफ है। आगरा से ही 4 परिवारों के मेरे पास फोन आये हैं जिन परिवारों के लोग वहां पर फंसे हैं। गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में पहाड़ टूट कर गिरे हैं और भारी भू-स्खलन हुआ है पुल टूट रहे हैं जिससे अनेक मार्ग अवरुद्ध हो गये हैं। कई व्यक्ति मर चुके हैं, बच्चे बह गये हैं । अनेक पशु बह गये हैं और बड़े पैमाने पर बरबादी हुयी है। मैं इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करूंगा कि इस दैवी आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की तत्काल व्यवस्था करें व राहत कार्य तेजी से शुरू कराया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री यशपाल—

मान्यवर, जनपद नैनीताल के चिनारगंज में भारी वर्षा होने के कारण कैलाश नदी से चोरगलिया, साधुनगर, नकुलिया, सिरई खेड़ा, अमारिया आदि गांवों में भारी नुकसान हुआ है। इसी तरह से बंगल नदी से शक्तिफार्म, तिसौना, बरुआबाज, बमनपुरी आदि ग्रामों की कृषि भूमि को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तमाम गावों की जमीनें कट गयी हैं और बहुत से पशु मर गये हैं। जो छोटे काश्तकार हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ है। नैनीताल के विकास खण्ड, हल्द्वानी के अन्तर्गत गोला नदी में बाढ़ आ जाने के कारण नदी के किनारे स्थित हरिजन बस्ती में भयंकर बाढ़ आ गयी है तथा बागजाला व ग्राम खेड़ा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। फसल तथा कृषि भूमि को भारी क्षति हुयी है और लोगों का बहुत सा सामान नष्ट हो गया है तथा सारा जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। छोटे किसानों का विशेष रूप से नुकसान हुआ है। मैं शासन के संज्ञान में उक्त तथ्य लाना चाहता हूं। शासन बिल्कुल उदासीन है। मैं मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, मैं शासन को निर्देशित करता हूं कि इस पर वक्तव्य दें।

*श्री कृष्ण कुमार नदीम—

मान्यवर, अलीगढ़ शहर में दो समुदायों के बीच भीषण संघर्ष हो गया है। सभी जानते हैं कि अलीगढ़ भारत वर्ष का सर्वाधिक अति संवेदनशील नगर है। यह संघर्ष ऐसे स्थान से शुरू हुआ है जहां से हमेशा संघर्ष की शुरुआत होती है। वहां पर संघर्ष होते रहते हैं और स्थिति काफी गंभीर हो गयी है। 11 जुलाई, 1990 को एक छोटी सी घटना हुयी। गुल्फान नाम का एक व्यक्ति ठेला पर बिरयानी बेच रहा था उसके ठेले से एक 14 साल के मासूम बालक की साइकिल लड़ गयी। इस पर गुल्फान और उसके साथियों ने उस बालक को बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जो लोग बचाने आये उनकी भी अल्पसंख्यकों की भारी भीड़ ने पीटा तथा ईंट, पत्थर और धारदार अस्त्रों से हमला कर दिया। मान्यवर, निरंकुशता और नृशंसता की हद हो गयी, जब स्त्री और बच्चों को नहीं छोड़ा गया, उनका अपमान किया गया, यहां तक कि गाय का बछड़ा तथा भैंस का कटरा भी मार दिया गया। यह मुसलमानों की ठेकेदारी करने वाली सरकार हमें बताये कि इस दंगे को रोकने के लिये हिन्दुओं को क्या करना चाहिये था, जिससे यह दंगा न होता। मान्यवर, यह घटना इसलिये और भी गंभीर है कि यह ऐसे स्थान पर हुई, जहां पर काफी लोग घायल हुए हैं और कई लोग लापता हैं, काफी दूकानें लूटी गयी हैं, बहुत नुकसान हुआ है और सब लोग बन-साइडड घायल हुए हैं और सरकार फिर भी अल्प संख्यकों का पक्ष ले रही है। मान्यवर, यह घटना अत्यन्त अविलम्बनीय और लोकमहत्व की है। मेरा आपसे निवेदन है कि सभी कार्य रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

संसदीय कार्य, आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, यह घटना इस प्रकार हुई। एक साइकिल ठेले से टकरा गयी अलीगढ़ एक संवेदनशील स्थान है। चार लोग उसमें गिरफ्तार किये गये हैं। 11 लोग इसमें आपसी संघर्ष में घायल हो गये, लेकिन कोई उसमें गंभीर हालत में नहीं है। वहां पर पूरी स्थिति नियंत्रण में है। इसके अलावा कोई और घटना नहीं है। डी0आई0 जी0 पुलिस और कमिश्नर वहां पर मौजूद हैं, स्थिति बिलकुल सामान्य है। अगर कोई असामान्य स्थिति होती, तो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और प्रमोद तिवारी जी न चूकते। मान्यवर, वहां की स्थिति संवेदनशील देखते हुए प्रशासन ने वहां पर पूर्ण चुस्ती दिखाई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री श्याम बिहारी सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, चौधरी बलबीर सिंह जो स्वार, टांडा क्षेत्र से पूर्व विधायक थे, 8 तारीख को मुरादाबाद से बरेली आ रहे थे, रोडवेज के कंडक्टर ने उन्हें सरिया मारकर गंभीर चोटें पहुंचाई, वह अस्पताल म हैं। इसकी जांच कराई जाय और इस मामले में कड़ी कार्यवाही की जाय।

श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बांदा जनपद के नरैनी ब्लाक के अन्तर्गत रंज नदी और बागे नदी में भीषण बाढ़ आ जाने के कारण इनके मध्य की करीब 9 ग्राम सभाओं का संबंध जनपद के साथ प्रदेश से कट गया है, जिसमें करीब 30 हजार आबादी संकट में है।

मान्यवर, करीब 30 हजार आबादी संकट में है और आवागमन का कोई साधन नहीं है और पूरी तरह से रास्ता अवरुद्ध है, नदियों में बाढ़ है। मान्यवर, यह इसी वर्ष नहीं प्रति वर्ष बाढ़ आती है और लगभग 30 हजार आबादी संकट में पड़ जाती है। मान्यवर, तमाम बीमार लोग हैं जिनकी कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है और बाहर से आवागमन अवरुद्ध होने से वह लोग पूरी तरह से मरणासन्न हो गये हैं और पूरा क्षेत्र टापू हो गया है। यहां के निवासी पूरी तरह से भयभीत हैं, त्राहि-त्राहि मची हुई है। यहां के निवासियों ने राम नगर के पास पुल के निर्माण की मांग, रेहुची के पास रपटा निर्माण की मांग और पुकारी के पास रपटा निर्माण की मांग यहां के निवासियों द्वारा लगातार करते रहने के बाद भी शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। मान्यवर, जिला प्रशासन ने कोई नाव की भी व्यवस्था नहीं किया है, जीवन का उपयोगी सामान भी वहां नहीं पहुंच रहा है। इससे पूरी 30 हजार की आबादी संकट में है। जिला प्रशासन पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है कोई आवागमन की व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। 30 हजार से अधिक लोगों के जन-जीवन का सवाल है। मैं चाहता हूं कि इस लोक महत्व के प्रश्न को सभी कार्य रोक कर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष--

श्याम नारायन तिवारी जी का प्रदेश में यूरिया खाद के दामों के बढ़ने के सम्बन्ध में है, तिवारी जी बोलें।

*श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में खासकर महराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जनपद में यूरिया और सभी प्रकार की खादें सरकारी और सहकारी वितरण केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं है। जहां कहीं मिल भी रही है थोड़ी बहुत उनके दाम 20 से 25 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से बढ़ गये हैं। खरीफ की फसल जो खादों पर ही निर्भर करती है और यही 20-25 दिन ही खाद की जरूरत पड़ती है यह सभी को पता है। मान्यवर, यह किसानों का सवाल नहीं है यह राष्ट्रीय सवाल है इसको पूरा राष्ट्र, प्रदेश और सभी लोग जानते हैं। मुझे चिन्ता है और इसके दुष्परिणामों की तरफ मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, पापुलर से पापुलर जनप्रिय सरकार महंगाई और इस तरह का जरूरी सामान जब उपलब्ध नहीं रहता है तो उनको खत्म करने के लिये लोग काली ताकत की ताक में बैठे रहते हैं। माननीय कल्याण सिंह जो आपको मदद करते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वह जनता को गुमराह करने के लिये इन सामानों की उपलब्धता के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बढ़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई कीमतों के सवाल पर आपको गिरा देंगे । हमको चिन्ता एक ही बात की है कि एक ऐसी सरकार जो थोड़ी बहुत चल भी सकती है उसको भी यह आपकी मदद के नाम पर इसी ताक में बैठे हुये हैं कि गिरा दें, यह होने न पावे । मान्यवर, एक निवेदन और है अखबारों में हर चीज के दाम रोजाना उपयोग की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं । 35 रुपये किलो लहसुन हो गया, टमाटर 48 रुपये में हो गया । हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं । मैं सरकार की मदद करना चाहता हूं प्रदेश की जनता के हित में । मान्यवर, इस पर कार्य रोक कर चर्चा करायें । (व्यवधान)

श्री अमरमणि--

मान्यवर, इस पर मेरी भी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष--

एक ही आदमी को सुना जायेगा ।

आप अपने नेता से पूछ लीजिये कि क्या निर्णय हुआ है ।

श्री अमरमणि--

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं इसके विरोध में मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अगर इस तरह से बहिर्गमन करेंगे तो बड़े संकट में सब पड़ जायेंगे ।

(समय 1 बजकर 30 मिनट पर)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, माननीय श्यामनारायण तिवारी जी नये कांग्रेसी सदस्य हैं और इसलिये उनको बहुत ज्यादा वहां पर वफादारी दिखानी पड़ती है । मैं इस सदन को विशेष रूप से यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के अथक प्रयास से यूरिया के दाम इस वर्ष न बढ़ पाये हैं और न बढ़ेंगे । माननीय श्याम नारायण तिवारी जी ने जो सूचना दी है उनको दिखवा लेंगे । कोई व्यक्ति या संगठन जो कि सानों के हितों को ठेस पहुंचायेगा उसके साथ सरकार विशेष रूप से सख्ती के साथ पेश आयेगी । गोरखपुर को विशेष रूप से दिखवा लेंगे । जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वह हमारे सहयोगी दल भी रहेंगे और विरोधी दल भी रहेंगे लेकिन आपको मौका कभी नहीं देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

छठी सूचना श्री सत्य प्रकाश विकल जी की है, सातवीं श्री बाल चन्द्र मिश्र की, आठवीं श्री जयराज गौतम और श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय की, नवीं श्री विमल प्रसाद तिवारी की और दसवीं श्री प्रमोद कुमार की है । इन दस सूचनाओं में से अन्तिम पांच सूचनाओं में शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं । अन्य सूचनायें श्री पंचानन राय, श्री किशोरी श्याम, श्री अमर नाथ यादव, श्री परागी लाल अहिरवार, श्री हरवंश कपूर, श्री मुईद अहमद, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री निठाई लाल शास्त्री, श्री रामचन्द्र बख्श सिंह, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री श्याम देव राय चौधरी, 'दादा' श्री राम लखन वर्मा, श्री सुन्दर लाल (बाराबंकी), श्री किशन गोपाल, श्री बसन्त लाल गुप्ता, श्री राम कुमार शुक्ल, श्री देव कुमार यादव, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्रीमती चन्द्रकली वर्मा, श्री रमापति शास्त्री, श्री माधव, श्री शिव प्रताप शुक्ल, श्री अनिल भारद्वाज और श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी की हैं, इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक-एक आदमी बोलें ।

(श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय कुछ बोलने लगे जो व्यवधान के कारण सुना नहीं जा सका)

ये जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनकी सूचना कार्यवाही में नहीं लिखी जायगी । जब कार्यवाही में नहीं लिखा जायगा तो क्यों बोल रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है । मान्यवर, आपने मुझे इजाजत दी, उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं । अभी सूचना आयी है कि एक महान मुख्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है । माननीय मुलायम सिंह जी शहर में नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि ये महत्वपूर्ण मुख्य मंत्री, जो जनता दल के हैं, वे कौन से हैं, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है । वे यहां के हैं या कहां के हैं । चूंकि इससे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जायगा इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि वे मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के हैं या हरियाणा के, जिन्होंने त्याग पत्र दिया है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, आज आबकारी विभाग का बजट है, लेकिन प्रमोद जी पर नशा पहले ही हो गया है ।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको तो अभी से असर हुआ है, लेकिन मंत्री जी तो शाम से तैयारी कर रहे होंगे, इसलिये उन पर अधिक असर है ।

श्री अध्यक्ष--

कोई बात रह गयी हो तो हमारे कक्ष में आकर बात कर लें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या-1--आबकारी विभाग

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,31,73,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आबकारी जैसे प्रदेश के लिये अधिक राजस्व देने वाले विभाग के लिये हमको अनुदान प्रस्तुत करने का अवसर दिया । मान्यवर, पिछले वर्ष विभाग ने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त कीं । जहां एक ओर विभाग में लाइसेन्स की दिशा में 31.3 फीसदी की रिकार्ड वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर विभाग ने उपलब्ध शीरे का अल्कोहल में उत्पादन करने का कीर्तिमान स्थापित किया। मान्यवर, हमारी स्थापित नीति है मद्य निषेध की । यह भी हमारी जिम्मेदारी है कि लोग अगर शराब नहीं छोड़ रहे हैं तो उनको अच्छी शराब उपलब्ध करायी जाय और हमने इस वर्ष विशेष रूप से मद्य निषेध को दिमाग में रखा । जो नीलामी हुई उसमें पहले 20 प्रतिशत वृद्धि सोची थी फिर 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी और उपलब्धि हुई 31.3 प्रतिशत । अभी तक प्रदेश में जितनी भी नीलामी हुई है इससे ज्यादा पहले किसी वर्ष में नहीं आयी । सबसे ज्यादा राजस्व इस वर्ष प्राप्त हुआ । प्रयास यह भी रहा है कि शराब इतनी महंगी हो जाय कि गरीब आदमी के पहुंच के बाहर हो जाय ।

अमीर आदमी पीयेगा, अगर कोई बात हो गयी तो वह इलाज भी करवा लेगा। लेकिन, गरीब आदमी कहां जायेगा, उसके लिये मुश्किल होगी। इस साल कोशिश होगी कि नीलामी ज्यादा हो शराब महंगी हो और सरकार को राजस्व भी ज्यादा उपलब्ध हो। राजस्व की दृष्टि से 1989-90 में 641 करोड़ रु0 का लक्ष्य था और वह लक्ष्य करीब-करीब हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। इस वर्ष आबकारी राजस्व का लक्ष्य रखा 776 करोड़ रु0 और हमारा यह प्रयास है कि जो हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य से ज्यादा हम प्राप्ति इस वर्ष भी करें। 6 करोड़ कुछ लाख का अनुदान लिया जा रहा है, कुछ लेखानुदान में लिया गया था, करीब 800 करोड़ रु0 की उपलब्धि है, मुश्किल से एक प्रतिशत विभाग में खर्च होता है और 99 प्रतिशत पैसा आता है वह प्रदेश के विकास कार्यों में खर्च होता है। इस दृष्टि से यह विभाग अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पुराने बकायों की वसूली के बारे में माननीय पंचानन राय बड़े चिंतित रहते हैं, प्रश्न भी पूछा करते हैं। हमने एक प्रश्न के उत्तर में बताया भी था। जो बकाया रह गया था वह रह गया था आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आधा दिन इसमें है, तीन बजे मतदान रख दिया जाय। आप भी सहमत हों और माननीय उप नेता भी सहमत हों तो।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

ठीक है, मान्यवर।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, ठीक है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, करीब 60-62 करोड़ रु0 का बकाया है आपके कार्यकाल में यह बकाया रहा, हमने इस वर्ष दो करोड़ रु0 वसूल किया है।

श्रीमन् पूरे सदन को यह जानकर खुशी होगी कि इस दिसम्बर में विभाग संभालने के बाद इतने कड़े उपाय किये गये कि मात्र 31 मार्च तक केवल 21 लाख रुपये बकाया रह गया, शेष सभी वसूल हो गया। जहां बकाया रह गया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिये गये, जो वहां के अधिकारी रहे, उनको निलम्बित किया गया, उसी का प्रभाव हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आगे वह बकाया रख सके। पुराने बकायों के सम्बन्ध में हमने बताया कि 2 करोड़ 38 लाख रुपये से अधिक वसूल किया गया है और जो न्यायालयों में वाद होने के कारण, जिनकी वसूली स्थगित है, को छोड़कर जो वसूली की जा सकती है, उसके लिये हमने कड़े निर्देश दिये हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही करके भी पैसा वसूल किया जाय, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि इस धंधे में जो लोग हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वर्ष 90-91 में लाइसेंस फीस में प्रदेश स्तर पर समान रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। लक्ष्य शासन द्वारा जो निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य से ज्यादा प्राप्ति की गयी, इसके लिये हम अपने विभाग के अधिकारियों को, वरिष्ठ अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देंगे और उनकी प्रशंसा करेंगे कि 25 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित था और उन्होंने 31.3 प्रतिशत की प्राप्ति की।

इसी प्रकार इस साल जो नीलामी हुयी है, वह आबकारी के इतिहास में एक रिकार्ड है, इससे पहले कभी भी किसी वर्ष में नीलामी इतनी ज्यादा नहीं हुयी और न राजस्व इतना अधिक प्राप्त किया गया। करीब 100 करोड़ रुपये इस वर्ष, पिछले वर्ष के मुकाबले इस विभाग को ज्यादा प्राप्त हुये हैं। श्रीमन् यह सब इसलिये संभव हुआ है कि नीलामी प्रणाली में काफी सुधार किया गया, जनता दल की सरकार आने के बाद। इस वर्ष मदिरा लाइसेंसिंग प्रणाली में कई सुधार किये गये। नीलामी में पहले ऐसा चला आ रहा था कि कई व्यक्ति फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर दुकानें ले लेते थे, जिससे बाद में उनसे वसूली कठिन हो जाती थी। इस वर्ष ऐसे प्रमाण-पत्र के साथ-साथ बैंक गारन्टी, बैंक ड्राफ्ट के आधार पर बोली बोलने का प्राविधान किया गया तथा जमानत की राशि जो पहले 3 माह के लिये हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर 4 माह कर दिया गया। इस प्रकार अब उनको 4 माह की सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। अब यदि बकाया रहेगा, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करके सरकार का धन नहीं फंसेगा, इन सुधारों के करने से अब हमारा पैसा अगले वर्ष पूरा सुरक्षित है, हमें उम्मीद है कि अब अगले वर्ष कहीं कोई बकाया नहीं रहेगा। मान्यवर, इसी तरह से इस विभाग द्वारा ताड़ी की भी देखरेख होती है। पूर्व में ताड़ी की दुकानें नीलाम की जाती थीं, अब नीलामी की प्रक्रिया समाप्त कर, इन दुकानों के अनुज्ञापन बेलदार, माली आदि समुदाय के व्यक्तियों को दिये जाते हैं, जो परम्परागत रूप से ताड़ी व्यवसाय करते हैं, इस प्रकार बड़ी पूंजी वाले व्यक्तियों का एकाधिकार समाप्त कर, कमजोर वर्ग के लोगों को इसका अधिकार देने की दिशा में विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। श्रीमन् जब इस पर विचार आयेंगे, तो मद्य निषेध पर भी लोग कहेंगे। हमने पहले ही कहा कि विभाग की मौलिक नीति मद्य निषेध की है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। आप लोग इसकी आलोचना भी करेंगे।

हमने मद्य निषेध तो कर दिया था काफी कष्ट उठाकर भी, लेकिन जब आप दुबारा 80 में आये तो इतना मद्य विस्तार कर दिया कि अब हमारे लिये एकदम से उस पर रोक लगाना सम्भव नहीं है। फिर भी हम मानते हैं कि भारत के संविधान में जो नीति निदेशक सिद्धांतों को दिया गया है, उसकी पूर्ति होनी चाहिये। इसकी ओर भी हमारा मद्य निषेध विभाग पुर जोर तरीके से प्रचार कर रहा है और लोगों के मन को बदलने की कोशिश कर रहा है गांजा, चरस तथा अफीम के उपभोग का पूरे प्रदेश में निषेध है। प्रदेश के दो जिलों उत्तरकाशी व चमोली में पूर्ण मद्य निषेध है तथा अन्य पहाड़ी जिलों में पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में केवल परमिट धारियों को विदेशी मदिरा की बिक्री अनुमन्य है। नैनीताल जिले के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विभिन्न धार्मिक स्थलों में भी पूर्ण मद्य निषेध है। पेय रूप में दुरुपयोग होने वाली (इस समय 1 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सन्त बक्श रावत पीठासीन हुए) सुरायुक्त औषधियों को मदिरा के रूप में प्रयुक्त किये जाने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उन 22 दवाइयों को शासन ने मदिरा घोषित कर दिया है जिसकी पहाड़ी क्षेत्रों में दुरुपयोग की शिकायत थी। इन औषधियों के धारण तथा यातायात पर भी आवश्यक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त सुरायुक्त 48 टिंक्चरों एवं आसवों को मद्य निषेध क्षेत्रों में सुरा घोषित करने पर भी शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रकार शासन मद्य निषेध नीति को क्रियान्वित करने के लिये पूर्णतया कृतसंकल्प है।

मान्यवर, इस वर्ष एवं उसके फलस्वरूप शीरे का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। शीरा, जो माह नवम्बर, 1989 में प्रारम्भ हुआ, में जून 1990 तक चीनी मिलों द्वारा 161 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन किया जा चुका है और आशा है कि पूरे सत्र के अन्त तक कुल शीरे का उत्पादन 162 लाख कुन्टल से अधिक हो जायेगा। शीरे के उत्पादन का यह अब तक का सर्वाधिक कीर्तिमान है। शीरा वर्ष 1987–88 में 147 लाख कुन्टल शीरे का उत्पादन हुआ था और प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों में शीरे के ओवर फलों की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उस वर्ष में विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी लगभग 40 लाख कुन्टल शीरा खुले बाजार में विक्रय करने हेतु अवमुक्त कर दिया गया था। चलित वर्ष में यद्यपि शीरे का उत्पादन अत्यधिक रहा, परन्तु इसके बावजूद कुशल प्रबन्ध द्वारा किसी भी चीनी मिल में शीरे की ओवर फलों होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई और न ही

किसी चीनी मिल को न्यायालय से खुले बाजार में विक्रय करने हेतु शीरा अवमुक्त किया गया है । विभाग का यह प्रयास है कि प्रदेश में उत्पादित समस्त शीरे का उपभोग आसवन कार्यों में किया जाय जिससे प्रदेश को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा । चलित शीरा वर्ष में केवल 8 महीनों में आसवनियों द्वारा 113 लाख कुन्टल शीरे का उठान कर लिया गया है जो एक रिकार्ड है । विभाग ने शीरे से सुरक्षित भण्डारण के लिये स्टील टैंकों के निर्माण हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की योजना बनाई है । इसके फलस्वरूप गत वर्ष प्रदेश की चीनी मिलों में लगभग 8 लाख कुन्टल शीरे की अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करा दी गई है ।

मान्यवर, शीरे से अल्कोहल का उत्पादन करने के लिये प्रदेश में वर्तमान में 32 आसवनियां कार्यरत हैं । गत वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार के उपक्रम के रूप में दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड नामक इकाई बरेली में तथा सहकारी क्षेत्र में नानपारा जनपद बहराइच में और कायम गंज जनपद फर्रुखाबाद में आसवनियों की स्थापना की गई है । अल्कोहल वर्ष 88-89 में जो नवम्बर, 1989 को समाप्त हुआ, शीरे का अनुमानों की अपेक्षा कम उत्पादन होने से शीरे की अत्यधिक कमी हो गई थी, परन्तु इसके बावजूद कुशल प्रबन्ध द्वारा आसवनियों से 2644 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन कराया गया, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है । इस उत्पादन के फलस्वरूप आसवनियों की उत्पादन क्षमता जो पिछले वर्षों में उनकी अधिष्ठापित क्षमता के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर थी, बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई । अल्कोहल वर्ष 89-90 में यह आशा है कि आसवनियां अपनी अधिष्ठापित क्षमता का लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन करेंगी, जो एक रिकार्ड होगा ।

श्रीमन् यह कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है कि यह विभाग सिर्फ शराब बनाता है और उसका भण्डारण करता है । आबकारी विभाग इस बात के लिये प्रयत्नशील है कि शीरे एवं अल्कोहल पर आधारित अधिक से अधिक उद्योग स्थापित कर प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित किये जांय । प्रदेश में तीन उद्योगों को साइट्रिक एसिड के उत्पादन हेतु 10 लाख क्विंटल शीरे के आवंटन हेतु आश्वासन दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त शीरे से ईस्ट बनाने के लिये सेफ ईस्ट लिमिटेड नामक एक नया उद्योग संडीला जनपद हरदोई में स्थापित किया गया है । प्रदेश में इस समय 114 अल्कोहल पर आधारित उद्योग भी कार्यरत हैं । देश में पहली बार औद्योगिक अल्कोहल से पालीस्टर कपड़ों के निर्माण हेतु इथलीन ग्लाईकाल बनाने के उद्योग की स्थापना काशीपुर जनपद नैनीताल में कराई गयी है । औद्योगिक अल्कोहल से कई महत्वपूर्ण औषधियों एवं रसायनों के उत्पादन हेतु जौनपुर, सीतापुर एवं कानपुर देहात में भी एक-एक उद्योग की स्थापना कराई गयी है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में 44 नये उद्योगों की स्थापना हेतु 7240 लाख लीटर अल्कोहल के आश्वासन दिये गये हैं । इन इकाइयों की स्थापना होने से रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे ।

आप लोग हमारी कोई शिकायत तो पाते नहीं हैं । इस सदन में सबसे ज्यादा ट्रांसफर की शिकायत होती रही । राय साहब, हम समझते हैं कि कटौती का प्रस्ताव रखेंगे । वह विशेष रूप से सुन लें कि इस विभाग में जो इन्सपेक्टर्स हैं, उसमें एक-दो को छोड़कर जिला आबकारी अधिकारी और डिप्टी एक्साइज कमिश्नर और मय सिपाही तक, एक बार उनका ट्रांसफर होने के बाद, उसको रोका नहीं गया है और न ही "मोडीफाई" किया गया है । समय पर उनको ज्वाइन करना पड़ । एक भी शिकायत अगर कोई सदस्य बता दें ट्रांसफर की, जिस ढंग से शिकायत की जाती थी, तो उसकी अलग से जांच करा लेंगे । मेरी धारणा है कि सरकार न सिर्फ स्वच्छ रहे बल्कि स्वच्छ दिखायी भी पड़े । माननीय सदस्यों को यदि कोई शिकायत हो तो हमसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, कह भी सकते हैं । थोड़ा उदार तो होना पड़ता है लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितनी कड़ाई हो सकती थी, की है ।

विभाग प्रदेश शासन की नीति के अनुरूप स्वच्छ प्रशासन देने के लिये कटिबद्ध है । वर्ष 1989-90 में दोषी पाये जाने पर एक आबकारी निरीक्षक तथा एक ताड़ी पर्यवेक्षक की सेवा समाप्त कर दी गयी । इनके अतिरिक्त अनिवार्य रूप से एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के आदेश दिये गये ।

विभिन्न मामलों में दोषी पाये जाने पर कुल 42 आबकारी निरीक्षक अन्य कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी और कुल 35 मामलों में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जहां एक ओर विभाग दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को दण्डित करने के लिये कार्यवाही कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी योजना बनाई गई है । वर्ष 1989–90 के नीलाम में अच्छा कार्य करने वाले जनपद के जिलाधिकारियों एवं आबकारी अधिकारियों को शील्ड एवं मेरिट प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये जिससे अधिकारियों कर्मचारियों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये उत्साह का संचार हो सके ।

हम समझते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे और प्रदेश स्वच्छ प्रशासन की ओर अग्रसर होगा ।

विभाग का यह प्रयास रहा है कि आबकारी एवं नारकोटिक्स अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाय क्योंकि यह अपराध आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से समाज को खोखला कर देते हैं । विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1989–90 में अवैध मद्य निष्कर्षण के 6768 अपराध पकड़े गये जब कि वर्ष 88–89 में कुल 4743 अपराध पकड़े गये थे । वर्ष 1989–90 में विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा 4,30,021 लीटर अवैध मदिरा बरामद की गयी जो वर्ष 88–89 में बरामद की गयी अवैध मदिरा से लगभग 5 गुना है । विभाग नारकोटिक्स अपराधों के नियंत्रण हेतु भी लगातार सचेष्ट है । वर्ष 1989–90 में अफीम के 42 अपराधों में कुल 46.8 कि0 ग्रा0 अफीम, गांजा के कुल 292 अपराधों में 577.6 कि0 ग्रा0 गांजा तथा चरस के 64 अपराधों में कुल 115.2 कि0 ग्रा0 चरस बरामद की गयी ।

इसके बावजूद यह कहने में हमें संकोच नहीं है कि इस समय खासतौर से हमारे जो नौजवान हैं उनको ब्राउन सुगर का धन्धा करने वाले लोग हमारी नई पीढ़ी को इसकी आदत डलवा कर बर्बाद कर रहे हैं, ब्राउन सुगर का धन्धा करने वाले लोग एक सुनियोजित ढंग से देश के नौजवानों को अकर्मण्य कर रहे हैं और इस तरह से देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं । ऐसे लोग समाज के और देश के दुश्मन हैं । हम प्रयास कर रहे हैं कि नारकोटिक्स विभाग जो कि भारत सरकार का विभाग है तो वह और हमारा विभाग तथा पुलिस विभाग तीनों मिलकर कोई ऐसी योजना बनायें जिससे कि इस सामाजिक अपराध को खतम किया जा सके और हमारी जो नई नसल खराब हो रही है, वह ठीक हो सके । ये लोग जो ऐसा काम कर रहे हैं इसको हम राष्ट्रद्रोह मानते हैं ।

विषाक्त कांडों की रोकथाम के लिये जहरीली-शराब के सेवन से होने वाली दुर्घटनायें हमारे विभाग के लिये गम्भीर चिन्ता का विषय हैं । जहरीली शराब से होने वाली अधिकांश घटनायें शराब में मिथाइल अल्कोहल को मिश्रण के फलस्वरूप होती हैं । इनको नियंत्रित करने के लिये मिथाइल अल्कोहल को विष अधिनियम के अन्तर्गत विष घोषित कर दिया गया है । विषाक्त काण्डों की रोक-थाम हेतु उपाय सुझाने के लिये शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गयी है । विभाग द्वारा जहरीली शराब के सम्बन्ध में सतर्कता बरतने के कारण वर्ष 1989–90 में एवं इस वर्ष किसी भी अनुज्ञापित दुकान से जहरीली शराब बिकने की घटना प्रकाश में नहीं आयी है । विभाग का यह प्रयास है कि जनता को सुरक्षित एवं अच्छी गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध करायी जाय । इसके लिये देशी मदिरा भी रेक्टीफाइड स्प्रिट से बनाने के आदेश दिये गये हैं । साथ ही प्रदेश में प्लास्टिक के पावली पाउचों की बिक्री को बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि इसमें अपमिश्रण की सम्भावना कम से कम रहती है ।

हम यह भी कोशिश करेंगे कि जो लाइसेन्सी हैं वह मिलावट करके लोगों में जहरीली शराब बेचने की हिम्मत भी न करें । यदि वे ऐसा करेंगे तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जायेगी । मान्यवर आज जो विभागों का बजट सदन में प्रस्तुत होना है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें माननीय सदस्यगण अपने अधिक से अधिक सुझाव दें.....

*श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, यह जो विषय है इसमें कोशिश यह होनी चाहिये कि इसमें विभाग से सम्बन्धित ही विषय आयें। (पुस्तक दिखलाते हुये) यह इनके विभाग की पुस्तिका है आबकारी विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक नाम है इसमें राज्यों के कुछ नाम दिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पाण्डेय जी, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भोला पाण्डेय--

इसमें राज्य के नाम लिखे हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री भोला पाण्डेय--

राज्यों के नाम में कुछ ऐसी नाम भी दिये गये हैं, मैं जानना चाहता हूं कि यह सब राज्य कब से बन गये हैं माननीय मंत्री जी कम से कम साहित्य के जरिये इसका दुरुपयोग करके अपनी अशिक्षित सरकार के बारे में जो इसमें छापा गया है, इसका उत्तर दें।

श्री अधिष्ठाता--

जब आप चाहेंगे तब अपनी बात कह देंगे ? यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भोला पाण्डेय--

यह सरकार अशिक्षित है इससे यह दिग्दर्शन होता है। आपने कब से इनको राज्य का दर्जा दे दिया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आप खुद बोलते ही रहेंगे या कुछ सुनेंगे भी ?

माननीय भोला पाण्डे जी हमारे मित्र हैं और हमको बड़ी खुशी है कि आबकारी विभाग में आलोचना ज्यादा सुनने को मिलेगी। पाण्डेय जी को अल्कोहल की निकासी और प्रयोग में बड़ी रुचि है। इससे मुझे खुशी है। उन्होंने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। अन्य राज्यों को जो अल्कोहल भेजा गया है, उसकी सूची है। उसमें कहीं कहीं कम्पनी का नाम लिख गया है और इस सम्बन्ध में राय साहेब औचित्य का प्रश्न लाये थे और माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है। इन शब्दों के साथ में वर्ष 1990-91 का आबकारी विभाग का बजट प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वह अपने अपने सुझाव हमें देंगे।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथ सुझाव देना है।

मान्यवर, आबकारी मंत्री जी ने जो अपने विभाग के क्रिया कलाप हैं' उनको बताने का प्रयास किया है' बजट प्रस्तावों को प्रस्तुत करते हुये उनकी उन्होंने संक्षेप में चर्चा की है और उन्होंने कुछ सराहना करने की भी कोशिश की है, जिसे उन्हें करना चाहिये। सबसे मूल बात यह है कि जब से सत्ता का परिवर्तन हुआ है, इस सदन में प्रतिदिन वह लोग कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ किन्तु हम लोग मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ हमारा दावा है कि व्यवस्था नहीं, सत्ता बदली है। आज जो आबकारी विभाग का बजटप्रस्तुत किया गया है, उससे सिद्ध होता है कि व्यवस्था नहीं बदली है। मान्यवर, इन देश के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में,अनुच्छेद 47 में यह बात स्वीकार की गयी है कि मादक द्रव्यों का औषधि के अतिरिक्त और जीवन रक्षा के अतिरिक्त प्रयोग रोकने का प्रयास किया जायेगा। मान्यवर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आदमकद तस्वीर आप के ऊपर लगी है। मंत्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी भी उसको देख रहे थे और हम भी देख रहे हैं ।' गांधी जी के सामने जब यह प्रश्न आया कि राजस्व आय के हिसाब से यह सबसे बड़ा विभाग है और इसमें सबसे ज्यादा बचत है और आबकारी विभाग की आय से विकास के कार्यों को किया जा सकता है और इसी विभाग से सबसे ज्यादा धन मिलता है और अगर धन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी तो गांधी जी ने कहा था कि अशिक्षित मंजूर है, लेकिन शराबी हम स्वीकार नहीं करेंगे । मान्यवर, निरक्षरता अभिशाप है, लेकिन गांधी जी को निरक्षर रखना स्वीकार था, लेकिन शराबी स्वीकार नहीं किया था ।

अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, राष्ट्रपिता ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब वे पढ़ते थे तो उन्होंने सभी चीजों का स्वाद लिया है ।

एक सदस्य—

भगवान राम ने भी लिया है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, अनुग्रह नारायण सिंह जी ने उचित कहा क्योंकि जब कोई आदमी किसी चीज का अनुभव नहीं करेगा तो वह सही राय नहीं दे पायेगा । जैसे मैं उन्हें सही राय नहीं दे पा रहा हूं । राष्ट्रपिता ने जब अनुभव किया तभी वे उपदेश दे पाये । इसीलिये जो उन्होंने कहा उसको हमें स्वीकार करना चाहिये, तिरस्कार नहीं करना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

शायद इसीलिये माननीय भोला पाण्डेय जी नाराज होकर चले गये क्योंकि वे समझते हैं कि उन्हें सही राय नहीं दे पायेंगे ।

श्री पंचानन राय—

वे आप के मित्र हैं । उनसे मिलकर समझ लीजियेगा । मैं कुछ सहायता नहीं कर पाऊंगा ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जिन स्थानों की चर्चा की, मद्य निषेध जहां लागू है वही स्थान उन्होंने पढ़ दिये जहां पिछली सरकार ने मद्य निषेध लागू किया था वही स्थान गिना दिये । मान्यवर, मैं चौधरी साहब से ही अपनी बात शुरू करना चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी और आबकारी मंत्री जी उनके अनन्य अनुयायी हैं । चौधरी साहब ने 18 जून, 1970 को जब वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि मैं तो उत्तर प्रदेश को सारे धार्मिक स्थान मानता हूं । हमारा यह जो पवित्र उद्देश्य है मद्य निषेध लागू करने का वह हम पूरा करेंगे । मान्यवर, इन्होंने क्या किया । जिन तीर्थ स्थलों के बारे में आपने चर्चा की, कम से कम वहीं पर लागू कर देते । मैं कहता हूं तो त्रिपाठी जी नाराज हो जायेंगे । श्रीमन्, हमारी हिन्दू संस्कृति में धार्मिक स्थलों में तीर्थराज प्रयाग का प्रथम स्थान है । आप अगर 10–12 तीर्थों में ही इसे लागू कर देते हैं । पिछली सरकार पूरे राज्य में तो लागू नहीं कर सकी थी लेकिन तीर्थराज में उसने लागू किया । त्रिपाठी जी बैठे हैं, मैं पूछता हूं आपने किया । हिन्दू धर्म में काशी का अपना महत्व है । भगवान शंकर की नगरी काशी है, वहीं पर लागू कर देते ।

एक कस्बे में, एक गांव में, किसी एक तीर्थ स्थान में जैसे देवा शरीफ है जो मुसलमान संप्रदाय का तीर्थस्थान है, वहीं पर लागू कर देते ।

मैं कहना चाहता हूं कि सरकार की कथनी और करनी में यह अन्तर है । मद्य-निषेध जो पिछली सरकार लागू कर गई थी उसके अलावा एक गांव में भी इन्होंने इसे लागू नहीं किया । जब ये लोग विरोध पक्ष में थे तो बड़ी वकालत करते थे कि लागू कर देंगे । एक कस्बे में भी नहीं किया है । आपसे आशा थी कि जब आप बजट रखेंगे तो प्रदेश के किसी हिस्से में, एक कस्बे में या किसी धार्मिक स्थान में मद्य-निषेध लागू करने की घोषणा करेंगे । लेकिन आपने नहीं किया । श्रीमन्, मनु ने कहा था कि "किसी भी राजा के राज्य में शराबी होना भयंकर कलंक है ।" मनु से लेकर चौधरी चरण सिंह तथा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तमाम उदाहरण दे सकता हूं लेकिन मान्यवर, इसमें जाकर मैं सदन का समय नहीं खर्च करना चाहता हूं । यह पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की नकल है और इस होड़ ने हमारे अपने देश के और प्रदेश के नवयुवकों को गलत रास्ते पर जाने के लिये प्रेरित किया । आप अपनी सरकार को किसानों की सरकार, गांवों की सरकार कहते हैं किन्तु पाश्चात्य देशों की नकल को दूर करने के कोई प्रयास आपने नहीं बताये । इसको रोकने के लिये कोशिश करनी चाहिये । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में आप अपने भाषण में चर्चा करेंगे जब प्रत्युत्तर के लिये खड़े होंगे ।

मदिरा तमाम बीमारियों की जड़ है, तमाम चोरियां, अपराध चाहे वह सेवन से सम्बन्धित हों या दूसरे इसी से होते हैं । इसके सेवन से मनुष्य का मनुष्यत्व नष्ट हो जाता है । तमाम ऋषि महर्षियों ने जो बातें इसके सम्बन्ध में कही हैं उनको दोहराकर समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं क्योंकि यह बहस का मुद्दा नहीं है लेकिन कुछ आपकी तरफ भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे (व्यवधान) हमारी तरफ भी होंगे लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उन लोगों के दबाव में आप झुक गये जो आपकी तरफ मद्य निषेध के विरोधी थे । (व्यवधान) दबाव संख्या से नहीं व्यक्ति के महत्व का पड़ता है अगर बाबूराम जी कहेंगे तो मंत्री जी पर उसका ज्यादा असर होगा बनिस्पत इधर के 10 आदमियों के । तो प्रभाव व्यक्ति का होता है माननीय मुख्य मंत्री जी सत्ता में हैं उनकी बात और एक गांव वाले की बात में फर्क होगा उनका प्रभाव निश्चित रूप से ज्यादा होगा । तो मैं कहना चाहता हूं कि मद्य निषेध की तरफ आपको कदम उठाना चाहिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

माननीय पंचानन राय जी से एक जानकारी चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं अनुमति नहीं देता हूं आप बैठें ।

श्री काशी सिंह ऐरी--

[× × ×]

श्री पंचानन राय--

वह आपको मुबारक । मंत्री जी ने एक बात कही कुछ लोग दोनों तरफ से चिंतित हैं मेरी पूरी हमदर्दी है लेकिन आपकी तरफ ज्यादा होंगे (व्यवधान) मंत्री जी ने कहा कि कुछ दवाओं के नाम से मदिरा बिक रही है जैसे संजीवनी सुरा, टिंचर जिंजर आदि, मेरी निश्चित जानकारी है तमाम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं आज भी यह दवायें खुलेआम बिक रही हैं मुख्य रूप से पहाड़ों में बिक रही हैं तो मेरा सुझाव है कि इस पर कड़ी निगाह रखी जाय और इनको रोका जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

संक्षेप में सुझाव दें, तीन बजे इस पर मतदान भी होना है ।

श्री पंचानन राय--

मैं समझता था पूरे दिन का बजट है लेकिन यह आधे दिन का है इसलिये पूरी बात न कह कर आधी ही बात कहूंगा ।

मान्यवर, दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में तमाम शिकायतें आये दिन इस सदन में आती रहती हैं दोनों तरफ से यह शिकायत होती है कि मदिरा की दुकान मस्जिद के पास खुल गयी है, या मन्दिर के पास खुल गयी है या स्कूल के बगल में खुल गयी है । तो दुकानों के खोलने के सम्बन्ध में जो बताया गया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति होगी तो मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल ब्यूरोक्रेसी के सहारे मत छोड़िये जन-प्रतिनिधियों का भी इसमें इनवाल्वमेन्ट

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

होना चाहिये । केवल कागज पर यह कार्य न छोड़े क्योंकि यह आये दिन बात आती है कि स्कूल के बगल में शराब की दुकान खुली है और यहां कह दिया जाता है कि नहीं खुली है या बन्द कर दी गयी है । तो मेरा कहना है कि इसमें जन-प्रतिनिधियों को रखें, अधिकारी भी उसमें हों उनकी भी राय होनी चाहिये लेकिन दोनों पक्षों की राय आपके पास हो ताकि आप देखें कि जन-प्रतिनिधि क्या कहते हैं और अधिकारी क्या कहते हैं ।

मान्यवर, ठेकेदारों के बारे में जितनी चर्चा की जाये वह कम है और तमाम ठेकेदार आपके यहां हैं । मान्यवर, प्रदेश में ठेकेदारों का इतना बड़ा काकस है कि उसकी तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसलिये इसको नियंत्रित करने का आप कोई उपाय करें वरना जो वह कालाधन पैदा कर रहे हैं और उसके द्वारा वह समाज में तरह-तरह के अपराध कर रहे हैं । मान्यवर, बाराबंकी में तो तस्करी बहुत होती है लेकिन अफीम के बारे में सुन रखा है, ब्राऊन शुगर के बारे में आपने कहा कि यह होता है । मान्यवर, अल्कोहल के बारे में कहा जाता है कि पानी अच्छी शराब में मिलाया जाता है । नगरपालिका के जल संपूर्ति वाला टैंकर, जो वह, वहीं खड़ा रहता है पानी मिलाने के लिये और नागरिक बूंद-बूंद पानी के लिये तरसते रहते हैं, इसको श्री राम चन्द्र बख्श सिंह और आप भी जानते होंगे, इसलिये मंत्री जी इसकी आप छानबीन करायें । मान्यवर, इससे ज्यादा शराब की एक ट्रक पकड़ी गयी जो लखनऊ की बतायी जाती है कहा जाता है कि आपके जिले की थी लेकिन मुझे भरोसा है कि ऐसा नहीं है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसकी पूरी छानबीन करायें और जो जिम्मेदार हो उनके विरुद्ध कार्यवाही करें ।

श्री अधिष्ठाता--

आप कितना समय और लेंगे चूंकि 3 बजे मतदान होना है, और दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका दें ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बात कही - कि उनके विभाग के स्टैब्लिशमेन्ट का खर्चा बहुत है और इसकी अपनी कठिनाइयां भी हैं । मान्यवर, आज गांव-गांव में अवैध शराब बन रही है और वह पुलिस के सहयोग से बनती है, यदि पुलिस न चाहे तो नहीं बनेगी । इसलिये सुझाव है कि आप अपने विभाग को वाहनों से और शस्त्रों से इस प्रकार से सुसज्जित करें कि वह माफिया गिरोह का मुकाबला कर सकें क्योंकि डण्डा लेकर आपकी पुलिस माफिया गिरोह का मुकाबला नहीं कर सकती है । इसलिये इसे आप सुदृढ़ करें । मेरा सुझाव है कि विभाग द्वारा जांच में जिस थाना क्षेत्र में अवैध शराब की भट्ठी पकड़ी जाये, जो कह रहे हैं कि प्रशासन को उत्तरदायी बनाया जाये । यदि गलत काम होता है, तो उसी प्रकार उस थाने के प्रभारी को, उप पुलिस निरीक्षक को और एस0 पी0 को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जाये कि अवैध शराब क्यों बन रही है ? मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि शराब महंगी कर दिया लेकिन आदत बुरी होती है तो जो गांव का गरीब आदमी जिसको पीने की आदत पड़ गयी है और आप की शराब खरीद नहीं सकता है इसलिये वह कच्ची शराब पीयेगा, अतः आप इस पर सख्ती से नियंत्रण करें । इसके साथ ही आपको अनुश्रवण करना चाहिये । (व्यवधान) क्योंकि जैसे आप वैसा मैं । मैं भी फंस गया था तो लोगों ने बताया कि बहुत से आबकारी निरीक्षक ऐसे हैं, जो वर्षों में एक भी अवैध शराब की भट्ठी को पकड़ते ही नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि यदि यह सच है तो इनको विभाग में रखने का औचित्य ही क्या है ? तो आपको इस सम्बन्ध में कोई मासिक रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिये, कि किस-किस निरीक्षक के द्वारा किन-किन जगह और कितनी जगह छापे मारे गये और कितनी भट्ठी पकड़ी । मैं तो चाहूंगा कि हो सके तो आप उड़ाका दल भी गठित कीजिये और यदि उड़ाका दल द्वारा इस प्रकार के मामले पकड़े जायं तो आपको अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी ठहराना चाहिये । क्योंकि इसका रुकना बहुत आवश्यक है । जिले में आपका एक आबकारी अधिकारी होता है । मैंने देखा कि कई-कई जिलों में झगड़े हो गये । जिलाधिकारी के नियंत्रण में यह होता है और जिलाधिकारी के पास समय नहीं है तो उसने एक पी0 सी0 एस0 अधिकारी को इसे देखने के लिये नियुक्त कर दिया । तो अब इस तरह दोनों

इन अधिकारियों में झगड़ा होता है। तो आप अपने विभाग में से ही इसे बनाइये। इसलिये मेरा यह भी एक सुझाव है।

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हमारी जो 104 चीनी मिलें हैं, उनसे जो शीरा मिलता है, उसे हम 32 असावनियों को दे देंगे। इसमें भी काफी भ्रष्टाचार है दोनों स्तर पर। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है जैसे चीनी मिलों के शीरे को आपने नियंत्रित कर रखा है, वैसे ही खांडसारी मिलों के शीरे को भी आप अपने नियंत्रण में ले लें। और दूसरा सुझाव यह है कि जो चीनी मिलें हैं, वे जो शीरा स्टोर करती हैं। आपके दाम में और शीरे के ओपन मार्केट के दाम में काफी अन्तर है। इसलिये वह चोरी के तमाम रास्तों से ब्लैक होकर बाहर पहुंच जाता है। मुझे यह बताया गया है कि वह शीरा के नीचे पानी मिला देते हैं और जितनी तादाद में यह पैदा होता है, उसमें से कुछ चोरी करके बाजार में बेच देते हैं। नेपाल में यहां से शीरा महंगा मिलता है, इसलिये पहले वह यहां से चोरी होकर वहां चला जाता था। इसलिये जो शीरा पैदा होता है, आसवनियां उतना अल्कोहल पैदा करके आपको नहीं देती हैं। वह इसके लिये आपको कोई न कोई बहाना बता देती हैं।

इसलिये इसका आप कोई कैलकुलेशन करा लें कि कितने गन्ने में कितना शीरा पैदा होता है और कितना गन्ना उसने क्रस किया, उसके लिये उतना ही शीरा देना आप अनिवार्य कर दीजिये, ताकि वह खुले बाजार में चोरी से बेचा न जा सके। इसके अलावा आसवनियों में आप अपने अधिकारी बैठा कर देख लें कितने शीरे में कितना अल्कोहल बनता है, क्योंकि वह भी बहुत सा शीरा चुरा कर उसका अल्कोहल बाजार में बेच देती हैं। इस विभाग के अन्तर्गत स्प्रिट भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उससे सिन्थेटिक कपड़े और प्लास्टिक बनते हैं, लेकिन आपने जो लाइसेन्स इसके लिये दिया है, उससे पूर्वी उत्तर प्रदेश गायब है। 50 से 75 परसेन्ट तक ब्लैक में स्प्रीट बिक जाती है, किसी उद्योग में वह नहीं लगती है। इसके लिये भी आपको समुचित छानबीन करनी चाहिये।

जितना आप अल्कोहल देते हैं, उससे जितना माल बनाना चाहिए, उस पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिये कि इतना हमने अल्कोहल दिया, इससे इतना माल बना और इसे कहां बेचा तथा इसका लेखा-जोखा कहां है?

श्री अधिष्ठाता—

राय साहब अपनी बात समाप्त करें और सदस्यों को भी बोलने का मौका दें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, पांच मिनट और दे दें। मैं काम की बातें कह रहा हूं। कुछ सुझाव देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, एक तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि फर्जी इकाइयां थीं, उस पर नियंत्रण कर लिया है। मान्यवर, दो और उदाहरण मेरे पास आये हैं। एक तो यह कि कानपुर नगर में 88-89 में जो बकाये थे उसके लिये कुछ निरीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देकर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने का शासन ने आदेश दिया था। इसके बारे में क्या हुआ है यह शायद मंत्री जी अपने उत्तर में बतायेंगे। लखीमपुर खीरी में आबकारी अधिकारी ने 88-89 में गाजीपुर के एक आदमी का फर्जी फोटो लगाकर ठेका ले लिया, फलस्वरूप 5 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति हुई। उस आबकारी अधिकारी को मुअत्तल किया गया, फिर बहाल कर दिया गया। अखबार में छपा है कि आबकारी मंत्री नहीं चाहते थे कि उनको बहाल कर दिया जाय। मान्यवर, उसी तरह से इलाहाबाद के बारे में कहा जाता है कि एक ड्रम ओ0 पी0, और शराब आबकारी निरीक्षक की जीप से पकड़ी गयी। उसमें कोई कार्यवाही हुई कि नहीं।

डाबर को आप कितना अल्कोहल देते हैं, कितना वहां पर माल बनता है, कितना वह उत्तर प्रदेश में प्रयोग करते हैं और कितना बाहर ले जाते हैं, इसकी भी आप जांच करावें। मान्यवर, बकाये के बारे में आप भी चिन्तित हैं, मैं भी चिन्तित हूं। जैसे बहुत से स्कूलों में अध्यापक फर्जी तनख्वाह ले रहे हैं, इसके लिये वह इन्सपेक्टरों को घूस तक देते हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही होने पर हाईकोर्ट से स्टे ले लेते हैं। उसी तरह से वसूली के मामले में आपके विभाग में हो रहा है। वसूली के लिये आपके विभाग का सक्रिय प्रयास होना चाहिये कि अदालत के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करके प्रदेश के राजस्व के बकाये को वसूलें। इस गरीब प्रदेश का इतना पैसा जो बरबाद हो रहा है इस पर नियंत्रण करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए आशा करता हूं कि जब माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो "मद्य-निषेध" के बारे में शासन की नीति अवश्य स्पष्ट करेंगे।

*श्री पारस नाथ यादव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आबकारी के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, वैसे तो यह विभाग कम खर्च और ज्यादा आमदनी का विभाग है और इस पर कटौती तो होनी ही नहीं चाहिये थी लेकिन (समय 2 बजकर 30 मिनट पर) मान्यवर, दो पहलू इसके हैं एक तरफ मद्य-निषेध की बात है एक तरफ मद्य आबकारी को बढ़ाने की बात है, तो आबकारी विभाग को, राजस्व की बात कहकर 40-42 साल से राजस्व की प्राप्ति के लिए, सरकार ने खोल रखा है। जिससे मानव के संस्कार में गलत प्रवृत्ति जन्म ले रही है, इसलिये यह बातें आई हैं। पंचानन राय जी ने कटौती का प्रस्ताव किया है। उन्होंने भी इस बात को कहा है कि मद्यनिषेध होना चाहिये, मद्य निषेध होना चाहिये ताकि मनुष्य के संस्कार में एक अच्छी प्रवृत्ति आ सके। आबकारी को राजस्व प्राप्ति के साधन से जोड़ा जाता है, लेकिन अन्य संसाधन ऐसे बढ़ाए जाने चाहिये जिससे राजस्व की प्राप्ति हो सके ? लेकिन चालीस सालों में आबकारी की बढ़ोत्तरी की गई।

सरकार को मद्य-निषेध करना चाहिए, मद्य-निषेध होना बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ बिडम्बनायें हैं कुछ संसाधन की कमियां हैं जिसको देखते हुए इस विभाग को चलाया जा रहा है, जैसा कि माननीय राय जी ने सुझाव दिया, ठेकेदारों को बड़े-बड़े ठेके दे दिए जाते हैं। वह लखनऊ और दिल्ली में बैठकर पूरे प्रदेश का ठेका लेते हैं और ग्रामीण अंचलों में पुलिस के बल पर, गांव के दूर-दराज क्षेत्रों में ठेका चलाते हैं। उन ठेकों द्वारा जो गांव के कोनों में चलते हैं, उनका फल गांव की गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां छोटे-छोटे बच्चे जो हैं, उनके शौक बढ़ते जा रहे हैं इस तरह से गांवों में, कोनों में ठेके चलने से गलत प्रवृत्ति जन्म ले रही है। तो उन ठेकेदारों को रोका जाय जहां का वह लाइसेन्स न लें वहां वह दुकान न चलाएं। ग्रामीण अंचलों में जो अवैध लाइसेन्स से दुकानें चल रही हैं उसको सख्ती से रोका जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

कृपा की अधिष्ठाता महोदय, जो आपने मुझे बोलने का समय दिया। आबकारी का बजट चल रहा है और उसके बारे में सम्मानित मंत्री जी ने अपना बजट पेश किया था इस बजट में इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि मद्य से कितनी परेशानी होती है कितनी कठिनाई होती है मैं उस वक्त भी इसका विरोध करती थी। जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में उधर बैठती थी। उस तरफ मेरे साथ राजेन्द्र त्रिपाठी जी और सुखदा मिश्रा बैठते थे उस वक्त भी मने वहां से बैठकर उन बुराइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया जो बुराइयां सचमुच समाज को पी जाती हैं और जिसका प्रभाव खासतौर से महिलाओं और बच्चों पर पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती हूं। यह जो अधिकारी बैठे हुए हैं यह सुनते ही नहीं हैं। मेरा इनके ऊपर आपके माध्यम से आरोप है कि यह सुनते ही नहीं हैं और जैसे हाउस खत्म होता है यह अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। मान्यवर, नियम यह है कि जहां पर विद्यालय हैं और जहां पर मंदिर हैं वहां पर शराब की दूकान नहीं खोली जायगी। लेकिन आप उदयगंज चले जाइये वहां पर मंदिर के पास, विद्यालय के पास शराब की दूकान चल रही है। उसको हटाने के लिये न जाने कितनी बार कोशिश की गयी लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

आप लोग ध्यान से सुनें, व्यवधान न डालें। मैं ज्यादा बोलती नहीं हूं और न किसी के भाषण देने के बीच में बोलती हूं इसलिये आप गंभीरता से मेरी बात सुनें। अगर हर चीज को मजाक के रूप में लेंगे तो न समाज सुधरने वाला है और न आप सुधरने वाले हैं। मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहती हूं कि मवैया में जो शराब की दूकान है उसके बारे में आन्दोलन किया गया। मैंने अपनी सरकार के समय में लिखकर दिया और आज भी लिखकर दिया है वह दूकान घनी बस्ती के बीच में और विद्यालय भी पास में है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि उस दूकान को हटाने के बारे में किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगी। शराब पीने की लत का सबसे बुरा असर महिलाओं पर और बच्चों पर पड़ता है और घर बरबाद हो जाता है। मैंने स्वयं देखा है कि घर के बच्चे भूखे रह जाते हैं और घर का काम नहीं चल पाता है। जवान बेटियां घर में बैठी रह जाती हैं और शराब का नशा समाज को पी जाता है। शराब की दूकानें मंदिर के पास विद्यालय के पास खोलने की तब भी मैं विरोधी थी और आज भी हूं। बल्कि मेरा कहना है कि यदि मंदिरों के पास शराब की दूकानें खोली गयीं, विद्यालयों के पास खोली गयीं तो आन्दोलन होंगे, धरने दिये जायेंगे और इस चीज को बरदाश्त नहीं किया जायेगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करती हूं और जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करती हूं।

*श्री जय शंकर पाण्डेय—

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। आज पूरे प्रदेश की नौजवान पीढ़ी नशा खोरी में फंसती जा रही है। विश्वविद्यालय के छात्र इंटर कालेज के छात्र जो हैं उनके अन्दर नशाखोरी, ब्राउन शुगर प्रयोग करने की लत इतनी तेजी से विकसित हो रही है कि आज यह लत छोटे-छोटे विद्यालयों तक पहुंच गयी है। इसके ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाय नहीं तो यह भी जो गांधी और गौतम का देश है यह नशाखोरों के देश में बदल जायगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अन्दर दो नदियों के बीच में जो मांझा क्षेत्र है या दोआबा क्षेत्र है वह आज शराब बनाने की स्वर्गभूमि की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जो मोटर की ट्यूब है, इसके भीतर शराब भर-भर करके, शराब का व्यवसाय किया जा रहा है। मान्यवर, अयोध्या विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो मांझा क्षेत्र है, वहां पर गरीब किसानों की जमीन कुछ लोग हड़प लिये हैं और शराब बनाने का काम कुटीर उद्योग के रूप में कर रहे हैं। मान्यवर, मैंने पहले भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुझाव दिया था कि अगर मांझा के क्षेत्र का बन्दोबस्त करा दिया जाय, तो इस पर बड़ी जल्द रोक लगाई जा सकती है ।

दूसरी बात जो विद्यालयों के सामने शराब की दूकानें खोली जा रही हैं, मैं अपने पूरे ब्लाक के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां पर लड़कियों का स्कूल है, उसके सामने शराब की दूकानें खोली गयी हैं और उस पर कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी । मान्यवर, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद ऐसी जगह पर कम से कम शराब की दूकानें नहीं खोली जानी चाहिए। मान्यवर, तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जो नकली शराब चल रही है, इसको चेक किया जाय, जब तक इसको चेक नहीं किया जायगा, तब तक यह नकली शराब का धंधा नहीं बन्द हो पायेगा । मान्यवर, यह नकली शराब नागादर से बनाई जाती है, इसे चेक कराया जाय और इसे बन्द कराया जाय । इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे बजट पर बोलने का अवसर दिया जो 5 बजटों का भार ढोता है, आबकारी, मद्य निषेध, परिवार नियोजन, वित्त और गृह विभाग । मान्यवर, मद्य निषेध और आबकारी दोनों एक ही जगह पर चल रहा है । शराब बेच कर सरकार परिवार नियोजन चला रही है । इस शराब को पिला कर यह सरकार लोगों को मारकर परिवार नियोजन का काम कर रही है । मान्यवर, जो शराब पियेगा, तो वह जुआ खेलेगा, चोरी करेगा, अपराध करेगा और उससे पुलिस को काम मिलेगा, इसलिए गृह विभाग चल रहा है । मान्यवर, इससे जो आमदनी होती है, इससे वित्त विभाग चल रहा है । मान्यवर, मंत्री जी ने अब यह कहा कि हम एक साथ नहीं बन्द कर सकते, एक साथ कम नहीं कर सकते । लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर ये एक कदम भी मद्य निषेध की ओर चले होते, तो मैं समझता कि इनकी नियत मद्य निषेध की है, बल्कि उल्टे ऐसा ये कर रहे हैं कि 25 परसेंट की आबकारी से आमदनी की आशा कर रहे हैं।

25 परसेंट की आमदनी की कैसे ये उम्मीद कर रहे हैं ? सरकार टेलीविजन से, दीवारों पर पोत-पोत कर, रेडियो, पोस्टर आदि के द्वारा प्रचार करके यह काम कर रही है कि यह जहर है, इसे मत पिओ । इसमें या तो सरकार यह समझती है कि इनके प्रचार से कोई असर नहीं पड़ता है या तो सरकार ने यह मान लिया है कि हमारी बात का जनता पर कोई असर नहीं होता, या तो जनता यह जानती है कि इसे और पियेंगे और मरेंगे और परिवार नियोजन करेंगे, या तो सरकार यह समझती है कि केवल विज्ञापनों और प्रचार द्वारा केवल रोजगार देने के लिए यह काम करती है । यहां तक कि कानून बना हुआ है, बार-बार हमारे सदस्यों को अनुरोध करना पड़ता है कि विद्यालयों के पास शराबखाने न खोलें, स्कूलों के पास, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के पास शराबखाने न खोलें, लेकिन ऐसे स्थानों पर यह शराब की दूकानें खोली जाती हैं । मान्यवर, जब मद्य निषेध-सरकार चला रही नहीं रही है, जब मद्य निषेध मान ही नहीं रही है, तो मद्य निषेध पर कोई भी पैसा खर्च करना बेकार है, या तो सरकार यह मान ले कि मद्य निषेध करना है, अन्यथा मद्य निषेध पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करना अनुचित है । इसलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री ओम प्रकाश यादव--

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं । माननीय आबकारी मंत्री जी ने जो शराब आबकारी विभाग का बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट अपने में एक ऐतिहासिक बजट है और इसके साथ ही साथ मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे मुरादाबाद जनपद में एक हरतला कालोनी है जिसमें यह धन्धा कुटीर उद्योग के आधार पर किया जाता है और हजारों की तादाद में लोग इसमें लगे हुए हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया गया ।

और शराब तैयार कर इस तरह से नाजायज तरीके से आबकारी का धन्धा करते हैं इसमें गरीब बच्चे और असहाय लोग जुटे रहते हैं। मान्यवर, मैं आपका ध्यान मुरादाबाद जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं जहां अभी पिछले हफ्ते में लगभग 11 लाख की अंग्रेजी शराब पकड़ी गयी थी, वह शराब किस ठेकेदार की थी, कहां से लाई गयी थी, किस तरीके से आई, उसके बारे में जांच कराई जाय। मैं इसके साथ-साथ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह शराब की दुकानें हैं वह स्कूलों के पास धर्म स्थलों के पास नहीं खुलनी चाहिए। इस पर प्रतिबन्ध किया जाय।

*श्री हरिचरन यादव--

माननीय अधिष्ठाता जी, आज इस आबकारी विभाग के विषय में माननीय पंचानन राय जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार की बातों को याद करके लज्जा आती है। सन् 1977 ईसवी में जब जनता पार्टी की सरकार थी तो मद्य निषेध विभाग पर इस सरकार ने 6 लाख रुपये का अनुदान पारित कराया था और 77 में मद्य निषेध विभाग कायम किया गया था और 6 लाख रुपया मांगा था, और अब 6 करोड़ 73 लाख रुपये मांग रहे हैं तो ये कौन सा व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन का नमूना है? आज आप मोरारजी देसाई को भूल गये हैं जो पूर्ण मद्य निषेध लागू करना चाहते थे। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा आज सोचती होगी कि हमारे उत्तराधिकारी किस तरह से आज मद्य निषेध लागू कर रहे हैं। आज-गांव गांव में आपकी 6 माह की सरकार में शराब की दुकानें खुल रही हैं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, चौधरी चरण सिंह जी के उत्तराधिकारी हमीं नहीं हैं, हरचरन यादव जी भी हैं। उन्हीं की कृपा से सदन में पहली बार आये हैं। उनकी आत्मा सोच रही होगी कि कैसे उधर कांग्रेस में चले गये।

श्री हरि चरन यादव--

मान्यवर, जब मैंने देखा कि चौधरी चरन सिंह के सिद्धान्तों को मानने वाले लोग सामन्तवादी ताकतों का नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं तो मैं समाजवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कांग्रेस में [illegible] आया।

मान्यवर, आज गांव-गांव में शराब की दुकानें खुल रही हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करें कि गांव में दुकान न खुलें मान्यवर, गांव में अवैध रूप से शराब की दुकानें खुल रही हैं आबकारी विभाग और पुलिस की मदद से लोग खुलवा रहे हैं, इसे बन्द करायें। इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० शमी (शमीम) अहमद खां--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर हमारे जनपद मुरादाबाद में पेथाड़ीन और मार्फीन के बहुत से इंजेक्शन बनते हैं। नशा चाहे शराब का हो या दवाओं का वह इन्सान के लिए घातक है हालांकि पैथाडीन व मार्फीन में हृदय रोगी के लिए जीवन रक्षक है परन्तु जब इन का गलत प्रयोग किया जाता है तो इससे इन्सान का जीवन बरबाद हो जाता है (व्यवधान) इसका आदमी आदी बन जाता है और अपनी पूरी जिन्दगी बरबाद कर देता है इसी नशे की वजह से। इसलिए मेरा मंत्री जी से सुझाव है कि किसी तरह से पेथाडीन और मार्फीन के बनाने वालों के जो लाइसेंस हैं उस पर फिर से गौर किया जाय और इस इंजेक्शन पर सख्ती होनी चाहिए। जो यह दवाएं बेचते हैं उसका लाइसेंस है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। वह बगैर डाक्टरों के प्रिसक्रिप्शन के बेचते हैं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसलिये ऐसे लोगों पर नियंत्रण होना चाहिये और ये दवाएं खास तौर पर जो क्वालीफाइड डाक्टर हैं, उनके प्रेस्क्रिप्शन पर ही दी जानी चाहिये । मेरा आप से यह अनुरोध है और इन अल्फाज के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

तीन बजे मतदान होना है इसलिये पंचानन राय जी को बुला रहा हूं ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी को तो नहीं, लेकिन सरकार को मद्य निषेध से इतनी नफरत है कि पहले आबकारी और मद्य निषेध का बजट होता था तो मद्य निषेध पढ़ लिया करते थे । चूंकि मा0 मंत्री जी ने मद्य निषेध को खतम कर दिया है, इसलिये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

मैंने मंत्री जी को बुला लिया है, कृपया मा0 सदस्यगण बैठ जायं ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह--

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, हम लोगों को मौका दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, मा0 सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, उनसे निश्चय ही इस विभाग को सुधारने में हमें सहयोग मिलेगा । मा0 राय साहब ने विशेष रूप से मद्य निषेध के बारे में कहा और गांधी जी का भी हवाला दिया । यह सही है कि गांधी जी की हम सब लोग राजनीतिक संतान हैं और उनके विचारों को इस देश में नहीं माना जायगा तो उनके विचारों के साथ ही नहीं, समाज के साथ अन्याय होगा । लेकिन इस पर सिर्फ राजनीतिक बहस ही आवश्यक नहीं है, कथनी और करनी में सामंजस्य सबसे ज्यादा जरूरी है, हम लोगों की, हमारी सरकार की, हमारे नेता चौधरी चरण सिंह, जिनका आपने उल्लेख किया, मद्य निषेध उनकी प्राथमिकता थी । हमारी भी मद्य निषेध आवश्यकता है, लेकिन ईमानदारी से अगर देखा जाय तो इसके दोषी हम नहीं पाए जायेंगे । अभी 6 महीने हुए हमें सत्ता में आए । इन 6 महीनों में इतनी घोषणाएं कर दीं कि पहले उनको पूरा करने में हमको तमाम वित्तीय कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी । लेकिन हमारी स्थापित नीति है कि मद्य निषेध को समय आने पर लागू किया जायगा । लेकिन आश्चर्य तब होता है जब मा0 पंचानन राय जैसे प्रबुद्ध विद्वान और मद्य निषेध के समर्थक उस दल में बैठे हैं, जिस दल ने महात्मा गांधी का नाम लेकर मद्य विस्तार किया । चुनाव में भी किया। हम सब लोगों को यह सबसे ज्यादा दुख रहा, विपक्ष के लोग शराब से ही दुखी रहे । चुनाव में रातों रात, हम लोग तो कहीं से पैसा ला नहीं सकते थे, रातों रात मुहल्ले के मुहल्ले, तत्कालीन सत्ता-पक्ष के लोग गांधी जी का नाम लेते थे और शराब बंटवाकर मतदाताओं का मन बदल देते थे।

हमारी नीति तो यह है और हमने लागू करके दिखाया, 1977 में यह कह रहे थे, मद्य निषेध लागू कर दिया और आज फिर गांधी जी का नाम लेने वाले व्यक्ति सत्ता में आ गये हैं ।

श्री पंचानन राय--

(व्यवधान)

1977 में यह लोग भी आप ही के थे, बी0जे0पी0 के (व्यवधान) अब की एक गांव में लागू कीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

1977 में सरकार बनी, सबसे बड़े नेता थे माननीय मोरारजी और चौधरी चरण सिंह जी ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

अटल जी नहीं थे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

अटल जी भी थे, आडवाणी साहब भी थे । नेतृत्व करने वाले दो प्रमुख लोग थे । अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे । सब लोगों ने मिलकर किया । लेकिन सबसे ज्यादा मद्य निषेध की बात की होगी तो चौधरी चरण सिंह जी ने की थी । 1977 में मद्य निषेध लागू हुआ था, उसका सबसे ज्यादा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को है, जिनके हम लोग राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं । 1980 में हम लोग चले गये । गांधी जी का नाम लेने वाले आप लोगों ने फिर आकर मद्य विस्तार किया, तेजी से किया । मद्य निषेध होना चाहिये और होगा लेकिन उसकी कुछ प्रतीक्षा कीजिये । इतना आपने इसको सर्वव्यापी बना दिया है, कानून बनाकर अभी बंद करना मुनासिब भी नहीं है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है मद्य निषेध का, शासन में भी हो रहा है, समाज सेवी संगठनों द्वारा भी हो रहा है हम चाहेंगे कि राजनीतिक लोग भी इसमें सहयोग करें । अगर ईमानदारी से राय साहब चाहते हैं कि मद्य निषेध को अपनाया जाय तो अपने दल में संकल्प करवायें कि कोई शराब पियेगा नहीं, फिर हम भी करा देते अगर हमारे यहां कोई शराब पीता है तो उसे टिकट नहीं दिया जायेगा ।

श्री पंचानन राय--

हमारे यहां कोई पीता ही नहीं है । देखिये पीने-वाले आपके दल के लोग खड़े हो रहे हैं ।

श्री बाबू राम यादव--

अगर माननीय राय जी अपने दल में यह कह दें कि कोई शराब नहीं पियेगा तो यह अपने दल में एक मिनट भी नहीं रह सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

मैदानी क्षेत्रों में भी सुरा/शराब के रूप में प्रयोग होने वाली दवाओं को मदिरा घोषित कर उनको प्रतिबन्धित करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

श्री पंचानन राय--

प्रतिबन्धित सूची में जो हैं उनके बारे में भी सोचें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

प्रतिबन्धित सूची में हैं, उस पर अलग से विचार कर रहे हैं । जो नहीं प्रतिबन्धित हैं, प्रतिबन्धित करने की बात शासन के दिमाग में है ।

श्री राम बचन--

आपने विद्यालयों के करीब दुकानें खुलवा दीं, अब स्कूलों और सचिवालय में कब खुलवायेंगे, यह बता दें ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

यह कहावत है कि नया मुल्ला क्या करता है, यह भी 1977 में हमारे साथी थे, अब नये-नये कांग्रेसी हैं यह नहीं देखते हैं कि इनके दल की क्या नीति है, उसके विपरीत अगर बोलेंगे तो कार्यवाही हो

जायेगी ।

हमारा जो यह आबकारी अधिनियम है आबकारी अधिनियम के खिलाफ कहीं पर कोई दुकान खुलेगी तो कड़ी कार्यवाही उसके खिलाफ की जायेगी, स्थानान्तरण भी ऐसी दुकान का किया जायेगा । लेकिन हालत यह है कि चाहे शराब पूरा घर पीता हो लेकिन अपने घर में शराब की दुकान रखना नहीं पसन्द करेंगे । अगर शराब पीना लोग छोड़ देंगे तो उस इलाके में शराब की दुकान चल ही नहीं पायेगी उसे मजबूर होकर अपनी दुकान उठानी पड़ेगी । लेकिन जहां शराब पीने वाले हैं अगर वहां दुकान नहीं रहेगी तो अवैध काम शुरू हो जायेंगे और वहां नकली मिलने लगेगी । शराब पीने वालों की तादाद घटाइये । अगर ऐसी दुकानें कहीं खुल भी जायेंगी, तो अगर शराब पीने वाले नहीं होंगे तो लाइसेन्सी खुद ही बोरिया बिस्तर लेकर भाग जायेगा ।

एक सदस्य— [×××]

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य बिना अनुमति के जो लोग बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, आबकारी अधिनियम में जो व्यवस्था है, उसका कड़ाई से पालन किया जावेगा । माननीय राय साहब ने यहां एक सवाल उठाया कि शीरे का जो उठान है, उससे कितना अलकोहल बनता है और जो अलकोहल की सप्लाई होती है, उससे कितना दूसरा सामान बनता है, इसकी देख-रेख ठीक से होना चाहिये । मान्यवर, इस सम्बन्ध में बताना चाहूंगा कि मिल में उत्पादित होने वाला जितना शीरा आसवनियों को आवंटित किया जाता है, उन आसवनियों से अपेक्षा की जाती है कि कम से कम 22–23 प्रतिशत रिकवरी दें और कम रिकवरी देने वालों पर कानूनी कार्यवाही करने का प्राविधान पहले से है । कानपुर में 88–89 में नीलामी में जिला आबकारी अधिकारी को दंडित किया गया है और आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, वसूली की कार्यवाही भी की जा रही है । यह सही है कि वसूली वहां पर बकाया है और लम्बा बकाया है. उसके लिये हमने कई बार सदन में भी कहा है कि इस सत्र के बाद हम फिर बैठेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके खिलाफ अगर कोई उत्पीड़न की कार्यवाही भी करनी पड़े, तो वह की जाय और पैसा वसूल किया जाय ।

मान्यवर, लखीमपुर-खीरी का प्रश्न उठा था और हमारे एक ईमानदार अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाया गया । 88–89 के सिलसिले में जिला आबकारी अधिकारी व आबकारी निरीक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है, इस मामले में धोखाधड़ी के आधार पर ठेका होने के सम्बन्ध में आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच और विवेचन किया जा रहा है । शराब की दुकानें निश्चय ही मन्दिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल व गरीब बस्तियों के प्रवेश द्वारों पर नहीं होनी चाहिये ।

श्री पंचानन राय—

सबको हटवा दीजिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

हम नहीं कह सकते कि कहां हटवा देंगे और कहां लगवा देंगे, लेकिन आबकारी अधिनियम का सख्ती से पालन किया जायगा, इतना अवश्य कहते हैं । माननीय राय साहब ने एक मामला हमारे जिले से सम्बन्धित भी यहां उठाया । वास्तव में यह शराब चिनहट गोदाम से लखनऊ की तीन दुकानों

नोटः—[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

के लिये व उठाई गयी थी, लेकिन पता नहीं यह कैसे बाराबंकी पहुंच गयी जरूर कोई अवैध धन्धा था। इस मामले में सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक व लाइसेन्सियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

उनकी दुकानों को कैन्सिल कर दीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

अब जो उचित कार्यवाही होगी वह की जायेगी, लेकिन किसी के प्रभाव में आकर हम किसी अनियमितता को बढ़ने नहीं देगें और चाहे कितना भी बड़े से बड़ा आदमी हो, अगर कानून की गिरफ्त में आ जायेगा, तो हमारी कलम से वह बचेगा नहीं।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितनी शंकायें यहां पर उठाई गई थीं, हमने उन सबका सन्तोषजनक उत्तर दे दिया है। अगर श्री पंचानन राय जी संतुष्ट हो गये हों तो वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता—

आप वापस ले रहे हैं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपये कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या—1—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,31,73,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)।

वित्तीय वर्ष 1990–91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या—18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,77,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे सहकारिता विभाग के अनुदानों को प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

मान्यवर, प्रदेश के समग्र विकास में सहकारिता आन्दोलन अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश के किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जन जाति व निर्बल वर्ग के अन्य लोगों को फसली ऋण, मध्य एवं दीर्घ कालीन ऋण, उर्वरक, उन्नत बीज, कृषि रक्षा रसायन/उपकरण तथा कृषि यंत्र की आपूर्ति के साथ कृषि उपज का उचित मूल्य एवं आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण कराया जा रहा है।

कृषि निवेशों के वितरण में सहकारी संस्थायें महत्व पूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश की कुल आवश्यकता का लाभ लगभग 30 परसेन्ट उर्वरक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से वितरित हो रहा है जिससे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बढ़ाकर 50 परसेन्ट तक करने का प्रस्ताव है। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण की प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन के फलस्वरूप उर्वरक उत्पादकों द्वारा उर्वरक की आपूर्ति सीधे सरकारी बिक्री केन्द्र को कराई गयी। इस व्यवस्था से उर्वरक की उपलब्धता के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में लगभग 10864 बिक्री केन्द्रों द्वारा प्रमाणिक बीजों एवं उपकरणों का वितरण, अंश "ख" के रूप में किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों के कृषकों को उचित दर मात्रा एवं समय से कृषि निवेश सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1990-91 में 500 नये बिक्री केन्द्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 89-90 में उर्वरक वितरण का लक्ष्य 17.62 लाख मै0 टन निर्धारित था, जिसके विरुद्ध 11.96 लाख मै0 टन का वितरण हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 90-91 में रसायनिक उर्वरकों के वितरण का लक्ष्य 17.62 लाख मै0 टन निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष के उपलब्धि से 5.66 लाख मै0 टन अधिक है।

मान्यवर, वर्ष 1989-90 में———

(व्यवधान)

श्री राम औतार दीक्षित—

इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आंकड़े पढ़ सकते हैं और नोट का सहारा ले सकते हैं। सदन में कोई बात की जाती है तो यह समझकर की जाती है कि यह सही है। दीक्षित जी तो रह चुके हैं।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

अगर सही फिगर्स नहीं होगी तो मालूम नहीं होगा।

आपने बीज वितरण का लक्ष्य रखा था 3,77,973 क्वि0 और हमारा है 4,39,100 क्वि0।

यूरिया खाद का वितरण होता है सहकारी गोदामों के माध्यम से। उस संबंध में विशेष रूप से माननीय दीक्षित जी को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 35 प्रतिशत उर्वरक वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाता है। सहकारी क्षेत्र में इफको, कृभको उर्वरक के निर्माता हैं और उन्हीं से पी0 सी0 एफ0 के माध्यम से उर्वरक सहकारी समितियों को पहुंचाया जाता है। पिछली रबी में इफको, कृभको द्वारा रुपये 107.50 प्रति बोरा (बिक्रीकर शामिल करते हुए) इस दर पर यूरिया दी जा रही थी जिसको किसानों को रुपये 110.20 प्रति बोरी की दर से बेचा जा रहा था। 30 अप्रैल, 1990 से इफको, कृभको द्वारा इस दर पर यूरिया देने में असमर्थता व्यक्त की गयी।

पूरे सदन को मालूम है, श्याम नारायण तिवारी जी एक सवाल भी लाये थे कि यूरिया के दाम बढ़ने जा रहे हैं लेकिन चूंकि हमारी सरकार विशेष रूप से किसानों की

ग्रामों की सरकार मानी जाती है इसलिये हमारे मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश सरकार ने इस मामले में संघर्ष किया उसका नतीजा अच्छा आया, आपकी सरकार होती तो बढ़ जाते, लेकिन मुख्य मंत्री जी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में नहीं बढ़ने पाये। जिस रेट पर खाद थी, उसी रेट पर इस वर्ष भी किसानों को दी जायगी। इस समय जितने हमारे सहकारी गोदाम हैं, सब पर इतनी मात्रा में खाद मौजूद है कि किसानों को खाद की कमी नहीं होने पायेगी।

ऋण एवं अधिकोषण योजना--इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को फसली अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण तथा दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 1989-90 में अल्पकालीन ऋण के अन्तर्गत 364.01 करोड़ रु0, मध्यकालीन ऋण के अन्तर्गत 23.53 करोड़ रु0 एवं दीर्घकालीन ऋण के अन्तर्गत 132.97 करोड़ रु0, कुल 520.51 करोड़ रु0 ऋण वितरण किया गया। वर्ष 1990-91 में अल्पकालीन ऋण 500 करोड़, मध्यकालीन ऋण 60 करोड़ एवं दीर्घकालीन ऋण 140 करोड़ रु0 अर्थात् कुल 700 करोड़ रु0 ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है जो कि गत वर्ष की उपलब्धि से 180 करोड़ अधिक है।

आपने किया था 500 करोड़, हम करने जा रहे हैं 700 करोड़ रु0। यह किसानों की सरकार और किसानों की विरोधी सरकार में अन्तर है। इसी तरह से ग्रामीण अंचलों में ऐसी समितियों में मिनी बैंक योजना शुरू की गयी है जिनका अपना निजी भवन है तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है। इस योजना के अन्तर्गत समिति स्तर पर मिनी बैंक की स्थापना की गयी है। प्रदेश में 613 मिनी बैंक इस समय हैं इस योजना का और विस्तार किया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में लघु उद्यमियों, छोटे-छोटे व्यवसायों तथा उपभोक्ताओं को सहकारिता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगरीय सहकारी बैंकों का गठन किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। इस समय प्रदेश में 27 नगरीय बैंक कार्यरत हैं, इस वर्ष उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में कम से कम एक-एक नगरीय सहकारी बैंक खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।

सहकारिता के क्षेत्र "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" की योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के बेरोजगार युवकों को कृषि, पशुपालन, काष्ठकला, चर्मकला के लिये तथा अन्य व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण हेतु चयन कर उन्हें व्यवसायों हेतु उपकरण एवं कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिये 5,000 रु0 से 10,000 रु0 तक मध्यकालीन ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

ऋण राहत योजना की जो आप आलोचना करते रहते हैं वह चुनाव के दौरान भी और आज भी, अगर किसानों को लाभ पहुंचाया जाय तो आप आलोचना करते हैं। श्रीमन्, इस देश में सबसे बड़ी आबादी खेती करने वालों की है और यह कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि आजादी के बाद अगर किसी वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया है तो वह सबसे बड़ा काम रहा है खेती करने वालों का क्योंकि उनको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिलता रहा है और जो सामान वे खरीदते रहे हैं उनमें दिन दूना और रात चौगुना भाव बढ़ता रहा है।

इसका नतीजा यह हुआ कि नौकरी करने वालों के जीवन स्तर में और खेत में काम करने वालों के जीवन स्तर में अन्तर आया अगर कोई सिर्फ खेती करता है तो चाहे उसके पास 27 एकड़ जमीन हो या 10 एकड़ वह ठीक ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और न अपना जीवन-यापन ही कर सकता है और इसकी जिम्मेदारी शासन की

थी उनको ऐसी हालत तक पहुंचाने के लिये। इसलिये हम लोगों ने चुनाव घोषणा-पत्र में ही दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो किसानों को ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिये हमारा संकल्प है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उनको लाभ मिल सके और जो उनके साथ अन्याय हुआ है उनके ऊपर होने वाला यह अन्याय दूर किया जा सके। मान्यवर, जब उनसे पैसा नहीं वसूल होता था, बदनामी न हो तो इसके लिये उनकी जमीन कुर्क होती थी।

हम लोगों ने घोषणा की थी कि दस हजार तक के कर्जे माफ किये जायेंगे। मुझे आज यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय संसाधान कम होने के बावजूद भी हमारी सरकार ने इसको परा करने का प्रयास किया है और 507 करोड़ 98 लाख रु0 का ऋण दस हजार तक के किसानों का माफ करने का निर्णय ले लिया गया है। यही नहीं, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो इसमें आनाकनी करती। एक तो वह वायदा ही न पूरी करती और मीनमेख अलग से निकालती। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने यह भी निर्णय लिया है कि दस हजार तक के ऋण किसानों को इसका लाभ मिलेगा और इससे ऊपर के किसानों को भी दस हजार रु0 तक की छूट दी जायेगी।

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के उनको एक स्वर से किसानों के लिये, आजादी के बाद यह जो पहला पारितोषक सरकार की तरफ से मिल रहा है, सराहना करनी चाहिये और पार्टी के आधार पर वे इसकी आलोचना न करें।

इसी तरह से उपभोक्ता योजना के सुचारु संचालन के लिये विभाग द्वारा नगरीय एवं ग्रामीण उपभोक्ता योजनायें चलाई जा रही हैं। नागरीय क्षेत्र में 61 केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार हैं, जो अपनी 518 शाखाओं, 1785 प्राथमिक उपभोक्ता समितियों, तथा 156 महिला उपभोक्ता समितियों के माध्यम से दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 434 लीड परियोजनायें चलायी जा रही हैं। इसमें सम्बद्ध 9080 प्राथमिक समितियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का व्यवसाय करती हैं। मान्यवर, शीतगृह भी इस विभाग द्वारा चलाये जाते हैं। प्रदेश में आलू भण्डारण के लिये शीतगृहों की संख्या 91 है। मुझे यह भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो सहकारिता के शीतगृह हैं और जो निजी क्षेत्र में शीतगृह हैं, उनमें काफी अन्तर है। निजी क्षेत्र के शीतगृह का मालिक बड़ा आदमी माना जाता है और जो सहकारी क्षेत्र के शीतगृह हैं, उनमें हर साल घाटा होता है, क्या कारण है। इसके लिये हमने कुछ धन उनके सुदृढ़ीकरण के लिये प्राविधानित किया है जिससे वह लाभ की स्थिति में आ सकें नहीं तो उनको समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। सफेद हाथी को कब तक पाला जायेगा। इस संबंध में कहना चाहूंगा कि सहकारी क्षेत्र में शीतगृह हर जिले में चल रहे होंगे, और माननीय सदस्यों को उनकी जानकारी होगी और मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि आप जब बोलें तो उनके बारे में अवश्य सुझाव दें।

मान्यवर, सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये प्रशिक्षण की योजना चलायी जा रही है। कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी उद्देश्य से सहकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गयी है। मान्यवर, निर्वाचन के संबंध में कहना चाहता हूं कि प्राथमिक समितियों के चुनाव हो गये हैं, कुछ जिलों में बाकी हैं। इसी सत्र में एक विधेयक द्वारा 6 महीने का समय और लिया गया है शीर्ष संस्थाओं के चुनाव के लिये। आप जानते हैं कि पी0 सी0 एफ0 का चुनाव हो गया है। 31 दिसम्बर तक का समय लिया गया है और हम विश्वास करते हैं कि 31 दिसम्बर तक चुनाव संपन्न हो जायेंगे।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या है इस विभाग की और वह यह है, इस विभाग को बदनाम करने की। अगर कोई सहकारिता का नाम लेता है, तो लोगों के दिमाग में भ्रष्टाचार की तसवीर आ जाती है। इस तरह इस विभाग को बिगाड़ा गया है। विभाग होना ही नहीं चाहिये था, सहकारी आन्दोलन था और अगर इसे ईमानदारी से चलाया गया होता तो प्रदेश का आज नक्शा ही कुछ दूसरा होता। आज प्रदेश के जो सहकारी बैंक हैं, उनको देखा जावे तो करोड़ों रुपये का गबन हुआ है। आज भी मैंने अधिकारियों से बात की है, 40 करोड़ 17 लाख और 27 हजार रुपया पड़ा हुआ है इतनी बड़ी धनराशि इस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गबन की है। इसको वसूल किये जाने के संबंध में पूरा प्रयास होगा और इस प्रकार से भ्रष्ट अधिकारियों को और अधिक समय नहीं दिया जायेगा और इनको जल्दी से जल्दी दण्ड दिया जायेगा, जिससे दूसरे कर्मचारी सबक लें। इन शब्दों के साथ में सहकारिता विभाग का बजट प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव हमें देंगे और सभी माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों से हम समझते हैं कि इस विभाग को लाभ होगा।

श्री इन्द्रेश विक्रम—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, आजादी के बाद सहकारिता को योजनाबद्ध आर्थिक विकास के साधन या क्रिया के रूप में हमने स्वीकार किया था जिसमें स्फूर्ति, आपसी लाभ के साथ-साथ सामाजिक हित का भी समावेश है। श्रद्धेय इंदिरा जी ने ठीक ही कहा है कि मैं कोई अन्य साधन नहीं जानती जो कि इतना शक्तिशाली और सामाजिक लक्ष्य से पूर्ण हो जितना कि सहकारिता का आन्दोलन है। निश्चय ही सहकारिता एक आन्दोलन है एवं उसकी समस्याओं पर विचार करते समय, योजनायें और उनका प्रारूप बनाते समय इस बात को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि लोकमत के विपरीत यह एक इकाई न होकर हजारों हजार समितियों का आन्दोलन है जिसका हर एक स्वतंत्र अस्तित्व है, एक स्वतंत्र संचालक मण्डल है, स्वतंत्र प्रबन्ध तंत्र है और जिसकी एक स्वतंत्र न्यायिक स्थिति है और इन समितियों के आकार में, परिवेश में, चरित्र एवं उपलब्धियों में विशाल अन्तर है। परन्तु मान्यवर, मुझे खेद है कि इसकी उपयोगिता, व्यापकता और उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये बजट का प्रारूप तैयार नहीं किया गया है और इसीलिये मुझे आशंका ही नहीं विश्वास है कि इसे यदि इसी रूप में स्वीकार कर लिया गया तो निकट भविष्य में पूरा सहकारी आन्दोलन अपनी विश्वसनीयता खोकर निष्प्राण हो जायेगा।

मान्यवर, खेद इसलिये भी है कि मुझे आशा थी माननीय मुख्य मंत्री जी से, क्योंकि वे सहकारिता मंत्री भी रह चुके हैं, किसानों के प्रति चिंतित भी रहते हैं। उनके सचिव सहकारिता के निबन्धक रह चुके हैं और संयुक्त सचिव इस विभाग के अधिकारी हैं, निश्चय ही वे किसानों की दशा से परिचित होंगे और उनके लिये कोई ठोस योजना बनायेंगे जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सुधार होगा। किन्तु ऐसा कुछ नहीं किया गया है। सही बात है, उन्हें समय नहीं मिला होगा। कोई बात नहीं। फिर भी माननीय मुख्य मंत्री जी और उनके स्थान पर जिन्होंने यह बजट रखा है, बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कल्याणकारी योजनायें स्वीकार कर ली हैं जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थीं। मैं तत्कालीन सहकारिता मंत्री जो हमारे इस समय उप नेता विरोधी दल हैं, उनको बधाई देता हूं और सहकारिता विभाग के सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने गत वर्षों में क्रांतिकारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। मान्यवर, मैं उन्हें इसलिये भी बधाई देना चाहता हूं... (व्यवधान)

आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समय कम है फिर भी उनके बारे में कुछ बातें सदन के सम्मुख लाना चाहूंगा। मंत्री जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए

कुछ नहीं किया । मैं बतलाता हूं कि 1951 में जहां 69 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की थी वहीं 1981 में 76 प्रतिशत हो गई । मान्यवर, यह जो आबादी की वृद्धि हुई है वह इसलिये हुई है कि हमने ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे साधनों को अंगीकार किया है । 1951 में जहां 1.8 लाख समितियों में 137 लाख सदस्य थे और कामशील पूंजी 276 करोड़ रुपये की थी वहां 1984-85 में 3.2 लाख समितियां हैं, 1410 लाख सदस्य हैं और 37,769 की कामशील पूंजी है । मान्यवर, मैं प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन के विषय में भी कहना चाहूंगा । आंकड़ों को देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज जो खाद्यान्न के मामले में जो आत्म-निर्भरता देश को प्राप्त हुई है इसका श्रेय सहकारिता को जाता है दूसरे को नहीं । मैं आशा करता था कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर सहकारिता का विरासत में जनता दल को कांग्रेस ने दिया है उसकी उपलब्धियों के आधार पर योजनाओं का जिक्र होता लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है ।

मान्यवर, इस समय मुझे नेता सदन के विचार याद आ रहे हैं जो उन्होंने 1974 में इसी सदन में व्यक्त करते हुये कहा था, अगर बाहर कहा होता तो मैं विश्वास नहीं करता यहां कार्यवाही में वह अंकित है, उन्होंने कहा था कि सहकारिता कोई विभाग नहीं है परन्तु सत्तारूढ़ दल ने अपने साधन जुटाने के लिये एक बहुत बड़ा विभाग इसे बना दिया है और इतनी बड़ी धनराशि जो सरकार स्वीकार कराने जा रही है वह भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट कर्मचारियों एवं सत्तारूढ़ दल के लोगों की ऐय्यासी एवं फिजूल खर्ची में खर्च होगी ।

मान्यवर, मैं इसको तो स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि हमारा विश्वास है कि यदि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करना है तो सहकारिता ही एक मात्र साधन एवं विकल्प है । परन्तु सत्यता से इस बजट का परीक्षण किया जाय तो यह स्पष्ट होता है कि अपनी उन्हीं भावनाओं एवं मान्यताओं के अनुरूप, अपने राजनीतिक उद्देश्य एवं स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस बजट से बहुत बड़ी धनराशि खर्च करने की व्यवस्था की गयी है । मान्यवर, यह क्रूर सत्य है कि तात्कालिक राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से, सत्ता में शीघ्र आने की ललक से बिना सोचे विचारे ऋण माफी की घोषणा कर दी गयी जिससे उन्हें उसका लाभ मिल भी गया । उधर बैठे साथी हमसे भिन्न मत के हो सकते हैं परन्तु इस कार्यवाही के लिये आवश्यक संसाधन एवं वित्तीय भार का सूक्ष्म परीक्षण किये बिना ऐसी घोषणा विश्वास दिलाती है कि यह वोट प्राप्त करने के लिये एक योजना मात्र था और ऋण राहत योजना की घोषणा करते समय केन्द्रीय वित्त मंत्री का यह कथन कि यह सुविधा भविष्य के लिये नहीं होगी यह सिद्ध करता है कि इसका उद्देश्य किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाना नहीं बल्कि आम चुनाव में की गयी घोषणा की मर्यादा को निभाना मात्र है और किसानों को यह बता देना है कि यदि उन्होंने घोषणा के आधार पर वोट दिया है तो सरकार भी वादा निभा रही है । मान्यवर, कर्ज माफी सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का तरीका हो सकता है परन्तु उससे गरीबों एवं किसानों का भला नहीं हो सकता है ।

इसके विपरीत ऐसी सुविधाओं से उनके मन में लोभ एवं बिना परिश्रम के सब कुछ पाने की भावना का विकास होता है । मान्यवर, इतिहास साक्षी है कि जिस सभ्यता में पुरुषार्थ की भावना मर जाती है अथवा कुंठित करने की चेष्टा की जाती है उस सभ्यता की विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती है । मेरा निश्चित मत है कि जो राजनैतिक दल ऐसी घोषणायें करते हैं एवं प्रलोभन देते हैं वह अपने राजनीतिक क्षुद्र लाभ के लिये समूची पीढ़ी को अंधे युग की ओर ढकेल रहे हैं । कर्म, परिश्रम, उद्यम जैसे श्रेष्ठ मानवीय एवं पौरुष प्रधान गुणों के स्थान पर दान, कर्जमाफी, छूट जैसे नशे की दुनिया में देश को ढकेल दिया गया तो यह देश और प्रदेश के साथ सबसे बड़ा अपराध होगा । अवैध धन प्राप्त करना, घूस लेना आदि बुराइयां इसी मानसिकता से पनपती हैं । आज आसानी से धन एवं वस्तु पाने की भावना इतनी बलवती हो गयी है कि कन्या पक्ष से सभी चीजें पाने की ललक अपराधिक स्तर तक पहुंच गयी है

और सरकार ने इसी सदन में स्वीकार किया है कि विगत 4 महीनों में दहेज के यह अपराधिक प्रकरणों की संख्या 311 हैं ।

मान्यवर, बैंक से कर्ज लेने के बाद अगर कर्ज वापस न होगा तो बैंक चलेंगे कैसे । यह कहा गया कि 10 हजार तक के कर्ज माफ होंगे या इससे अधिक के कर्ज माफ होंगे तो नहीं यह बात सिद्धान्त रूप से कैसे सही हो सकती है, किसी तिथि विशेष से पहले के कर्ज माफ होंगे बाद के नहीं तो यह न्याय के तराजू में कैसे सही उतरेगा । राहत पीड़ित व्यक्ति को दी जाती है तो राहत देने के लिये सहकारी क्षेत्र में पहले से नियम हैं । माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के पृष्ठ 6 पर एक घोषणा की गयी कि यह राहत होगी तो सर्वथा अनुचित है ।

(समय 3 बज कर 30 मिनट पर)

मान्यवर, बैंकों में जो धन जमा हुआ है और वह वापस नहीं मिलेगा तो बैंकों की व्यवस्था कैसे चलेगी ? बैंकों में जनता का जो धन जमा है उस पर बैंकों को ब्याज देना है और जो कर्ज दिया है उससे ब्याज उनको पाना है । कर्ज माफी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बैंकों में 4 हजार करोड़ रुपये डिपाजिट में बहुत बढ़त हुई थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश के बैंकों को 5 हजार रुपये का भुगतान करना है । तो वह कैसे होगा यहां पर बैंक व्यवस्था कैसे चलेगी ? मान्यवर, 1951 में ग्रामीण क्षेत्र में ऋण ग्रस्तता 900 करोड़ रुपये थी जो बढ़कर अब 52 हजार करोड़ रुपये हो गयी है । तो जो कर्ज माफी की बात करते हैं उससे मैं समझता हूं कि अर्थ-व्यवस्था को तोड़ने वाली बात है ।

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज आर्थिक नीति विश्व की एक होना चाहिये और आप अलग-अलग नीतियां बनायेंगे तो आप विकास के क्षेत्र में अपने को स्थापित नहीं कर सकेंगे । प्रदेश की विकास योजनाओं हेतु योरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक से आप सहायता लेना चाहते हैं, और इसके बाद भी आप सोचते हैं कि आप उन सभी आर्थिक नियमों को और मान्यताओं को छोड़ सकते हैं जिन्हें इतिहास के काल खण्ड में मानवता ने अर्जित किये हैं । तो मैं समझता हूं कि आप देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ।

मान्यवर, आप राहत देने की बात करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसका परीक्षण तक नहीं किया है । मान्यवर, जो बजट भाषण दिया गया उसमें 350 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जिससे 36 लाख लोगों को लाभ मिलेगा । वैसे मैं समझता हूं कि यह काल्पनिक फीगर है । चूंकि 972 रुपये औसतन एक आदमी को राहत आती है, तो इससे क्या विकास होगा और यह मिलने वाली भी नहीं है । सिर्फ खाते में लिया जाना है । मान्यवर, घोषणा की गयी कि किसानों के आर्थिक संसाधन हम बढ़ा रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बैंकों को लाभ हो रहा है, उनको तो पैसा मिल रहा है किन्तु किसान जहां थे वहीं हैं और इसी-लिये भाषण में उनकी संख्या और कौन पात्र होंगे इसका जिक्र नहीं किया गया है । मान्यवर, बजट भाषण के दिन 36 लाख लोगों को 350 करोड़ रुपये की सहायता देने की बात किया था किन्तु बीच में 10 हजार रुपये की सीमा समाप्त हो गयी और सभी के लिये कर्ज माफी की घोषणा किया । क्या माप दण्ड होगा यह भी नहीं बताया । मान्यवर, जो 10 हजार रुपये कर्ज अदा नहीं कर सकता है और यदि 20 हजार रुपये कर्ज लिया है तो 10 हजार रुपये कैसे अदा कर देगा ? इसके बारे में नहीं सोचा गया । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यहां घोषणा करने की नहीं बल्कि काम करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जो अखबारों में बयान दिया है और पात्रता सीमा बढ़ा दिया और 10 हजार से ऊपर वालों का भी कर्ज माफ होगा लेकिन संख्या 36 लाख से घटा कर 35 लाख हो गयी है तो यह कैसे मान्यवर, आज तक कोई स्पष्ट नीति की घोषणा नहीं की है संख्या के बारे में, कैसे अनुमान लगाते हैं आप हमें बताएं ?

मान्यवर, एक बात जरूर है कि शासन सख्त है इसलिये सहकारिता विभाग से आंकड़े जो पब्लिश भी होते हैं उसकी सभी बैंकों को जानकारी हो जाती है, नहीं मिल रहे हैं ।

मान्यवर, श्री नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल का बड़ा नाम लिया जाता है अर्थ व्यवस्था और उनकी विद्वता पर लेकिन उनके आदर्शों का अनुसरण नहीं होता उन्होंने कहा है कि जो निर्णय यहां लिये जायं वह राजनीति से ऊपर हटकर और वोटों के दलदल से निकल कर गुण-दोष के आधार पर लिये जाने चाहिये पर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

मान्यवर, इसके व्यावहारिक पक्ष पर भी ध्यान दें, अनुभव बताता है कि जब इस तरह की सहायतायें ग्रामीण स्तर पर पंहुचती हैं, तो वहां पर रहने वाले शक्तिशाली पुरुष, प्रभावशाली लोग और अधिकारीगण ही उसका फायदा उठाते हैं, और इसका लाभ वह नहीं उठा पाते हैं, जिनके लिये इसका प्राविधान किया जाता है । जिस तरह इसमें प्रक्रिया की जटिलता है और जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है । संसाधनों की कमी है यह योजना जब ग्रामीण स्तर पर पंहुचेगी, जिसके निर्देश आज तक वहां नहीं पंहुचे हैं, उसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पायेगा जिनका वास्तव में इसकी आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि धन और बल के नाम पर केवल प्रभावशाली लोगों के नाम ही पात्रता सूची में आ जायगे । मैं गांव की भाषा में शब्द प्रयोग करूं तो जो चौंदी और चमड़े का जूता प्रयोग करेगा, वही पात्रता सूची में आयेगा दूसरा कोई नहीं । रायबरेली जनपद में 2-3 समितियां हैं, जिनके बारे में ए0आर0 ने सूचना उपलब्ध कराई कि 100 परसेंट की वसूली हो चुकी है मार्च माह में ।

यह समितियां भी इस ओर देख रही हैं, जिनके नाम पदमन बिजोली लोधवामऊ व मऊगर्वा हैं । इन समितियों में भी 3 लाख की आप्लीकेशंस पात्र लोगों की तैयार हो रही हैं । तो आपकी योजना से ग्रामीण स्तर पर कार्यान्वित होगी, इसका आप अंदाजा करलें । इसका एक पहलू यह भी है यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिये इसको मैं नियमों की परिधि में भी देखना चाहता हूं । क्योंकि रोज हमें यहां नियम पढ़ाये जाते हैं और नियमों के अन्तर्गत हम बोल भी नहीं सकते हैं । जो इसका नियम है, उसमें है कि यह सहकारी ऋण माफ करने का अधिकार केवल निबन्धक को ही है । यह अधिकार न मुख्य मंत्री को है, न सहकारिता मंत्री को है और न सचिव सहकारिता को है और न अन्य किसी को है । लेकिन आपने तो इसके लिये एक समिति बनाकर उसमें सी0डी0ओ0 को इंचार्ज बना दिया है । मेरी समझ में नहीं आता है कि सी0डी0ओ0 को उसका इंचार्ज बनाने से वह कैसे इसे कर पायेगा उसको संवधानिक अधिकार ही नहीं है । उसकी संस्तुति का संचालक मण्डल न माने, तो क्या होगा । इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत अभी इस बारे में साफ नहीं है और जिला स्तर पर इसके लिये समितियां बनाकर इस मामले को लटकाये रखने का पूरा प्रयास किया गया है और शायद यह अगले चुनाव तक इसे इसी तरह टाले रखना चाहते हैं । इसलिये मंत्री जी इसका भी जवाब देने की कृपा करें । यह कानूनी अड़चन है, इसके बारे में आप प्रकाश डालने की कृपा करें । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में सरकार की मंशा किसानों के उत्थान की है, तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो कर्जे दिये गये हैं, माफ कर दिये जांय, बल्कि आवश्यक है कि उन्हें ज्यादा सहायता और अनुदान इस प्रकार दी जाय कि वह उसका उपयोग रोजगार के अवसर बढ़ाने में कर सकें और अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने में कर सकें । दूसरी बात क्रैडिट मूवमेंट की बात है, जिसमें सफलता की बात उन्होंने कही है और मैं समझता हूं कि इस तरह उन्होंने हेरफेर के साथ पिछली सरकार की उपलब्धियों को स्वीकार किया है । इसके लिये साधुवाद देता हूं कि इसके लिये हमें भी अपने उपनेता और तत्कालीन सहकारिता मंत्री को बधाई देनी पड़ेगी कि उनके नेतृत्व में हमारे सहकारिता कार्यक्रम ने देश स्तर पर कीर्तिमान स्थापित किया था । 88-89 में 425 के लक्ष्य के विपरीत 424 करोड़ रुपये का ऋण उन्होंने वितरित किया था । इस तरह पिछले वर्ष के मुकाबले उन्होंने इसमें 29 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो एक कीर्तिमान था. . .

श्री उपाध्यक्ष---

कितना समय अभी और आप लेंगे ?

श्री इन्द्रेश विक्रम—

10 मिनट, मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि आप देखें सरकार जो बजट पेश कर रही है वह 3200 करोड़ है और हमारी समितियों के टर्न ओवर पर ध्यान दें वह 4 हजार करोड़ है ।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि दूसरी सूचना जो दी गयी है वह 89 से 90 के बीच की है । दिसम्बर में 285 करोड़ रुपया वितरित किया गया । इसमें 30 जून तक की सूचना नहीं है । माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिये थे कि कोई सूचना न दी जाय । क्योंकि इस बीच में कोई उपलब्धि नहीं हुई । जो उपलब्धियां हुई दिसम्बर से पहले हुई । जिस बीच यह योजना बन रही थी, उस बीच नाबार्ड से ऋण देना बन्द कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप 500 करोड़ रुपये की राहत तो अब तक नहीं मिल सकी परन्तु हमारे किसानों को धन न मिल सकने के कारण 1000 करोड़ की फसल का नुकसान हो गया । जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आयी । 90–91 का लक्ष्य बताया था, लोन के लिये 500 करोड़ रुपये का । इस अवधि में 29 करोड़ रुपये बंटे हैं जबकि इसी अवधि म पिछल वष 85 करोड़ रुपय बंटे थे । 450 करोड़ रुपये का लक्ष्य खाद के लिये रखा गया और कुल 16 करोड़ रुपये बंटे हैं जबकि इसी अवधि में पिछले वर्ष 40 करोड़ रुपये बंटे थे । इससे स्पष्ट होता है। कि इस वर्ष जो उपलब्धियां हैं वह पिछले वर्ष की अपेक्षा एक तिहाई हैं । यह तो थी लोन सिस्टम की बात । फसलों का वित्तमान बढ़ा दिया गया है । 1200 और 1500 कर दिया गया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिस अधिकारी ने यह सूचना दी है उसे जानकारी दें कि वित्तमान पहले से लागू है, उसमें कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । यह पिछले दो वर्षों से लागू है । साधारण फसल के लिये 1200 और कैश क्राप के लिये 1500 । मैं माननीय नेता विरोधी दल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्योंकि उन्होंने विगत वर्षों में अपने प्रभाव से रिजर्व बैंक और नाबार्ड पर दबाव डलवाकर किसानों की सुविधा के लिये ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत से कम करु 10 प्रतिशत कर दी थी । मैं पुनः एक बार नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं इससे सामने बैठे लोग नाराज हो जायेंगे । लेकिन इनके जमाने में सहकारिता आन्दोलन में जिन्होंने भाग लिया उन्होंने गत वर्ष एक कीर्तिमान स्थापित किया । काइन्ड्स में ऋण का जिक्र करता हूं । कुल ऋण वितरण का 80 प्रतिशत काइन्ड्स में उत्तर प्रदेश में बंटा है जो प्रदेश में अन्य कहीं नहीं था। मैं सहकारिता विभाग के कर्मचारियों को बधाई देता हूं । माननीय मंत्री जी ने किसानों को खाद देने की बात की है, यह सहकारिता की बात है । उन्होंने खाद की कम्पनी "इफको" का नाम लिया । सहकारिता का एक सिद्धांत है कि सहकारी समितियां आपस में सहयोग करेंगी । पहले से ही निर्धारित किया गया था कि एक ही छत के नीचे उत्पादन किया जाय, वितरण और उपयोग किया जाय और इसी दिशा में जो छोटी-छोटी सहकारी समितियां हैं उन्होंने अंशदान करके खाद के एक कारखाने का निर्माण किया –"इफको"। इसकी विश्व स्तर पर मान्यता हुई । उसके तीन वर्षों के फायदे से दूसरे कारखाने की नींव डली–"कृभको"। यह इस समय नम्बर एक की इकाई है जिसका सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है । इस सरकार ने क्या किया ।

23 जून, 1990 को ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के आदेश से इफको और कृभकों से खाद लेना बन्द कर दिया । एक प्राइवेट फैक्ट्री से बात तय हो गयी । मेरी निश्चित जानकारी है कि खाद जो ली गयी वह महंगे दामों पर ली गयी । अब खाद 113 रुपये पर ली है जब कि इफको 103 रुपये पर देने को तैयार था ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि वाकई में खुली सरकार है तो एक संसदीय समिति बनाने की घोषणा कर दें जो इस बात की जांच करे कि जो खाद ले रहे हैं वह इन्डो-गल्फ से अधिक दाम पर खरीदी गई है या नहीं ? 200 रुपये के हिसाब से अधिक दाम पी0सी0एफ0 ने इन्डो–गल्फ को दिया इससे 118 करोड़ रुपया किसानों के नाम पर प्रदेश का बरबाद हो जायगा । मान्यवर, किसानों का शोषण किया गया और उनकी कृषि उपज के सही मूल्य नहीं दिये गये हैं । मान्यवर,

में अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लूंगा अगर सरकार घोषणा कर दे कि कृषि उत्पादों का मूल्य औद्योगिक उत्पादन की तरह लागत मूल्य के आधार पर निर्धारित करेंगे और देंगे लेकिन ऐसी मंशा सरकार की नहीं है । आपने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया । यह कहा गया कि यह कल्याणकारी सरकार है आपने 215 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य कर दिया, कहते हैं 15 रुपये बढ़ा दिया,। 15 रुपये बढ़ाने का कारण क्या है । सदन के सभी साथी जो बैठे हुये हैं वह जानते हैं कि किसान के घर गेहूं नहीं है वह गेहूं बनिये के पास पहुंच चुका था ।

श्री उपाध्यक्ष--

संक्षिप्त कर दें, और सदस्यों को मौका मिल जायगा ।

श्री बाबूलाल--

गेहूं के मूल्यवृद्धि की घोषणा कर दी गई है 32 रुपये बढ़ाये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपस में बातें न करें ।

श्री बाबू लाल--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं जब माननीय सदस्य मंत्री जी से प्रश्न कर सकते हैं, तो क्या हम इनसे प्रश्न नहीं कर सकते हैं ।

क्या इसका हमें अधिकार नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष--

अधिकार तो है, लेकिन समय कम है ।

श्री इन्द्रेश विक्रम--

आलोचना से यह नाराज हो रहे हैं आलोचना नहीं करूंगा । मान्यवर, यह जो कान्ज-मर मूवमेंट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । मान्यवर, मेरा यह प्रस्ताव है कि उपभोक्ता भण्डार बनाये जाने चाहिये । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि "शहरों और ग्रामीण अंचलों में जीवनोपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति, वितरण और मूल्यों पर निगरानी रखने के लिये उच्च-स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था की जायगी ।" मान्यवर, आज दिन-प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है । छोटी-छोटी दुकानें खुली हुई हैं वह सब सामान नहीं दे पाते हैं । यह चर्चा होती है कि सुविधायें जो देना चाहते हैं वह नहीं दे पाते हैं तो मेरा सुझाव है कि पूरा यू0पी0एस0 एफ0 जो है यहां एक सिस्टम कर दें गांव में उपभोक्ता भण्डार हों, गांव में समितियां हों, सब में एक व्यवस्था कर दें । ताकि एक ही कीमतों पर पूरे उत्तर प्रदेश में सामान उपलब्ध हो सके । मान्यवर, मार्केटिंग सोसायटी और वेयर हाउसिंग गोदाम बने हैं। मार्केटिंग समितियां सही कार्य नहीं कर पा रही हैं तो इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये मुख्य मंत्री जी सुदृढ़ करें जिससे किसान अपनी फसल इन समितियों के और वेयर हाउसेज के गोदामों में रखें और उसके विपरीत अपने उपयोग के लिये धन प्राप्त कर लें एवं जब बाजार में मूल्य उचित आये तो बेंचें । ताकि किसानों को अच्छा पैसा मिल सके ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं । प्राइमरी सोसायटियों के माध्यम से स्टोर्स, भंडार बनाये गये हैं। यह जो सोसायटियां हैं यह आर्थिक रूप से इतनी सम्पन्न नहीं हैं। जो इनको गोदाम बनाने के लिये ऋण दिया गया है उसका पेमेन्ट करने की समस्या है इसलिये मैं मांग करूंगा कि इनको जो ऋण दिया गया है उसको अनुदान में परिवर्तित कर दिया जाय। शुगर फैक्टरीज , फेडरेशन , विद्युत् विभाग में जो ऋण दिया गया था उसको

अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया है। मेरा एक अनुरोध यह भी है कि यह जो पी0 सी0 एफ0 है इसकी कार्य प्रणाली को देखें और इसकी कार्य क्षेत्र को डिफाइन करें। यह सहकारी समितियों का शोषण करता है और अपनी मुख्य भूमिका का निर्वाह नहीं कर सका है। इसने एक सोयाबीन की फैक्टरी लगायी जिसमें 8 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। उन्होंने इसके लिये यूरोपियन आर्थिक समुदाय से कर्ज लिया था और वादा किया था कि एक सोयाबीन ग्रोवर की एपेक्स सोसायटीज बनायी जायेगी लेकिन वह इसका प्रबन्ध नहीं कर सका इसलिये मेरा अनुरोध है कि इन सोयाबीन उत्पादकों की एक सोसायटीज को बनाया जाय।

मान्यवर, पी0 सी0 एफ0 कमीशन के माध्यम से कार्य करता है। नेफेड ने कह दिया कि गेहूं खरीदो, गेहूं खरीद लिया। प्याज एवं आलू खरीदता है लेकिन समितियों के माध्यम से नहीं लेता। पूरा मुनाफा खुद प्राप्त करता है। तो जैसे यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक सिर्फ ऋण देता है और भूमि विकास बैंक दीर्घ कालीन ऋण देता है उसी तरह से पी0 सी0 एफ0 के कार्यों को डिफाइन कर दीजिये और एक व्यवस्था निश्चित कर दीजिये कि या तो यह प्रोडक्शन करे और सहकारी समितियों को दे या फिर केवल खरीदने का काम करे। मान्यवर, कोल्ड स्टोरेज की बात माननीय मंत्री जी ने कही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसके लिये अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 6 करोड़ रुपया इसमें कोआपरेटिव बैंक का फंस गया है। क्योंकि कोल्ड स्टोरेज अपनी किश्त नहीं अदा कर पा रहे हैं। मैं इस सम्बन्ध में 2 बिन्दुओं को रखना चाहूंगा। सहकारी क्षेत्र के कोल्डस्टोरेज की परफारमेन्स ठीक नहीं है इसका कारण आप देखें। जो बिजली के बिल इनके आते हैं यदि वह 200 रुपये के हैं तो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वालों के 100 रुपये के आते हैं और यह 100 रुपये के आते हैं क्योंकि सहकारी कोल्ड स्टोरेज विद्युत की चोरी नहीं कर सकते दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज बनते हैं उनमें ब्लैक मनी का भी इस्तेमाल होता है जब कि सहकारिता के माध्यम से बनने वाले कोल्डस्टोरेज में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं होता है इसलिये उनकी लागत अधिक होती है और ब्याज भी अधिक देना पड़ता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। फिर भी इनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिये है कि जो आपकी घोषणा होती है कि 127 रुपये क्विंटल पर आलू रखा जायगा उन घोषणाओं का निर्वाह सहकारी कोल्ड स्टोरेज ही करते हैं। क्योंकि प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वाले जनता से ज्यादा पैसा वसूलते हैं और प्रति बोरी 4-5 रुपये ज्यादा लेते हैं। जनता भी मजबूर है क्योंकि वह आलू लौटाकर ले नहीं जा सकती। आपकी घोषणा के अनुसार ही यह कोल्ड स्टोरेज आलू रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

इन्द्रेश जी, आपको समय मिलेगा कुछ बातें बाद में रख लीजियेगा।

श्री इन्द्रेश विक्रम--

मान्यवर, सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि जो रोजगार एवं उत्पादन योजनायें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जायगा। मैं समझता हूं कि रोजगार के अवसर सरकार प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। अगर आप कोआपरेटिव क्षेत्र को यह काम दे दें तो रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। मान्यवर, इसके अलावा यह जो श्रम संविदा समितियां हैं इनको अधिक से अधिक संख्या में बनाये जिनमें मालिक कर्मचारी ही हों। ताकि इन समितियों का लाभ उठाया जा सके। इस संबंध में आपने कुटीर उद्योगों की बात की है, कुटीर उद्योग लगाये जायेंगे तो उनका लाभ होगा। इसके लिये बजट में 4 लाख रुपये हिस्से के तौर पर और 5 लाख रुपये उपकरण के लिये रखे गये हैं

तो इस पर पुनर्विचार करिये और इस राशि को बढ़ायें। मान्यवर, पूंजीवादी देश ब्रिटेन में श्रम संविदा समितियां बड़े पैमाने पर कार्य कर रही हैं और वहां पर इनकी संख्या 800 हो गयी है। इस दिशा में सरकार सोचे तो मैं समझता हूं कि रोजगार की समस्या हल हो जायगी। मान्यवर, 1958-60 में केन्द्र सरकार ने एक सर्वेक्षण कराया था जिसकी रिपोर्ट निकलवायें। उसमें बताया गया है कि 11 सौ ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जा सकते हैं। इस संबंध में लोगों को ट्रेनिंग दिलायें ताकि वह इन उद्योगों को लगा सकें। सहकारिता शिक्षा की बात कही गयी है। सहकारिता का लाभ हमारे कृषक उतना नहीं उठा पाते हैं जितना उठाना चाहिये क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। हमारे यहां 350 तहसीलें हैं और हर तहसील पर सहकारिता शिक्षा के लिये एक शिक्षक होना चाहिये लेकिन केवल 100 शिक्षक ही काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों को पूरा वेतन दें एवं रिक्त स्थान भरें। मान्यवर, आज रेडियो और टेलीविजन का युग है। शिक्षा रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से बड़ी आसानी से दी जा सकती है।

जिस तरह से "कृषि जगत" का कार्यक्रम टेलीविजन और रेडियो पर आता है उसी तरह से "सहकारिता जगत" कार्यक्रम टेलीविजन एवं रेडियो पर दिखाया जाय ताकि उसके माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र की जानकारी ग्रामीण लोगों को मिल सकें। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आडिट सेल की ओर दिलाना चाहता हूं। सहकारी समितियों का आडिट किया जाता है और उनसे पैसा लिया जाता है, जब कि सभी सरकारी संस्थाओं से आडिट फीस नहीं ली जाती है। अतः अनुरोध है कि इनसे पैसा न लिया जाय। जहां तक बड़ी संस्थाओं का सवाल है, जैसे कोआपरेटिव बैंक, पी0 सी0 एफ0 आदि उनका आडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से कराया जाय, जिससे जनता की निगाह में उनकी विश्वसनीयता बढ़े एवं उनका व्यय भार भी कम हो। इसी तरह से मान्यवर, पुलिस सेल के बारे में भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें जो पुलिस अधिकारी आते हैं, जो अपने को दंडित मानते हैं और कार्यों की ओर उदासीन रहते हैं और ये कार्य नहीं कर पाते हैं। ग्रामीण अंचल पर जहां पर भ्रष्टाचार का मामला आता है और एफ0 आई0 आर0 दर्ज, की जाती है, वहां पर 10 हजार रू0 से ऊपर होने के कारण पुलिस सेल को ट्रांसफर हो जाता है और स्थानीय जांच नहीं होती और ये कुछ करते नहीं, तो भ्रष्टाचार बना रहता है। मान्यवर, गबन के बारे में मंत्री जी ने खेद के साथ और जोर दारी से व्यक्त किया है। मान्यवर, जो 40 करोड़ का गबन है, यह पिछले 40 सालों में हुआ है, वह अगर इस साल का ऋण वितरण 500 करोड़ मानें एवं 1951 को लेकर औसत मात्र 100 करोड़ का मानें, तो मान्यवर, यह 4 हजार करोड़ में से 40 करोड़ का है, जो मान्यवर, कुल 1 परसेन्ट है और यह इतनी छीजन तो पान की दूकानों में भी हो जाती है, जहां मालिक स्वयं बैठता है। माननीय मंत्री जी एक दूसरे विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं और खुली सरकार की घोषणा भी करते हैं, तो स्वयं बतायें कि उनके विभाग में कटने वाली हर चेक पर कितना कमीशन लिया जाता है?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

आपको इसका तजुर्बा ज्यादा होगा। आप अपने साथी जो बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए, हम तो अभी तजुर्बा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रेश विक्रम--

मान्यवर, हमारे जो प्रशासक हैं, उनमें लचीलापन और गतिशीलता दो ऐसे गुण हैं कि अन्तिम समय में भी काम कराने का प्रबन्ध कर लेते हैं, तो उनकी सेवाओं को

मान्यवर, आप अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में लें एवं सहकारी संस्थाओं में सहकारी अधिकारियों को ही रखें। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं आपने भूमि विकास बैंक में ऐसा किया है और चाहता हूं कि आप ऐसे नियम बना दें कि सहकारी क्षेत्रों के अधिकारी भी इन संस्थाओं में रहें। ए0 डी0 ओ0 के बारे में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ए0 डी0 ओ0 सहकारी क्षेत्र का वह कर्मचारी है, जो ए0 डी0 ओ0 के रूप में नियुक्त होता है और उसी पद पर रिटायर हो जाता है। उसके लिये भी कुछ सोचें।

सुपरवाइजर्स जो काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं है। उनको वेतन भी नहीं मिल पा रहा है या तो सरकार उन्हें वेतन दे और ए0 आर0 के नीचे उनसे निरीक्षण का कार्य करवाये और यदि साधन न हो, तो बैंक के नियंत्रण में देदें और बैंक अपने विकास अधिकारी और कार्य अधिकारी के नीचे फील्ड स्टाफ के रूप में कार्य ले। मान्यवर, जब गन्ना सुपरवाइजर, मिल्क सुपरवाइजर सरकारी कर्मचारी हैं तो कोआपरेटिव सुपरवाइजर को भी सरकारी बनायें। इस आन्दोलन की रीढ़ सहकारी सचिव हैं, क्योंकि जो मान्यवर बड़ी बड़ी बिल्डिंग लखनऊ में आज देख रहे हैं, उन सबकी आधार ग्रामीण अंचल की समितियां हैं, जो पूर्ण रूप से इन्हीं सचिवों की कार्य कुशलता पर विकसित होती हैं, मान्यवर, इनके वेतन में सुधार करें। इनको सरकारी डी0 ए0 जितना आपने स्वीकार कर लिया है, तो अन्य सरकारी कर्मचारियों के अनुरूप समय-समय पर बढ़ने वाले डी0 ए0 से भी इन्हें भी लाभ पहुंचावें। इनका पी0 एफ0 भी काटें जिससे ये सविल सिक्योरिटी महसूस कर सकें। मान्यवर, सहकारी अमीन हैं जो गबन के लिये जिम्मेदार हैं। इनकी सेवाओं पर भी ध्यान दें। तहसील के अमीनों की तरह इनका वर्ग बनायें और समायोजित करें।

इसके साथ ही मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री अचल सिंह--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने सहकारिता के बजट पर बोलने का समय दिया। मान्यवर, यह ऐसा विभाग है जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है। गांवों की जनता से और देश स्तर तक यह विभाग जुड़ा है। प्रदेश स्तर में तो 2-3 ढांचे हैं एक तो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक और दूसरा जो जिले में सहकारी बैंक हैं और तीसरा प्रारम्भिक समितियां जो क्षेत्र में होती हैं न्याय पंचायत। जिसकी संख्या इस समय प्रदेश में 8,597 हैं। यह समितियां ऐसी हैं जो सीधे किसानों से जुड़ी हुई हैं। हर वितरण का कार्य चाहें खेतों के वितरण का हो चाहे बीज के वितरण का हो, इन समितियों के माध्यम से होता है। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इन समितियों को जो जड़ें हैं वह आज कमजोर होती जा रही हैं। उसका कारण है कि उनके ऊपर जो शासन है, वह बैंक करता है। बहुत सी ऐसी समितियां पहले की हैं जो पिछली सरकार के कार्यकाल में थी, तमाम लाखों रुपये का गबन इन समितियों में हो गया है और उसमें जो वसूली होती है वह उसी के ब्याज में चली जाती है और जो वर्तमान का मूलधन है वह बकाया का बकाया पड़ा रहता है।

हमारे जनपद में बहुत सी ऐसी समितियां हैं और होता यह है कि जो जिला सहकारी बैंक का बोर्ड है वह केवल जिला सहकारी बैंक के हितों की ओर देखता है और जो उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक का बोर्ड है वह यहां का प्रशासक देखता है दुर्भाग्य से यहां चुनाव पिछले जनता रिज्यूम के जमाने में हुए थे उसके बाद आज तक प्रशासक नियुक्त नहीं हुए, उनका ध्यान केवल उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक की ओर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहता है, इन प्रारम्भिक समितियों को नहीं देखता है, लेकिन इनके सचिव के ट्रान्सफर और उनके ऊपर कार्यवाही करने का अधिकार यह बैंक का अध्यक्ष और एस0 आर0 का है। जबकि हर समिति का एक बोर्ड है निश्चित उसका कार्यकाल होता है, निश्चित उसका कार्यक्षेत्र होता है तो इन समितियों को बढ़ाने के लिये अगर सरकार कुछ काम करे तभी यह सहकारिता का आन्दोलन पूरा होगा। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि इस समय जो किसानों की ऋण सीमा है वह अधिकतम साढ़े बारह हजार रुपये है, चाहे जितना बड़ा काश्तकार हो लेकिन उसकी ऋण सीमा वही साढ़े बारह हजार रुपये है। अब आप ही बतायें कि वह खाद लेगा, बीज लेगा तो साढ़े बारह हजार रुपये से आजके जमाने में क्या होता है? मेरी सरकार से मांग है कि इसकी ऋण सीमा को बढ़ाया जाय और उसकी जो ब्याज की दर 10 प्रतिशत है उसे कम करने का प्रयास किया जाय। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि 1983 में हमारे जनपद फतेहपुर में जिला सहकारी बैंक में एक प्रशासक नियुक्त हुआ, इस समय चुनाव हुए हैं, वह 5 साल बराबर वहीं प्रशासक रहा और जिसने लाखों रुपये का गबन किया। एक बोर्ड की समिति के वर्तमान नेता तत्कालीन सहकारिता मंत्री की उपस्थिति में 82 हजार का गेहूं बाजार में बेच लिया, जब यह नया बोर्ड आया तो इसने छानबीन कराई, उनके विरुद्ध एफ0 आई0 आर0 हुई, धारा 68 की कार्यवाही के लिये लिखा गया। लेकिन पता नहीं क्यों, चूंकि पिछली सरकार में इन उपनेता जी के बहुत बड़े चहेते थे, आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं शासन से मांग करता हूं कि उनके विरुद्ध जो 82 हजार की एफ0 आई0 आर0 गबन का है, सेल उसकी जांच करे और धारा 68 में कार्यवाही करें। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री बसन्त लाल गुप्त—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के सम्बन्ध में आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका आभारी हूं। सहकारिता एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में हम लोगों को गम्भीरता से विचार करना है। बजट में कितने आंकड़े हैं, कितनी कमी है, कितना गबन है, दूसरी बात है, लेकिन सहकारिता का मूल आधार यह है कि नागरिकों में सहकारिता से, सहयोग से काम करने की आदत पड़े। दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सहकारिता विभाग का जनाजा निकल रहा है और देश से सबसे बदनाम यही दो प्रान्त हैं। यहां सहकारिता बदनाम हुई है। मेरा कुछ सहकारिता से सम्बन्ध रहा है। मैंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिण और गुजरात में देखा कि जनता को कितना लाभ हो रहा है सहकारिता के माध्यम से जनता वास्तव में सहकारिता के गुण गा रही है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में देखें तो दिखाई पड़ेगा कि सहकारिता के नाम पर लोग कितना उपयोग कर रहे हैं और कितना उसका दुरुपयोग हो रहा है। इसका उदाहरण आपके सामने है। आप उत्तर प्रदेश में देखें कि हर अधिकारी, कर्मचारी या स्थान पर बैठा व्यक्ति सहकारिता के नियमों के अन्दर क्या अधिकार प्राप्त हैं, उनका उपयोग कर रहा है, उसी का पेज पढ़ रहा है। कर्तव्य क्या है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। वैसे तो सारे देश और प्रदेश में हर स्तर पर अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। मंत्री, विधायक, कर्मचारी हर व्यक्ति अधिकार का पाठ पढ़ रहा है और उसका पालन कर रहा है।

पिछले 42 सालों के शासन में अधिकारों का तो उपयोग किया गया है लेकिन किसी स्तर पर कर्तव्य का ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरण के लिये बताना चाहता हूं कि उप निबन्धक, जिला सहकारी समिति होता है और निबन्धक होता है। उनको धारा 35 में अधिकार प्राप्त है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि किसी भी चुनी हुई इकाई को जब चाहे भंग कर सकता है । नियम दिये हैं कि किस बात पर भंग कर सकता है । लेकिन हमेशा अपने अधिकारों का प्रयोग करके सही इकाइयों को भंग कर देता है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हर आदमी को पैसा चाहिये, चाहे जैसे मिले । किसी के बेटे को पता चल जाय कि बाप के पास 20 लाख रुपया है तो पिताजी से पूछेगा कि 20 लाख देते हैं या नहीं । अगर नहीं देते हैं तो हत्या कर देगा या जहर खा लेगा । आज लक्ष्य यह है कि अधिकार कितने हैं । यदि सहकारिता में अधिकारों के उपयोग की जगह कर्तव्य पालन करें तो अधिकारी गांव-गांव जाकर सहकारी समितियों को देखें और जो सही रूप से नहीं चल रही हैं, उन पर ध्यान दें । सहकारिता आन्दोलन में क्या-क्या कमी है, इस पर ध्यान देकर उनको बढ़ाएं । आप देखें कि लखनऊ नगर में एक समिति के बारे में निकला कि लूट रही है, बड़ा भारी निकला, लेकिन क्या हुआ, पता नहीं । क्योंकि कोई अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहा है । हर व्यक्ति अधिकारों का उपयोग कर रहा है । इस आन्दोलन को कोई अपनापन नहीं दे रहा है । मैं नहीं कह रहा हूं कि हर अधिकारी दोषी है । यह सही है कि हर अधिकारी बदनाम है । लेकिन यह सही है कि हर अधिकारी ऐसा नहीं है । मैं देख रहा हूं कि जो ईमानदार अधिकारी सहकारिता विभाग में हैं वे अपने स्तर पर भली प्रकार काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके उच्चाधिकारी उन्हें वह काम करने नहीं देते हैं । यह गम्भीर विषय है और विचार करने का विषय है । सहकारिता आन्दोलन को चलाने के लिये मैं लम्बे चौड़े भाषण नहीं करना चाहता यह जरूर प्रार्थना करूंगा कि उन अधिकारियों की ओर आप ध्यान दें जो वास्तव में ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं परन्तु उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । अब कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बसन्त लाल गुप्त—

सहकारिता की गिरी हुई प्रतिष्ठा को अगर यह सरकार ऊपर उठा देगी तो यह उपलब्धि होगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें । आप लोग बैठें ।

*श्री अशोक कुमार पाण्डेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सहकारिता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । सहकारिता विभाग के प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये और श्री इन्द्रेश विक्रम द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करते हुये मान्यवर यह कहना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व में सहकारिता को एक नयी दिशा मिली है, प्रदेश को एक नयी दिशा मिली है । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को मुख्य रूप से तीन चीजों के लिये बधाई देना चाहता हूं । पहली बधाई यह देना चाहता हूं कि घोषणा-पत्र में जो मुख्य मंत्री जी कह कर आये थे कि किसानों के ऋण हम माफ करेंगे, अपनी कथनी और करनी में उन्होंने कोई अन्तर नहीं रखा और ऋण माफी की घोषणा की । दूसरी बधाई यह देना चाहता हूं कि पहले दिल्ली से कोई आदेश हो जाता था और यहां पर नेता लोग यहां की सरकार दंडवत करके उसको शिरोधार्य कर लेते थे, यूरिया खाद के ऊपर भारत सरकार ने उसका दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता से यह कहा कि यूरिया खाद के दाम हम प्रदेश में नहीं बढ़ने देंगे । तीसरी बधाई यह देना चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में नया प्रयोग किया है, हर मर्ज की एक दवा नहीं है, आई0 ए0 एस0 अधिकारी ही शीर्ष संस्थाओं के प्रशासक बनाये जायेंगे यह नहीं है, उन्होंने एक निष्ठावान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकारी को भूमि विकास बैंक में प्रतिष्ठापित करके सराहनीय काम किया है । सहकारिता विभाग गांवों से लेकर पूरे देश में फैला हुआ है । उत्तर प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा है, उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है, यहां पर सहकारिता का भविष्य बहुत ही अंधकारमय रहा है उसका कारण यह है कि नियंत्रण किसी का है, वेतन कोई देता है, नियुक्ति कोई करता है ।

इस तरह से आपस में कोई सामंजस्य नहीं है । हमारी जो प्राइमरी सोसाइटियां हैं, सचिवों की नियुक्ति उप निबन्धक, मण्डल उप निबन्धक करते हैं, वेतन जिला सहकारी बैंक देते हैं, प्रशासन पर अंकुश लगाने की बात है तो बैंक का सभापति सक्षम अकेले नहीं है, उसका एक कैडर कमेटी है । 1977 में जो सहकारिता मंत्री रहे, आज सौभाग्य से वे प्रदेश के मुख्य मंत्री हैं । मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक समय ऐसा था कि जब उस कैडर कमेटी के चेयरमैन सहायक निबन्धक हुआ करते थे । माननीय मुलायम सिंह जी ने उस परिपाटी को खत्म करके यह परम्परा डाली कि बैंक का सभापति ही उसका सभापति हुआ करेगा । यह भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश स्तर पर एक यहां पर सेवा मण्डल बना हुआ है, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक जो है, वह बैंक का सचिव और उसका पर्सनल उनका प्रबन्ध तंत्र वह देखते हैं, क्लास–4 का बैंक की प्रबन्ध समिति देखती है तो केवल क्लास–3 और क्लास–2 वर्ग के कर्मचारियों के लिये उत्तर प्रदेश में यह जो सेवा मण्डल खोल रखा है, मुझे तो कहने में कोई संकोच नहीं है वह भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, उसको समाप्त करके निबन्धक को यह कार्य दिया जाय और एक व्यवस्था कायम की जाय । फसल बीमा योजना जो लागू की गयी है, वह सभी जिलों में लागू नहीं की गयी है । मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाय, जिससे सब लोगों को इसका लाभ मिल सके, इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री वीरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । मैं श्री इन्द्रेश विक्रम द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुये आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी किसानों के हित के लिये बड़े बेचैन हैं और किसानों के हित की वह बात भी करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगता नहीं है । आप देखें, आज बजट हो रहा है और 15 दिन पहले से धान की रोपाई चल रही है, आज से एक महीना पहले खाद पहुंच जानी चाहिये थी, लेकिन एक महीने तक उप प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के अहम का टकराव होता रहा, जिस कारण इफको की खाद न लेकर निजी संस्थाओं, निजी उत्पादकों की खाद ली गयी । मान्यवर, इफको और कृभको पर इस प्रदेश का करोड़ रुपया लगा हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी जब सहकारिता मंत्री थे, उन्होंने इफको और कृभको के शेयर बिकवाये थे । इफको और कृभको की खाद जो अच्छी मानी गयी थी, उनको न लेकर, वह खाद खरीदी गयी, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था । यह सहकारिता के लिये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा लगता है यह कोई साजिश थी, चाहे जैसे रही हो । मान्यवर, मुख्य मंत्री जी की बेचैनी, किसानों के प्रति, पता नहीं मात्र दिखावा है या सचमुच है ।

पिछले आम चुनाव में माननीय मुख्य मंत्री जी ऋण माफी की घोषणा करके, एक रिश्वत देकर सत्ता में आये, लेकिन आप स्वयं देखें, कि आज तक कितने किसानों का ऋण माफ हुआ है, कितनों का राइट आफ किया गया है, यह मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा । मान्यवर, अगर ऋण माफी की घोषणा नहीं होती, तो किसान अपने बकाये अदा कर दिये होते, लेकिन इसी की वजह से आज किसानों को खाद तक नहीं मिली । मान्यवर, ढिंढोरा बहुत पीटा गया, ऋण माफी का, लेकिन इस ऋण माफी की घोषणा से किसानों का ही नुकसान हुआ, उनको खरीफ की फसल के लिये खाद नहीं मिली और जब खाद नहीं मिली, तो फसल क्या होगी ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, हमारे कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले इन्द्रेश विक्रम जी ने जैसा बताया कि इस ऋण माफी की घोषणा से एक प्रवृत्ति लोगों के मन में आ गई, जिसका नुकसान उठाना पड़ रहा है । इससे पहले पिछली सरकार ने बुनकरों के थोड़े से पैसे को माफ कर दिया था, जिससे सहकारी बुनकर समितियां सब बैठ गयी थीं । इस तरह आप देखें कि मुख्य मंत्री जी की इस घोषणा से किसानों का हित नहीं, बल्कि नुकसान हुआ है । इसी तरह से सहकारी क्षेत्र की समितियों के जो शीतगृह हैं, वह अधिकांश घाटे पर चल रहे हैं, फिर भी उन सभी को शीत गृह बनवाने के लिये लोन दिया जा रहा है । जो समितियां स्वप्न में भी नहीं सोच सकती उनको शीतगृह दिया जा रहा है । इस तरह के अविवेक पूर्ण निर्णय से सहकारी क्षेत्र दुर्गति का शिकार हो रहा है ।

इसी तरह से ये जो सहकारिता क्षेत्र की समितियां हैं, उनको बैठाने का काम होगा। पिछली कांग्रेस की सरकार में श्री लक्ष्मी शंकर यादव जी ने चेक बुक की योजना बनाई थी । मेरा सुझाव है कि इसकी जांच की जाय कि वास्तव में चेक बुकें उसी सदस्य को मिली हैं या नहीं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री धनी राम वर्मा—

मान्यवर, सहकारिता का जो बजट यहां पर रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने सहकारिता के ऋणों को माफ करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, लेकिन इसके साथ ही साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि सन् 1977 में जब माननीय मुख्य मंत्री जी सहकारिता मंत्री थे तो उस समय 2 रुपये सैकड़ा छोटे काश्तकारों को व 1 रुपया सैकड़ा बड़े काश्तकारों का सूद माफ किया था, लेकिन जब 1980 में पुनः कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई तो जो 19 परसेन्ट छोटे काश्तकारों को और 1 रुपया परसेन्ट बड़े काश्तकारों को पड़ता था, उसे कांग्रेस ने 14 परसेन्ट कर दिया । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह पुनः छोटे काश्तकारों के लिये 2 रुपये सैकड़ा और बड़े काश्तकारों के लिये 1रुपया सैकड़ा सूद की दर कम कर दें, जैसा कि पहले इस सरकार ने किया था । माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय एक क्रांतिकारी कदम और उठाया था कि किसी भी काश्तकार से मूलधन के दून से अधिक पैसा वसूल नहीं किया जायेगा, परन्तु जब कांग्रेस पुनः सत्ता में आई तो 3 गुना, 4 गुना, यहां तक कि 5 गुना वसूल किया जा रहा है, जो एक तरह से लूट है, इसलिये मेरा निवेदन है कि सन् 1977 की तरह का कानून इस पर पुनः लागू कर दिया जाय ।

मान्यवर, एक राय मैं और रखना चाहता हूं कि जो कैश क्रेडिट बनती है, जिसमें किसान का हिसाब लिखा जाता है, सचिव लोग फर्जी हिसाब लगाकर, जिसके पास एक डेसिमल जमीन भी नहीं है, उसमें 10–10 हजार का कर्जा लगा देते हैं और पैसे को अपने जेब में डाल लेते हैं, इस पर प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये और जो लोग यह गलत काम करते हैं, उनको सजा दी जानी चाहिये । मैं दो साधन सहकारी समितियों का उदाहरण देना चाहता हूं । पिछली कांग्रेस की सरकार में बिधूना ब्लाक के हरदू और बरकसी साधन सहकारी समितियों में, उनके पास एक डेसिमल जमीन नहीं है, परन्तु 5–5 हजार व 10–10 हजार उनके खाते में ऋण के रूप में डाल दिया गया । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीज वितरण का कार्य जो समितियां करती हैं, उनको भी बीज बोये जाने के 1–2 महीने पहले दिया जाना चाहिये । जब धान का पौध लगने लायक हो जाता है, तब आप देते हैं तो उसका कोई सदुपयोग नहीं होता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री धनी राम वर्मा—

गेहूं का बीज काश्तकारों को नहीं मिलता है और यह कहकर कि गेहूं खराब हो गया है, सस्ते दर पर नीलाम कर दिया जाता है । मैं चाहूंगा कि एक कमेटी बनाकर इस लूट को रोका जाय । इन्हीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शब्दों के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री श्याम सुन्दर शर्मा—

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया । इसके साथ ही भाई इन्द्रेश विक्रम जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं ।

जहां तक एक ओर ग्रामीणों के उत्थान और गरीबों के उत्थान की बात की जाती है, इन्द्रेश विक्रम जी ने जो इशारा किया है, उसको समाप्त करने का कोई इशारा इस बजट में नहीं किया गया है । सबसे बड़ा मजाक जो जनता के साथ सरकार ने किया है, 10 हजार रु0 तक के कर्जे की माफी की घोषणा है, हमने टी0 वी0 पर भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा और इश्तहार भी पढ़ने को मिला, रेडियो पर भी सुनने को मिला और जगह-जगह भाषणों में भी सुनने को मिला । मुख्य सचिव का जो 30 मई का एक परिपत्र है, जो निबन्धक, सहकारिता के नाम सम्बोधित है, जिसमें तमाम कैटेगरीज को सम्मिलित किया गया है, 10 हजार रु0 तक के कर्जे की माफी की घोषणा, जिसमें कैटेगरीज बनायी गयी हैं । सचिव को अधिकार दिया गया है कि एक कैटेगरी की ऋण माफी होगी, सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सचिव के ऊपर आ जाता है । इस सरकार ने निचले स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है । मैं यह भी कहना चाहता हूं जैसा भाई इन्द्रेश विक्रम जी ने कहा, इस किताब में उसका समावेश नहीं किया गया, 30 जून तक की कोई चीज इसमें लिखी नहीं गयी हैं । इससे साबित हो जाता है कि सोसाइटियों की वसूली इस साल क्या रही है । इससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो जाता है ।

आज इस सरकार ने साबित कर दिया है कि जो वसूली हुई है, "कनवर्जन" के द्वारा की है । भाई अरुण कुमार सिंह के कार्यकाल की बात कहना चाहता हूं, उस समय कोई भी प्रोमोशन और स्थानान्तरण बेईमानी से नहीं होता था । मैं उदाहरण देना चाहता हूं कितने ही शीर्षस्थ अधिकारी हैं, एपेक्स इन्स्टीट्यूशन के डिप्टी रजिस्ट्रार उनके हेड आफ दि डिपार्टमेंट बना दिये गये हैं । जब एडीशनल रजिस्ट्रार मौजूद हैं तो फिर डिप्टी रजिस्ट्रार को क्यों शीर्षस्थ संस्थाओं का हेड आफ दि डिपार्टमेण्ट बना रखा है ।

(समय 4 बजकर 30 मिनट पर)

मान्यवर, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री की कथनी और करनी में अन्तर है । इस देश का प्रथम द्वारपाल जो कि सहकारिता का सारा काम करता है, सहकारिता का बहुत बड़ा सम्मेलन किया था उसमें नेता सदन ने कहा था हे केशव, हे माधव हमारी पेंशन लागू करा दी जाय और मुख्य मंत्री ने उस समय इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक अपनी घोषणा का पालन उन्होंने नहीं किया इसलिये उनकी कथनी और करनी में अन्तर साबित हो जाता है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जय हिन्द ।

*श्री नरेन्द्र चन्द्र उत्तम—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मुख्य मंत्री जिनके पास सहकारिता विभाग भी है उनको बधाई देना चाहता हूं और जहां हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी की कथनी और करनी में अन्तर है, यह बात सही नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि दस हजार तक सहकारी और सरकारी कर्ज माफ किया जायेगा । जैसे ही यहां पर मंत्रिमण्डल बना सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह काम पूरा किया, इसलिये यह कहना कि उनकी कथनी और करनी में अन्तर है, यह बात असत्य है । आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि सहकारी मंत्री होने के नाते आपने यह कार्य अपनी घोषणा के अनुसार पूरा कर दिया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरी प्रार्थना है कि जनपद फतेहपुर में समरवन में एक कोआपरेटिव फैक्ट्री की स्थापना की जाय क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई भी उपयोग नहीं है । इसके साथ ही हमारा आपसे अनुरोध है कि जनपद फतेहपुर में नान प्लान फार्म फैक्टर योजना की भी स्थापना की जाय और फिर नान प्लान फार्म फैक्टर योजना के अन्तर्गत उद्यमियों को रोजगार लगाने के लिये ऋण भी दिया जाय । इस तरह की व्यवस्था पूरे प्रदेश में भी की जाय ।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक सोसाइटी में दो रुपया प्रति सदस्य चार्ज किया जाता है तो इस तरह से प्रत्येक समितियों में इसका लाखों रुपया जमा है जिसका आडिट न होने के कारण उसका दुरुपयोग होता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसका आडिट कराया जाय जिससे कि समितियों का संचालन सुचारु रूप से हो सके, यह मेरा सुझाव है ।

मैं सहकारिता के मामले में एक बात और कहना चाहता हूं कि सहकारी समितियां राजनीति से जुड़ी हुई हैं । 42 वर्ष पूर्व के इतिहास में जिस संस्था को लागू किया गया उसने सदैव भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने के कार्य का कार्यान्वयन किया है, इसमें चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे किसान हों या फिर चाहे कर्मचारी हों, सारे के सारे उसको लूटने का काम करते हैं ।

मैं, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जो इस विभाग के मंत्री भी हैं, निवेदन करता हूं कि इसके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मेरी बात को उन तक पहुंचा दिया जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

*श्री लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने पर अवसर दिया है, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं । इस समय सहकारिता विभाग की जो पुस्तक हमें दी गयी है जिसमें एक संस्था के बारे में कहा गया है जो कि 1986-87 सत्र में यह किया गया था कि 22 छात्रों में से 16 छात्रों का चयन तत्कालीन मुख्य मंत्री के प्रथम सचिव की अध्यक्षता में जिसमें 7 आई0ए0एस0 अधिकारी तथा दो सहकारिता आन्दोलन के बड़े अधिकारी थे, इन नौ आदमियों के बोर्ड ने इसमें से 16 छात्रों का चयन किया था जिनमें से 11 को विभिन्न सहकारी विभागों में ट्रेनिंग में भेज दिया गया था और 5 को ट्रेनिंग के लिये मण्डी परिषद् में भेज दिया गया था । यह नौजवानों की महत्वपूर्ण समस्या है ।

वे मण्डी परिषद् में भेजे गये थे और वह आज तक सहकारी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद भी सेवा में नहीं लिये गये हैं । तीन तो सहकारिता विभाग में अन्यत्र भेज दिये गये । मैं आपके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि आखिरकार इन दो नौजवानों ने कौन सा गुनाह किया है, कौन सी गलती की है, जो इन्हें ही केवल सेवा में नहीं लिया गया । इतनी हाई पावर कमेटी द्वारा चयनित होने पर भी वह सड़क पर घूम रहे हैं और उनको किसी सेवा में नहीं लिया गया है । 22 फरवरी, 1989 को वर्तमान मुख्य सचिव श्री भार्गव तत्कालीन ए0 पी0 सी0 थे तो उन्होंने स्पष्ट आदेश किये थे कि इन लोगों को मंडी समिति में खपाया जाये । उन आदेशों का पालन निदेशक द्वारा नहीं किया गया । निदेशक मंडी समिति चाहते भी हैं, लेकिन जो वहां के संयुक्त निदेशक प्रशासन हैं वह बिलकुल नहीं चाहते हैं । उनके नाम भी मैं बताना चाहता हूं एक का नाम है नरेश राघव और दूसरे का नाम है उमाकान्त निगम वह आज भी घूम रहे हैं । उनको कोई नौकरी देने के लिये तैयार नहीं हैं । वह सरकार की कमेटी द्वारा चयनित हुये थे । मान्यवर, वैसे तो यह पाप पिछली सरकार का है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सरकार उस पाप को धोये और उन दो नवयुवकों को नौकरी दे, तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा ।

मान्यवर, एक और आग्रह करना चाहता हूं कि मेरठ क्षेत्र में सहकारिता आन्दोलन अपनी दम तोड़ रहा है । पिछली सरकार के लोग उस पर काबिज हैं, जिन्हें काम करने का कोई तरीका नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मालूम है । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि मेरठ में सहकारिता आन्दोलन का पुनर्गठन किया जाये और उसका विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाये तथा गति लायी जाये ।

श्री बाबू राम यादव—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज 77 के बाद पहली बार घोषणा की है कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे और सहकारी कर्जे माफ किये हैं । हमारे सामने बैठने वाले साथी बोल रहे हैं कि कर्जा माफी की घोषणा हुई, लेकिन माफ नहीं हुआ है । मैं उनको क्या कहूं । इनकी हालत क्या हो रही है । मान्यवर, सत्ता गयी तो गयी, इनका विवेक भी चला गया और ऐसा विवेक गया है, जैसे

ग्रह गृहीत पुनि वातवश, तेहि पुनि बीछी मार ।
ताहि पिवाइये वारुणी, कहो कवन उपचार ॥

से इनकी यह हालत हो गयी है । 14 तारीख से निरन्तर बैठते हुये इतने दिन हो गये हैं इन्हें पता नहीं मैं कहना चाहता हूं कि 500 करोड़ रुपया किसानों का कर्जों का माफ हुआ है । आपको इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिये । मान्यवर, यह सहकारिता का पहला बजट है जिसने किसानों के कर्जे माफ किये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप इस आधार पर चले होते ।

(व्यवधान)

यदि गरीबों की तरफ देखा होता तो आज आपकी यह दुर्दशा न होती आज इनमें विवेकशून्यता हो गई है । आपका कहना है कि कर्जे की माफी नहीं है । यह आपकी अज्ञानता है, आप जानते नहीं हैं या जानबूझकर इसे जानना नहीं चाहते हैं । हमसे पहले आप थे । इस विभाग को आपके लोगों ने चरागाह बना रखा था । चाहे मुन्ना हो या बच्चा हो, जो आया वह इस विभाग को लूट ले गया । मैं मुन्ना जी से कहना चाहता हूं कि आपने इस विभाग के लिये क्या किया है । मान्यवर, इनके किस्से किसको पता नहीं है । उपाध्यक्ष जी, आपको भी मालूम है कि बच्चा जी के यहां से नोटों से भरे बक्से चोरी चले गये । इस विभाग से इनका कोई मतलब नहीं है । इसको तो आपने चरागाह बनाया था । आज किसी तरह से सच्चे जन-प्रतिनिधियों के हाथ में यह विभाग आया है तब कहीं सहकारी कर्जे की माफी हो गई । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी तक एक साथी कह रहे थे । मुख्य मंत्री जी की वार्ता हुई थी । उन्होंने कहा कि हम इफ्को से खाद नहीं खरीदेंगे और फिर खरीद ली । आप अखबार पढ़ते होंगे, टेलीविजन देखते होंगे, रेडियो सुनते होंगे, इफ्को वालों ने पहले खाद के दाम बढ़ा कर मांगे थे । मुख्य मंत्री जी ने कहा हम किसी भी हालत में बढ़े हुये दाम पर इफ्को से खाद नहीं खरीदेंगे और बढ़े हुये दाम पर किसानों को यह खाद नहीं बेचेंगे, चाहे हमें किसानों के लिये कहीं और से व्यवस्था क्यों न करनी पड़े, या बजट में उसके लिये क्यों न व्यवस्था करनी पड़े ।

इस प्रकार मान्यवर, मुख्य मंत्री जी अड़े रहे अपनी बात पर । अन्त में इफ्को वालों को झुकना पड़ा लेकिन उनकी खाद महंगे दाम पर स्वीकार नहीं की । तब बाद में निर्धारित मूल्य पर खाद देने के लिये इफ्को वाले राजी हुये ।... (व्यवधान) मान्यवर, एक सुझाव देना चाहता हूं मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस धारणा के लोग जो हमारे सामने बैठे हैं इन्होंने किसानों के नाम पर कर्जा डाल कर खाद खुद ले ली । इसको समाप्त करने का इस सरकार ने कदम उठाया है इसका परिपालन होना चाहिये ।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हमारे यहां कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है करहल में एक सहकारी कोल्ड स्टोरेज बना दें । इन शब्दों के साथ मैं इस जनप्रिय और किसान प्रिय सरकार के बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री राम प्रसाद सिंह--

माननीय, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, सरकार ने जो 10 हजार रुपये के कर्जे की माफी का जो ऐलान किया वह एक बड़ा अच्छा कदम है और मैं इसकी सराहना करता हूं । लेकिन जो सरकार ने एलान किया है वह 2 अक्तूबर, 1989 की तिथि रखी है । मैं नहीं समझता हूं कि वह जो रजिस्ट्रार सोसाइटी है यह सरकार की मंशा अनुकूल काम कर रहे हैं या नहीं । मान्यवर, यह जो लोफ लेट बंटा है उसमें ऐसे कृषक, दस्तकार, शिल्पकार, भूमिहीन कृषक आदि जो अल्पकालीन, मध्य कालीन और दीर्घकालीन ऋण लिये हैं उनको 10 हजार तक के ऋण की छूट की पाबन्दी दी गई है । इसमें 4 5 प्रतिबन्ध लगाये गये हैं जिसके आधार पर बहुत से किसान रह जाते हैं 2 अक्तूबर, 1989 को जो देय ड्यू थे उनके लिये किया गया है प्रतिबन्धों में पहले यह था कि 50 प्रतिशत लगातार दो वर्ष जिनकी फसल का नुकसान हो गया हो 2 वर्षों में एक किश्त दी हो दूसरा यह है कि जिन पर 2 अक्तूबर, 1990 को अतिदेय था और जिनकी मृत्यु हो गयी हो और तीसरा ऐसे अतिदेय जिन्होंने परिसम्पत्तियों के नुकसान के कारण वापसी अदायगी न की हो । या जो दिवालिये घोषित कर दिये गये हैं या उनकी कोई याचिका प्रस्तुत हो तो इस तरह के इन्स्ट्रक-शन्स रजिस्ट्रार ने दिये हैं, इसके आधार पर बहुत से किसान इस ऋण राहत योजना के लाभ से वंचित हो जाते हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं वह इस विषय पर गौर करेंगे । रजिस्ट्रार द्वारा जो घोषणा की गयी है उसमें संशोधन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह--

सोसाइटीज के विषय में बड़ी चिन्ता व्यक्त की गयी वास्तव में उनकी हालत खराब है लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्रदेश कोआपरेटिव बैंक जिला कोआपरेटिव बैंक को कर्ज देता है और जिला कोआपरेटिव बैंक क्षेत्रीय सोसायटीज को या क्रेडिट सोसायटीज को कर्ज देता है । तो जो रजिस्ट्रार के निर्देश गये हैं उसके अनुसार जिला कोआपरेटिव बैंक सोसायटीज से या क्रेडिट सोसायटीज से अशोध्य ऋणों में ब्याज नहीं ले सकता है लेकिन प्रदेशीय कोआपरेटिव बैंक जिला कोआपरेटिव बैंक से अशोध्य ऋण में ब्याज ले रहा है । छूट नहीं दी जा रही है । प्राइमरी एवं केन्द्रीय समितियों, बैंकों की हालत खराब हो रही है । पी0 सी0 पी0 से छूट मिलनी चाहिये । निबन्धक इसे देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें । शैलेन्द्र जी आप एक मिनट में अपनी बात कह दें ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

माननीय उपाध्यक्ष जी आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं माननीय इन्द्रेस विक्रम जी के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

इधर उधर की बातें मत करिये, सुझाव दीजिये ।

श्री शैलेन्द्र कुमार--

मैं सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ आकर्षित करता माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्रिगण यह कहते रहते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे । तो मैं उनका ध्यान आकर्षित

करना चाहता हूं कि सहकारिता विभाग में 29 नवम्बर, 1989 को चयन समिति ने एक सूची बनाई गयी थी खतम करके रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार को इसे खत्म करके हाई पावर कमेटी बनायी गयी है । इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और जो लोग चयनित हो गये हैं उनके साथ अन्याय होगा ।

बात आपके पूर्व एम0 डी0 एस0 आर0 एस0 यादव थे और हर्षवर्धन जी जो एक्स एम0 एल0 ए0 रह चुके हैं वह इस समय एम0 पी0 हैं उन्होंने शिकायत की थी लेकिन उसका कोई पता नहीं चला बड़ी मात्रा में घपला किया गया था ।

इसी तरह से सुजीत बनर्जी एम0 डी0 थे उनके खिलाफ भी 3 करोड़ का मामला था जिसकी शिकायत श्री रेवती रमण सिंह जी ने किया था लेकिन उससे भी कुछ एक्सन नहीं हुआ । अभी मंत्री जी कह रहे थे कि 40 करोड़ का गबन कोआपरेटिव विभाग में है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई । आप व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप बैठें (व्यवधान) अब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री बहादुर सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे सहकारिता के बजट पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । साथ ही साथ माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सहकारिता के बजट का समर्थन करता हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें 10 हजार रुपये तक के सहकारिता के कर्जे माफ किये गये हैं लेकिन जो सूची है उसमें जो सहकारिता की तीसरी इकाई सहकारी समितियां हैं उनके सचिवों द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा रहा है । सहकारी समितियों के सचिव जिनका सीधा सम्बन्ध देहाती क्षेत्र से और किसानों से होता है वह पिछले वर्षों में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं उनके द्वारा किसानों को जो कर्ज दिये जाते थे उसमें वह नये-नये व्यक्तियों के नाम कर्ज डाल देते थे और उस पैसे को अपने प्रयोग में ले आते थे और वसूली के समय उनका उत्पीड़न होता है जिनको पैदा मिला ही नहीं है ।

उनके द्वारा जो खाद का वितरण होता है उसमें भी उन्होंने बहुत घपला किया है बड़ी-बड़ी कम्पनियों से जो अच्छी किस्म की खाद होती है वह सहकारी समितियों को दी जाती है लेकिन उसे वह समय पर नहीं लेते हैं और अगर शिकायत की जाती है तो ऊपर से उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है किसानों को खाद पर सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है उसको भी वह स्वयं खा जाते हैं । इसलिये सहकारी समितियों में जो सचिव हैं उनका काम बहुत ही निम्न स्तर का है उसमें आपस में होड़ लगी है कि कौन सचिव अधिक से अधिक पैसा ले सकता है । इसलिये सुझाव है कि इस पर विशेष कठोरता से कार्यवाही करें । आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री इन्द्रेश विक्रम--

मान्यवर, जो सुझाव आये हैं उसके लिये माननीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद । मान्यवर, मैं एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं मान्यवर, समय के साथ ही साथ शब्द अपने अर्थों में विस्तार पाते हैं जैसे आज कृषि का अर्थ जैसे गेहूं या धान पैदा करना ही नहीं वरन कृषि के अन्दर गाय पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन समाहित हो गया है । मान्यवर, इसी तरह मानव अधिकारों में भी अपने अर्थवत्ता में विस्तार पाया । यह सरकार भी काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखना चाहती थी पर अभी नहीं कर पायी है । मैं महसूस करता हूं कि

आज सबसे मौलिक बुनियादी महत्व का अधिकार है विकास कार्यों से लाभान्वित होने का है। सुदूर ग्रामीण अंचल में रहने वाले या पहाड़ में रहने वाले नागरिक विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनना चाहते हैं और उसका लाभ उठाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं मुख्य मंत्री जब भी जहां जाते होंगे या मंत्री जो अथवा इस सदन के सम्मानित सदस्य तो वहां के लोग सड़क, स्कूल और अस्पताल की बात करते होंगे और इतनी बड़ी धनराशि सरकार व्यय करने जा रही है उससे निर्माण नहीं हो रहा है। अब जब कि उसे खजाना खाली मिला था और टैक्स भी नहीं लगाये हैं फिर भी सरकार 500 करोड़ रुपये व्यय करने जा रही है, इससे क्या विकास होने जा रहा है बताय इससे एक भी रोजगार दिवस का सृजन नहीं होने जा रहा है और न अन्न का एक भी दाना पैदा होगा। जिन कर्मचारियों ने किसानों के नाम गलत ऋण डाला था केवल उनको लाभ मिलेगा, भ्रष्ट कर्मचारियों को राहत मिल जायेगी लेकिन इस धन से किसानों को लाभ नहीं होगा बल्कि बैंकों को पैसा मिलने वाला है और ऋण माफ हो रहा है, लेकिन इससे किसानों का विकास नहीं हो रहा है। इसलिये अनुरोध है कि कृषि कार्यों के लिये काम किया जाये। हमारे प्रदेश में 1.90 करोड़ किसान परिवार हैं जिनमें 35 लाख किसानों को फायदा ऋण माफी से होगा। इस प्रकार .70 लाख किसानों के साथ अन्याय है जो सहकारी क्षेत्र में नहीं हैं और 85 लाख उन किसानों के साथ भी अन्याय है जिन्होंने ऋण का उपयोग किया और अदा किया और राष्ट्रीय उत्पादन में भी सहयोग दिया।

अन्त में मैं नेता सदन के विचार अपने पक्ष में रखना चाहता हूं, मान्यवर, जब वह 1974 में विपक्ष में थे कटौती का प्रस्ताव रखा था और कहा था कि अमेरिका में किसानों को पैसा दिया जाता है जो उसको उपयोग करते हैं लेकिन फसल नष्ट हो जाती है तो दुबारा आवश्यकतानुसार ऋण दिया जाता है और दुबारा भी उत्पादन नहीं बढ़ा पाता तो फिर उसको सहकारी ऋण नहीं दिया जाता है। इसलिये मेरी मांग है कि किसान को आवश्यकतानुसार धन दें और नियम बनायें कि फसल नहीं पैदा करते हैं तो दुबारा ऋण नहीं दिया जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो बहुमूल्य सुझाव दिये हैं, हमें, मैं समझता हूं कि उससे विभाग को काफी लाभ मिलेगा। कटौती का प्रस्ताव रखने वाले माननीय सदस्य ने विशेष रूप से ऋण राहत योजना को कोसा है—सावन के अन्धे को हरियाली ही सुझाई देती है। यह कहेंगे कि कथनी और करनी में भेद नहीं रहे, लेकिन यह वही कर रहे हैं। ऋण माफी की जो हमने योजना लागू कर रहे हैं, तो वह हमको कोस रहे हैं। मान्यवर, अभी कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य ने जो कहा, वह नये सदस्य हैं, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जिस दल की संस्कृति में हैं उसका दोष है। भले ही उन्होंने अच्छे सुझाव दिये लेकिन ऋण राहत योजना के उनका कोसना कहां तक सही है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ऋण राहत योजना की घोषणा की है . . .

श्री इन्द्रेश विक्रम—

आप जिस नई संस्कृति का सृजन कर रहे हैं, वह है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। तो मैंने अपने विचार रखे, कुछ बिन्दुओं पर अपने सुझाव दिये, व्यवहारिक कानून रखे और नियमों की कठिनाई रखी। इसके अलावा मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मैं समझता था कि यह कोई अच्छा सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने पुनरावृत्ति ही की। यह सरकार मुख्य रूप से किसानों की मदद से बनी है और किसानों की सरकार है और जो उनसे वायदे किये गये हैं, किसी के विरोध करने की वजह से मैं उन्हें भला नहीं सकता हूं। जो वायदे किये गये हैं वह पूरे किये जायेंगे। हमने 10 हजार तक के ऋण माफ करने के लिये कहा था और अब उसमें परिवर्तन

किये गये हैं– 10 हजार तक के सभी किसानों को ऋण में सहूलियत दी जायगी । वह सदस्य जो कह रहे थे कि इससे बड़ा घाटा होगा, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इससे सहकारिता विभाग पर कोई असर नहीं पड़ेगा । यह शासन उसकी प्रतिपूर्ति करेगा । ऋण को लेकर आपने यह भी कहा कि नाबार्ड ने ऋण देना बन्द कर दिया है ।

श्री पंचानन राय—

मैं आपसे एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं, जैसे किसी ने 70 हजार का कर्ज लेकर ट्रैक्टर भूमि विकास बैंक से खरीद रखा है, तो क्या उसमें भी 10 हजार की माफी हो जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

हो जायगी, और आपकी भी हो जायगी । राय साहब बहुत विद्वान सदस्य हैं, मैंने कहा है 10 हजार से ऊपर ऋण लेने वालों को भी 10 हजार की राहत मिलेगी । जो इस सम्बन्ध में हमने घोषणा की थी, उससे भी आगे चल रहे हैं । इसलिये कि पिछली सरकार ने किसानों का इतना शोषण किया, उनकी जो कीमत थी, जो फसलों की कीमत थी और जो उनकी लागत थी, उसके बराबर भी उनको नहीं दिया । हर साल गेंहूं की कीमत आप कितनी बढ़ाते थे ? 5,2,3, रूपया, लेकिन हमने उसे 185 से 215 सीधे कर दिया है । एक साल में 30 रुपया बढ़ाया है आपने कभी । यह फर्क है किसान और किसान विरोधी सरकार में । हमने 10 हजार तक के ऋण माफ करने को कहा था, लेकिन हमने माफ कर दिया 10 हजार से ऊपर जो ऋण हैं । इससे सहकारी संस्थाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा । हम नये ऋण लेकर उसकी प्रतिपूर्ति करेंगे । जो आपने एक आपत्ति उठाई थी यूरिया के बारे में, उस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि यह कहना गलत है कि समिति के गोदामों में यूरिया नहीं थी । 31 मई, 1990 को समिति गोदामों में 74 हजार टन यूरिया थी, जो किसानों के द्वारा आज भी उठाई जा रही है । दिल्ली की गुलाम सरकार यहां होती तो अब तक उसमें बढ़ोत्तरी हो गई होती । लेकिन यह किसानों की सरकार है, किसानों को नुकसान पंहुचाने वाला कोई काम इसका नहीं होगा । उसके नुकसान से लड़ने वाली यह सरकार है । यह जो कुछ कम्पनियां थीं वह दाम बढ़ाना चाहती थीं लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के संघर्ष के बाद वह दाम नहीं बढ़े और उत्तर प्रदेश में उसी दाम पर यूरिया मिलेगी जो दाम पिछले साल थे । दुर्भाग्य से यदि आप आ गये होते तो यूरिया के दाम बढ़ गये होते इसके लिये हमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी सहयोग चाहिये ।

डा0 दिनेश जौहरी—

आज तो मंत्री जी मुस्करा कर जवाब दे रहे हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जब आप मुस्करा कर प्रश्न पूछेंगे तो मुस्करा कर जवाब देंगे और जब अकड़ कर प्रश्न पूछेंगे तो अकड़ कर जवाब देंगे । तो यदि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो इनके सारे पाप नहीं धुलेंगे और यह हमेशा के लिये इन कुरसियों को छोड़ देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी नोक-झोंक छोड़िये । आगे बोलें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मंत्री (मुख्य मंत्री) जी ने पहले 10 हजार के ऋण माफ करने की घोषणा की और कहा कि 136 लाख किसान इससे प्रभावित होंगे । इन्होंने कहा कि दस हजार की ऋण राहत से 25 लाख किसानों को राहत मिलेगी । माननीय सदस्य शायद पढ़कर नहीं आये हैं, इससे 36 लाख किसानों को राहत मिलेगी । 36 लाख किसानों को उत्तर प्रदेश में पहली

बार इतनी बड़ी धनराशि की राहत दी जा रही है । इसके पहले आप कहां चले गये थे । आपने क्यों नहीं राहत दे दी । आप खाद की कम्पनियों को राहत देते थे, आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों को, बड़े, बड़े व्यापारियों को राहत देते थे लेकिन किसानों को देते आपको तकलीफ होती थी और यह इसलिये होती थी कि इस प्रदेश में गांव 70 से 80 प्रतिशत हैं । हमारी सरकार किसानों की सरकार है और आपकी सरकार किसानों के विरोधियों की सरकार थी । और फिर आप कहते हैं कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है । आपको कितना विरोध करना है उतना विरोध कर लीजिये लेकिन हमें तो जो किसानों के लिये करना है, वह करेंगे ही । किसानों के लिये कांग्रेस की संस्कृति और हमारी संस्कृति में फर्क है ।

एक अच्छी योजना हमने और चलाई है । वह शायद आपने किताब में नहीं पढ़ी है । ऋण राहत योजना के साथ-साथ एक नयी योजना यह है कि किसानों को कभी भी मकान बनाने के लिये ऋण नहीं मिलता था । हमारी नयी योजना है कि ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा किसानों को मकान बनाने के लिये ऋण मिलेगा । अभी इस योजना के लिये कम धनराशि का प्राविधान किया गया है । अभी इसके लिय 8 लाख रुपये का प्राविधान है । आप भी इसके बारे में सोच लेते । आप चाहते थे कि किसान टूटे छप्पर में रहें लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे शहरों में ऋण लेकर मकान बनाये जा सकते हैं उसी तरह किसानों को भी ऋण मिलेगा जिससे वह मकान बनवाकर उसमें रह सकें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

ब्याज की दर क्या होगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जो किसानों की सहूलियत होगी, उसी हिसाब से होगी । हम किसानों की क्रय शक्ति बढ़ा रहे हैं किसानों की आमदनी बढ़ा रहे हैं हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगी । किसान आपके पास शिकायत करने नहीं आयेगा ।

(इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

यह योजना तो पिछली सरकार ने लागू कर दी थी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

आप एक उदाहरण बता दें जहां किसानों ने ऋण लेकर घर बनवाया हो । इस तरह से जो भी आपत्तियां इन लोगों ने उठाई हैं वह इस शंका से आपत्तियां उठाई हैं कि जनता में भ्रम फैलायें । अब खुली सरकार आई है हम तो कहते हैं वह करते हैं । दस हजार की ऋण माफी की घोषणा की इससे 36 लाख लोगों को राहत मिलेगी । आपको समर्थन करना चाहिये था ऐसी राहत किसी सरकार ने नहीं दी, लेकिन आप विरोध पक्ष में हैं, आपको विरोध करना आता है इसलिये आप विरोध कर रहे हैं । मैं इनके विवेक को जागृत करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव है जिसको उन्होंने रखा है आपको वापस ले लें अगर इस पर बल देंगे तो किसान इनको माफ नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री इन्द्रेश विक्रम—

जी नहीं ।

(व्यवधान) . . .

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-18, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,99,77,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांग पर मतदान, अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग ।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष आबकारी व अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिय लेखा-अनुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष म अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,81,87,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-41-निर्वाचन विभाग ।

संसदीय कार्य आबकारी एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)--

मैं आपकी आज्ञा से और राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,99,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,99,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किये जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "इस सदन का निश्चित मत है कि आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय"।

मान्यवर, आजमगढ़ जिले की स्थापना 1662 में हुयी और वह पूर्वांचल का एक बहुत पुराना और पिछड़ा हुआ जनपद है। इसके संगठित विकास के लिये अब तक कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप यह जनपद विकास की दौड़ में पीछे छूट गया है और अनेक लाभकारी योजनाओं से वंचित रह गया है। पूर्वान्चल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये और वहां-वहां विकास के लिये वर्तमान सरकार ने बजट में विशेष प्रयास करने की बात कही है। मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत करते हुए घोषित किया है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। गोरखपुर के बाद आजमगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जनपद है। गोरखपुर में वहां के विकास के लिये विकास प्राधिकरण स्थापित है। लेकिन आजमगढ़ आज भी पिछड़ा है। इसलिये मुख्य मंत्री जी ने जो 20 करोड़ रुपये की घोषणा की है तो आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिये वहां पर एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये और इस 20 करोड़ में से उतनी धनराशि उपलब्ध करायी जानी चाहिए जिससे आजमगढ़ नगर का त्वरित विकास हो सके। मान्यवर, आजमगढ़ पुरानी परंपराओं की ऐतिहासिक धरती है। यहां पर अनेक ऋषिमुनियों के आश्रम थे। पुराना प्रसिद्ध देवल ऋषि का आश्रम यहीं था। इसके अलावा निजामाबाद में महर्षि दत्तात्रेय का आश्रम था तथा फूलपुर में महर्षि दधीचि के आश्रम के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। इसके उत्तर में घाघरा तथा मध्य में तमसा नदी का प्रवाह होता है। इसके अलावा प्रजापति दक्ष का अवशेष महराजगंज के पार भैरव के स्थान पर है। इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण पुराने सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित स्थान आजमगढ़ में हैं। मान्यवर उर्दू के बारे में हमारी सरकार बड़े जोर से घोषणा करती है, हमारे मुख्य मंत्री जी खड़े-होते हैं और प्रदेश के अल्पसंख्यकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिये तरह तरह की बातें करते हैं। उर्दू, संस्कृत, फारसी के अनेक विद्वान आजमगढ़ में हुए हैं। अल्लामां सिबली नोमानी, जामी/ चिरैया कोटी, कैफी आजमी हमारे आजमगढ़ की देन हैं।

श्री अध्यक्ष—

पंचानन राय जी, मंत्री जी को सुन लें।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)—

मान्यवर, माननीय राय साहब ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण गठित करने की बात कही। राय साहब ने निजामाबाद, फूलपुर, महराजगंज की बात उन्होंने की। मान्यवर, यह जो विकास प्राधिकरण है यह शहरों के विकास के लिये गठित किये जाते हैं। अगर आजमगढ़ के विकास के लिये आजमगढ़ विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया जाता है तो उससे निजामाबाद, फूलपुर, या महराजगंज कैसे लाभान्वित होगा यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आजमगढ की प्राचीन महत्ता के बारे में बता रहा था। यह मैं जानता हूं कि विकास प्राधिकरण नगर में ही बनते हैं और नगर का विकास करते हैं, इसमें

मुझको भ्रम नहीं है। मैं मंत्री जी को पूरा सुझाव नहीं दे पाया था क्योंकि आपने मुझे रोक दिया और मैं बैठ गया और मैं मंत्री जी का ज्ञानवर्धन नहीं कर सका कि आजमगढ़ नगर इन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों का जिला मुख्यालय है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर जैसा कि आपने खुद ही कहा नगर में विकास प्राधिकरण बनेगा। लेकिन श्रीमन कुछ उसमें मानक हैं, उसमें आवश्यकताएं होती हैं उनको देखने के बाद विकास प्राधिकरण गठित किया जाता है। माननीय राय साहब ने अपने पत्र में भी लिखा है जो पत्रावली में उपलब्ध है उससे यह मालूम भी होता है कि जिलाधिकारी आजमगढ़ इस पर पत्र लिखे हैं शासन को उस पत्र का यहां पर अभी परीक्षण किया जा रहा है साथ ही जो मुख्य नगर और टाउन प्लानर हैं, उनसे भी इसमें राय मांगी जाती है। जो पत्र आया है जिलाधिकारी, आजमगढ़ का उनसे राय मांगी गयी चीफ टाउन प्लानर से, उनका भी उत्तर शासन को प्राप्त हो गया है और उन्होंने अपने उत्तर में यह लिखा है कि जो इसके कुछ मानक हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके बारे में जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने कुछ भी अपने पत्र में नहीं दर्शाया है, इसलिये जो शासन द्वारा मानक निर्धारित हैं पहले उनकी जांच कर ली जाय। जिलाधिकारी आजमगढ़ से उसके बारे में पूछताछ कर ली जाय, तभी यह राय दे-पाना सम्भव हो पायेगा कि आजमगढ़ विकास प्राधिकरण वहां स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं।

श्रीमन यह भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि आजमगढ़ में विनियमित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत आजमगढ़ म्युनिसिपलिटीज और 62 ग्राम उसके आसपास विनियमित क्षेत्र में लिये जा चुके हैं इससे विनियमित क्षेत्र घोषित करने से वहां पर जो विकास प्राधिकरण बनाने का जो मुख्य मुद्दा रहता है वह लगभग विनियमित क्षेत्र में वह सारे मुद्दा समाहित हो जाते हैं, सिर्फ इतना फर्क होता है कि विकास प्राधिकरण स्वयं भी कर्ज लेकर काम कर सकता है जब कि विनियमित क्षेत्र कर्जा नहीं ले सकता है। विकास प्राधिकरण गठित होने पर जो खर्च आता है वह इतना अधिक हो जाता है तो यह भी देखना आवश्यक है कि उससे पूरा खर्च निपटाया जा सकता है कि नहीं विनियमित क्षेत्र घोषित कर देने के बाद हाउसिंग बोर्ड है आपकी यह वहां पर काम करने लगती है, प्राइवेट कोलीनाइजर्स हैं ये काम करने लगते हैं या सहकारी आवास समितियां हैं ये भी अपना काम करने लगती हैं। श्रीमन हाउसिंग बोर्ड को कर्जा लेने का अधिकार है तो विकास प्राधिकरण कर्जा लेकर काम करे या जो विनियमित घोषित कर दिये हैं हाउसिंग बोर्ड अगर एप्वाइन्ट हो जाता है तो वह काम कर सकते हैं। अभी तो आजमगढ़ से आंकड़े भी प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद ही यहां पर जो परीक्षण किया जा रहा है, तब निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है कि वहां पर विकास प्राधिकरण बनाना संभव हो पायेगा अथवा नहीं।

श्री पंचानन राय—

वहां पर जो हाउसिंग बोर्ड था उसकी स्कीम समाप्त हो गयी। पहले तमाम जमीन एक्वायर की गयी थी लेकिन वह भी स्कीम समाप्त हो गयी। मंत्री जी कम से कम यह कह दिये होते, यह तो प्रस्ताव मैंने बहुत पहले दे रखा था, कि यह आंकड़े कब तक इकट्ठा करा लेंगे और वह सही पाये जायेंगे, तो वहां पर विकास प्राधिकरण स्थापित कर देंगे।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं बता चुका हूं पहले ही कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ को लिखा जा रहा है, उनसे सारी सूचनाएं प्राप्त हो जायेंगी तो विचार किया जायेगा, जो मानक है उसके

तहत ही इसको किया जायेगा। जहां तक हाउसिंग बोर्ड की बात है मैं बताये दे रहा हूं कि एक यूनिट वहां पर स्थापित करने के लिये आदेश दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप इस प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस सदन का निश्चित मत है कि आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज दिनांक 12 जुलाई, 1990 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं। श्री बाल चन्द्र मिश्र की पहाड़ी जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में गांव समाज की भूमि पर स्कूलों के नाम से भूमि के फर्जी तौर पर किये गये पट्टों को निरस्त करके शासनादेश के अनुसार भूमिहीनों में वितरित किये जाने के संबंध में, श्री देव कुमार यादव की बांदा नगर में प्रदूषित पेयजल आपूर्ति के कारण हैजा फैलने से कई लोगों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, लक्ष्मी कान्त बाजपेई की ग्राम कमालपुर, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद में 29/30 जून की रात में फौजी जियालाल की हत्या किये जाने के संबंध में, डा० दिनेश जौहरी श्री राम सेवक सिंह, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री शिव बहादुर सक्सेना की जनपद बरेली के गांव राजपुर भौटिया निवासी श्री पाल की पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में, श्री पंचानन राय की प्रदेश में भारी वर्षा के कारण पर्वतीय क्षेत्रों का सम्पर्क टूट जाने एवं कई लोगों की मृत्यु हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री हरिवंश सहाय की जिला बाराबंकी के ग्राम शानपुर राह के पंचायत घर, स्कूल एवं कोल्हू की जमीन पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत कब्जा किये जाने के संबंध में, श्री शिव करन सिंह की जे० सी० ओ० के सभी पदों पर अधिकारियों द्वारा कब्जा कर लेने के संबंध में, श्री हर नारायण की जनपद पीलीभीत पूरनपुर के कई गांवों में गत वर्ष आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को अनुदान व अन्य व्यवस्थाएं दिये जाने के संबंध में, श्री रविदास मेहरोत्रा की लखनऊ में जल निकासी एवं सफाई की कोई कारगर योजना न होने से शहर में व्याप्त गन्दगी के संबंध में, श्री राम लखन वर्मा की किसान कोल्ड स्टोरेज कुसरहटा, शाहगंज, जौनपुर में शीतगृह मालिकों के द्वारा किसानों का आलू बेच लिये जाने एवं अभी तक उसका भुगतान न करने के संबंध में, श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी की ग्राम बाकी जलालपुर, इलाहाबाद के बांके पासी की कथित हत्या के संबंध में अपर नाथ यादव की वाराणसी जिले के हाईस्कूल/इन्टर कालेजों में छात्रों/छात्राओं को प्रवेश न मिलने के संबंध में, श्री रघुवर दयाल वर्मा की फिरोजाबाद नगर में जल भराव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री राम कुमार शुक्ला की लखनऊ में जल भराव एवं सीवर लाइनों के चोक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह की बढ़ती हुई महंगाई के संबंध में, श्री श्याम नारायण तिवारी, श्री अमर मणि त्रिपाठी की प्रदेश में एक-एक खाद का दाम बढ़ जाने के संबंध में, श्री इम्तियाज मो०, मोहम्मद खां की जनपद बुलन्दशहर के सरकारी गोदामों में खाद की अनु-

पलब्धता से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, श्री अमरेश चन्द्र पान्डेय की जनपद मऊ के थाना मधुबन में शहीद स्मारक बनवाये जाने के संबंध में।

इसमें प्रथम सूचना श्री बाल चन्द्र मिश्र की वक्तव्य के लिये स्वीकार की है, श्री देव कुमार यादव की सूचना केवल वक्तव्य के लिये और श्री रविदास मेहरोत्रा एवं श्री राम कुमार शुक्ला की सूचना केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की है, शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

जनपद बस्ती के थाना मुण्डेरवा में दिनांक 26 जून, 1990 को पुलिस द्वारा पकड़े गये श्री अनिल कुमार सिंह की पुलिस लाक अप में हुई मृत्यु के संबंध में वक्तव्य

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

[ग्राम बोदवल, थाना मुण्डेरवा, जनपद बस्ती में दिनांक 21/22 जून, 1990 को रात्रि में घटित दो घटनाओं की सूचना थाना मुण्डेरवा में पंजीकृत हुई :

(1) बाबा तस्वीर शाह बारसी, निवासी बोदवल, थाना मुण्डेरवा ने दिनांक 22 जून, 1990 को प्रातः 5-25 बजे थाना मुण्डेरवा पर इस आशय की सूचना दी कि रात्रि में महेन्द्र सिंह व उसके साथ के अन्य 5 व्यक्तियों ने जान से मारने की नियत से उनकी कुटी पर फायर किया और उनके साथ मुनव्वर पर तलवार से चोट पहुंचाई। इस सूचना पर थाना मुण्डेरवा पर मु0 अ0 सं0 181/90 अन्तर्गत धारा 147/148/149/307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

(2) ग्राम बोदवल के ही भुलई यादव ने दिनांक 22 जून, 1990 को 6-50 बजे प्रातः थाना मुण्डेरवा में इस आशय की सूचना दी कि लाल साहब अहरा के बोदवल स्थित बंगले से से पिछली रात्रि में कुछ अज्ञात बदमाशों ने उसके मालिक की दो नाली लाइसेन्सी बन्दूक, कारतूस व कुछ अन्य सामान खिड़की तोड़कर चुरा लिये। इस सूचना पर थाना मुण्डेरवा में मु0 अ0 सं0 182/90 के अन्तर्गत धारा 457/380 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया।

2—अभियोग संख्या 181/90 की विवेचना के मध्य श्री तेज प्रताप सिंह, थानाध्यक्ष, मुण्डेरवा द्वारा दिनांक 22 जून, 1990 को नामित अभियुक्त महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पश्चात् इन अपराधों में अभियुक्त अनिल सिंह पुत्र श्री कैलाश सिंह, निवासी बोदवल का नाम प्रकाश में आया। थानाध्यक्ष ने अभियुक्त अनिल सिंह को दिनांक 26 जून, 1990 को पुलिस हिरासत में लिया गया।

3—प्राप्त सूचनानुसार एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार गिरफ्तारी के पश्चात् अभियुक्त अनिल सिंह को जीप में बैठाकर थाना लाते समय अभियुक्त अनिल सिंह ने कूद कर भागने का प्रयास किया और सड़क के किनारे पड़ी गिट्टियों पर फिसल कर गिर गया जिससे उसके दोनों पैरों में चोटें आयीं इसके तुरन्त बाद उसे पकड़ लिया गया एवं थाने पर ले जाया गया। थाने

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

में पहुंच कर अभियुक्त अनिल सिंह को उल्टी-दस्त होने लगी । अतः उसका इलाज स्थानीय चिकित्सक श्री राम बाबू ओझा एवं डा0 आर0 के0 त्रिपाठी से कराया गया । अभियुक्त की हालत में सुधार न होने के कारण जिला चिकित्सालय, बस्ती में रात्रि 19-50 बजे उपचार हेतु दाखिल कराया गया जहां 20-00 बजे उसकी मृत्यु हो गयी ।

4—पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के कारण दिनांक 26 जून, 1990 की रात्रि में ही पुलिस अधीक्षक, बस्ती द्वारा थानाध्यक्ष, मुण्डेरवा श्री तेज प्रताप सिंह एवं आरक्षीगण कां0 955 ना0 पु0 शिव सागर, कां0 747 ना0 पु0 वीरेन्द्र तिवारी को निलम्बित कर दिया गया । साथ ही जिला-धिकारी द्वारा मामले की मेजिस्टीरियल जांच के आदेश भी दिनांक 22 जून, 1990 को निर्गत कर दिये गये ।

5—दिनांक 27 जून, 1990 को मृतक अभियुक्त अनिल सिंह के पिता श्री कैलाश पति सिंह द्वारा थानाध्यक्ष, मुण्डेरवा श्री तेज प्रताप सिंह आदि अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मृतक अनिल सिंह व महेन्द्र सिंह को अवैधानिक हिरासत में रखने तथा मारपीट कर अनिल की हत्या करने का आरोप लगाते हुये लिखित सूचना दी । इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक, बस्ती के आदेश पर मु0 अ0 सं0 185/90 अन्तर्गत धारा 304/330/331/348/504/506 भा0 दं0 वि0 पंजी-कृत किया गया ।

अभियोग संख्या 185/90 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुये थाने के उप निरीक्षक श्री राम मूर्ति सिंह व हेड मुहर्रिर श्री शिव नारायण सिंह को निलम्बित कर दिया गया । उजर्युक्त तीनों मुकदमों को अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को विवेचना हेतु अभिदिष्ट किया जा चुका है । प्रशासन की उक्त कार्यवाही, से स्थानीय जनता संतुष्ट है । सम्प्रति घटना स्थल पल किसी प्रकार का तनाव नहीं है ।]

*श्री राज मणि पाण्डेय—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस अनिल कुमार सिंह की हत्या मुण्डेरवा थाने में पुलिस ने की है 26 तारीख को, क्या उसका कोई आपराधिक इतिहास था या उसके साथ जो महेन्द्र सिंह पकड़ा गया है उसका कोई आपराधिक इतिहास रहा है या नहीं, यह बता दें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, अनिल कुमार सिंह और महेन्द्र प्रताप सिंह दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, सरकार ने इस पर त्वरित कार्यवाही की है इसलिये मैं धन्यवाद देता हूं जिस काम के लिये हम लोग वहां पर बैठे-बैठे जान लड़ा देते थे और नहीं होता था । इसमें मुकदमा लिखा गया, कार्रवाई हुई, सी0 आई0 डी0 को दिया गया । जो माननीय मंत्री जी यह रपट आयी है कि कूद कर गिर गया, होता यह है कि आप मुण्डेरवा का रिकार्ड मंगा कर देख लें, पुलिस ने वहां कई लोगों को मारा है और हर बार जीप को पकड़ लिया । मैं कहना चाहता हूं कि जब थाने में गिरफ्तारी की गयी तो जी0 डी0 में कौन सी चोट लिखी थी और पोस्टमार्टम में कौन सी चोट थी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, पोस्टमार्टम में 10 चोटें हैं । मृत्यु का कारण चोट बताया गया है । यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सही है कि जीप से मरने वाली बात विश्वास लायक नहीं है। जीप से उतर कर भागने का कारण बताया गया है लेकिन यह तो पुराना तरीका है और इस तरीके को बढ़ावा नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी कुछ पूछेंगे, आपको कुछ व्यक्तिगत जानकारी है ?

*श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, वक्तव्य के आधार पर दो बातें पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, 22 तारीख को महेन्द्र की गिरफ्तारी दिखाई गयी और 26 तारीख को दिखाते हैं कि अनिल कुमार सिंह को पकड़ा गया, जब कि पत्रावली से स्पष्ट है कि दोनों आदमी एक ही दिन गिरफ्तार हुये थे और 26 तारीख तक हवालात में रखने के बाद 26 को दाखिल किया गया। गिरफ्तारी 22 को हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने अन्तराल तक थाने पर रखा, पीटा गया, मृत्यु हुई, क्या इसके कारण दरोगा के निलम्बन की कार्यवाही की जायगी ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, दोनों गिरफ्तारी 26 को हुई, 22 को नहीं, 26 को गिरफ्तारी दिखाई है। उस एस0 ओ0 ने दरोगा को निलम्बित कर दिया है, दो सिपाहियों को भी निलम्बित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष—

बस हो गया। चर्चा नहीं हो रही है। केवल स्पष्टीकरण होना है।

श्री राजमणि पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जिस तरह से निर्मम ढंग से मारा है, क्या उसके परिवार को अनुदान या आर्थिक सहायता देने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य में केवल 2-3 प्रश्न होते हैं चर्चा नहीं होती है व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं।

मान्यवर, 22 तारीख को गिरफ्तारी की है। माननीय मंत्री जी इस सदन में तमाम लोगों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हैं। चूंकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, उसके परिवार को कुछ देंगे ?

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर नहीं दिया गया)

स्याना नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (बुलन्दशहर) का निर्माण नागरिकों द्वारा दान की हुई निःशुल्क भूमि पर न कराकर पुराने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य।

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय।

एक सदस्य—

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाय ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

[नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में माननीय सदस्य ने यह अवगत कराया है कि लगभग 150 गांवों को लाभान्वित करने हेतु जनपद बुलन्दशहर के स्याना नगर में एक 30 शैय्या-युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु 50 लाख रु0 की स्वीकृति शासन द्वारा दी गयी थी जिसके लिये स्थानीय नागरिकों ने 15 बीघे भूमि भी स्वास्थ्य विभाग को निःशुल्क दान में दिया है । स्वास्थ्य विभाग का उपरोक्त भूमि पर दो वर्ष से कब्जा है । हरिजन एवं निर्बल वर्ग द्वावाध निगम लखनऊ ने उस पर निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसमें अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है । दूसरी ओर जिलाधिकारी, बुलन्दशहर ने शासकीय आदेशों के विपरीत वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के आदेश दिये हैं । नागरिकों द्वारा निःशुल्क दी गयी भूमि पर समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हो सकती हैं । अतः स्याना नगर में ही नागरिकों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के निर्देश दिये जायं ।

2—इस सम्बन्ध में सूच्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्याना, जनपद बुलन्दशहर के भवन निर्माण के निमित्त शासनादेश सं0 5130/5-7-89-437/87, दिनांक 21 फरवरी, 1989 द्वारा रुपया 44.63 लाख वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व जनपदीय अधिकारियों का होता है एवं उपयुक्त भूमि का चयन जनपद स्तर पर गठित चयन समिति, जिसमें राजस्व विभाग एवं अभियंत्रण विभाग के अधिकारी भी सदस्य होते हैं, द्वारा ही किया जाता है । यह बात सही है कि स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रश्नगत निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी गयी है । जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर तथा अधिशासी अभियन्ता, अवर अभियन्ता, हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम द्वारा वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में उपलब्ध भूमि तथा नागरिकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि का संयुक्त निरीक्षण किया गया । निरीक्षणोपरान्त निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि निम्नलिखित वित्तीय एवं तकनीकी कारणों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं पायी गयी ।

(क) प्रस्तावित भू-खण्ड स्याना-बुगरासी रोड पर लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है । मुख्य मार्ग से प्रस्तावित निर्माण स्थल तक पहुंच मार्ग अत्यन्त संकरा एवं उसके दोनों ओर मकान बने हुये हैं परिणामस्वरूप निर्माण सामग्री ले जाने में अत्यन्त कठिनाई होगी । चिकित्सालय निर्मित होने के पश्चात् मार्ग के दोनों ओर का क्षेत्र और संकुलित हो जाने के कारण गम्भीर रोगियों को चिकित्सालय पहुंचाने में भी कठिनाई होगी तथा दुर्घटना की सम्भावना रहेगी ।

(ख) स्थानीय नागरिकों द्वारा उपलब्ध करायी भूमि का धरातल मुख्य मार्ग से लगभग 1.50 मी0 से 2.50 मीटर तक नीचे होने के कारण मिट्टी भराई का कार्य काफी अधिक होगा एवं भवनों के कुर्सी स्तर को भी काफी ऊंचा करना होगा ; पराव की भूमि होने के कारण भवनों की बुनियादें, तकनीकी दृष्टि से विशेष प्रकार की देनी होगी । फलस्वरूप अत्यधिक धनराशि व्यय होगी ।

(ग) प्रस्तावित भूमि के आस-पास कोई नाला न होने के कारण वर्षा ऋतु में पानी का भराव होगा । एक नाला अवश्य है किन्तु वह लगभग 250 मीटर की दूरी पर है । नाले

नोट—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

एवं प्रस्तावित भूखण्ड के मध्य दूसरे काश्तकारों के खेत पड़ते हैं जिसके कारण पानी की निकासी के लिये भूमि की आवश्यकता के साथ-साथ एक पक्का नाला बनाना होगा जिसके निर्माण में काफी बड़ी धनराशि अतिरिक्त व्यय होगी ।

3--सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण जिला योजना का अंग है । जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित स्थानों पर ही निर्माण कार्य कराया जाता है या स्थल का चयन समिति द्वारा किया जाता है । चूंकि वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में निर्माण कराने का अनुमोदन चयन समिति द्वारा दिनांक 9 मई, 1990 को दोनों स्थलों का निरीक्षण करने के उपरान्त किया गया है । तद्नुसार वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ही निर्माण कार्य कराये जाने हेतु "साइट प्लान" तैयार करके एवं हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के वास्तुविद् द्वारा "ले आउट" प्लान तैयार करके दिनांक 19 मई, 1990 को महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश से अनुमोदन लिया गया है ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि दोनों स्थलों में से वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण चयन समिति द्वारा लिया गया है न कि किसी एक व्यक्ति द्वारा । उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में न तो कोई कब्रिस्तान है और न ही किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि है । नागरिकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पूर्व से ही जनता स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त कर रही है अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में कराने से चिकित्सा उपचार प्राप्त करने वाली जन संख्या में किसी भी प्रकार की कमी की सम्भावना नहीं है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत प्रकरण में न तो किसी अधिकारी द्वारा किसी से कोई सांठ-गांठ की गयी और न ही किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर उपरोक्तानुसार निर्माण कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।]

श्री अध्यक्ष--

इसमें प्रश्न नहीं होंगे, केवल वक्तव्य है ।

(मद संख्या--13 पुकारे जाने पर)

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, यह वक्तव्य है, इसमें देखें कि जिस भूमि का हवाला आज संशोधित होकर आया है, यह दो साल पहले अधिग्रहण कर ली गयी थी । तब नाला इन्हें स्वीकार नहीं था । इस पर आप पुनर्विचार कर लें । फिर से दिखवा लें । आपने मूल रिपोर्ट देखी नहीं है । इसका परीक्षण करा लें और जन-भावनाओं को देखते हुये जो प्रस्तावित था, वहीं बनाने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष--

यह केवल वक्तव्य था । माननीय उपनेता जी जानना चाहते थे इसलिये अनुमति दे दी । उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

(समय 5 बजकर 30 मिनट पर)

(व्यवधान)

*श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

उसमें हम अवसर नहीं देंगे । अब हम. . . .

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, मैं खड़ा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

क्षमा चाहता हूं, आप कहते भी नहीं हैं कि मैं खड़ा हुआ हूं । मैं तो बुला रहा था ।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, यह करोड़ों रु0 घोटाले का मामला है ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी उत्तर देने के लिये खड़े हुए थे, जो वहां की जन भावना है, अधिगृहीत तो पहले हुई थी ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन करूंगा कि आप यह देखें कि इसमें वक्तव्य स्वीकार होता है, केवल वक्तव्य इसलिये ले लेता हूं कि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक इस बात का अवसर मिल जाय और उनकी मांग पर शासन का वक्तव्य आ जाय । केवल वक्तव्य इसे स्वीकार किया है । अब एक के बाद अधिकतर आने लगे तो दो स्वीकार करना प्रारम्भ कर दिया है । अब अगर केवल वक्तव्य में भी स्पष्टीकरण होने लगेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी । आप तो इतनी बड़ी पार्टी के उप नेता हैं मैं आपका सम्मान करता हूं । आपकी बात कार्यवाही में आ गयी है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पर ध्यान देंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मैं आपसे इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि यह जो रिपोर्ट है उसका पुनरीक्षण करा लें, इसे पुनः दिखवा लें जो वक्तव्य आया है, वह ठीक नहीं है । पहले भी मांग थी कि जो पहले अधिगृहीत थी, मान्यवर, सुन तो लें अगर वक्तव्य में बात नहीं आ पायेगी तो उसका सारांश क्या निकला । माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहते हैं अगर आपकी आज्ञा हो जायेगी तो वह कह लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । आपकी बात को तो सम्मान देना पड़ेगा । लेकिन इससे कठिनाई यह होगी कि कल से वक्तव्य ही स्वीकार होगा, केवल वक्तव्य वाली परम्परा समाप्त हो जायेगी, मेरा और कोई तात्पर्य नहीं है । आपकी बात का सम्मान है आपका पूरा सम्मान है, आपके प्रति मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है केवल वक्तव्य के लिये जो निर्धारित हो उस पर यदि स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तो केवल वक्तव्य वाली बात समाप्त हो जायगी । माननीय उप नेता जी की बात कार्यवाही में आ गयी है, मंत्री जी उसे देख लेंगे ।

श्री अरुण कुमार सिंह मुन्ना—

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर देना चाह रहे हैं, आपकी अनुमति हो जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं माननीय उप नेता, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सचिव को यह बता दिया गया है कि वे स्वयं जाकर इस मामले को देख लें और जो उचित हो सकता है, करें ।

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की आडिट रिपोर्ट में दर्शाये गये करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में करोड़ों रु0 का घोटाला है, इस सम्बन्ध में प्रश्न किया था, जिस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का जो उत्तर था वह अपूर्ण था । इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

स्थानीय लेखा निधि परीक्षण विभाग की आडिट रिपोर्ट 22 जून, 1989 की है । जो स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव को दी गयी है । इसमें दर्शाये गये, आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के जनधन को करीब चार करोड़ की क्षति हुई है । संस्थान से सम्बन्धित उच्चाधिकारियों ने इतने बड़े घोटाले को क्यों दबाये रखा । कर्मचारी संघ ने अन्य माध्यमों से घोटाले का संज्ञान होने पर भी कार्यवाही क्यों नहीं की निष्पक्ष जांच कराकर जन धन के दुरुपयोग की वसूली क्यों नहीं निश्चित की गयी । फेरा में डा0 सेठी के भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद की शासन भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में अपने उत्तर-दायित्व को सत्यनिष्ठा से क्यों नहीं निभा रहा है । क्या शासन चार करोड़ की हानि को महत्व नहीं देता। क्या इस घोटालों में निर्माण निगम के उच्चाधिकारी व शासन के संस्थान से सम्बन्धित नौकरी-शाहों का हाथ नहीं है । इन तमाम बिन्दुओं पर यह कांग्रेसी शासन काल में यह इतना बड़ा घोटाला किया गया ।

जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार करीब 11 करोड़ रुपये का घपला किया गया है । मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर एक ही कार्य के लिये 221 लाख रुपये का भुगतान किया गया है, अभी अनुपालन आख्या मांगी जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार खुली सरकार है और कार्यवाही करने का वचन भी दिया है, मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस पर कार्यवाही अवश्य करेगी । स्वास्थ्य सचिव के बारे में जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत ईमानदार और व्यवहार कुशल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है । आयुर्विज्ञान संस्थान में जो 11 करोड़ का घपला किया गया है, वह कांग्रेस के शासन काल में किया गया है, जिस पर केन्द्रीय सरकार ने डा0 सेठी को गिरफ्तार करवा कर जेल भी भेजा, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हमारे प्रदेश की सरकार ने अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की । इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह सरकार इस पर तत्काल कार्यवाही कर तुरन्त इस मामले में सम्बन्धित जैसे राजकीय निर्माण निगम ने दुबारा पमेन्ट लिया है, आदि सभी दोषी लोगों को दण्डित करे और कड़ी कार्यवाही करें ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी—

मान्यवर, मामला बहुत महत्वपूर्ण है । संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निर्माण का प्रस्ताव जिस समय स्वास्थ्य मंत्री लोकपति त्रिपाठी लाये थे, उसमें उन्होंने कहा था कि यह एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल होगा, एक बड़ा शोध केन्द्र होगा और इस प्रदेश के लिये अहम गौरव की बात होगी, इसलिये इसकी स्थापना हो, उस समय पूरा सदन इससे सहमत था और एकमत से पूरे सदन ने इस प्रस्ताव को पास किया था । श्रीमन् दुख होता है, जब ऐसे नाजुक मामले में भी कुछ लोग गड़बड़ियां करके करोड़ों रुपयों का घपला करते हैं । एक तरफ इसकी स्थापना हुयी थी, जानमाल की रक्षा के लिये, ऐसे असाध्य रोगों का इलाज ढूंढ़ने के लिये, जिनका अभी इलाज नहीं है, रोगी लोगों को दवा उपलब्ध कराने के लिये और नई दवाओं को विकसित करने के लिये, लेकिन जब इसका निर्माण हो रहा था, उस समय करोड़ों रुपये के घपले की बात सामने आई । यह बहुत ही दुखद बात है, बहुत शर्म की बात है, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें न किसी का द्वेष है, न किसी को कोई दुश्मनी है । यह बात जरूर है कि यह एक जनहित का मामला है और यह संस्थान जनहित का है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसलिये इसमें जो लोग घपला किये हैं, उनसे 11 करोड़ रुपये वसूल करके पुनः निर्माण में, आपरेटस खरीदने में लगाया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा का सवाल जो उठाया गया है, मैं पुनः उस पर बल देता हूं ।

श्री राम कुमार शुक्ल--

मान्यवर, हम लोग दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान के बारे में सुना करते थे, जब यहां आयुर्विज्ञान संस्थान के बनने की बात आई, तो हमने सोचा कि यह संस्थान भी कुछ वैसा ही बनेगा, फिर चंडीगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान की बात सुनी, हमने सोचा कि उससे भी अच्छा बनेगा । लेकिन मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि जितने भी आयुर्विज्ञान संस्थान हैं, वहां का डायरेक्टर या तो कोई बड़ा सर्जन होता है, या कोई बड़ा अच्छा मेडिसिन का डाक्टर होता है, लेकिन यहां के संस्थान में एक साइकिसाट्रिक के हेड आफ दी डिपार्टमेंट को डायरेक्टर बना दिया गया । यह जो संस्थान है, यह कोई पागलखाना तो बनाया नहीं गया था, तो फिर इस संस्थान के डायरेक्टर के नाम पर पागलखाने के हेड आफ डिपार्टमेंट को क्यों बैठा दिया गया । क्या भविष्य में इस पर विचार किया भी जायेगा ?

मान्यवर, जहां अच्छे सर्जन होते हैं और जहां अच्छे डाक्टर होते हैं, उसके साथ ही उस अस्पताल का नाम भी होता है । अब तो इस संस्थान से लोगों का विश्वास ही हट गया है । अब तो मान्यवर, यह भी जांच का विषय बन गया है कि किन परिस्थितियों में डा0 सेठी को लाया गया, अरबों रुपये का जो घोटाला हो गया, उसका हिस्सा किन-किन लोगों में बंटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डा0 सेठी को इसीलिये यहां पर निदेशक बनाया गया कि वह अरबों रुपये का घोटाला करें, उस पैसे का बंटवारा करें और धन को विदेशों में जमा करें, इन सबका आज खुलासा होना चाहिये । आपके पास तो सोर्स आफ इन्फारमेशन हैं । ऐसे लोगों का पर्दाफाश तो हो जाय, ताकि आगे ऐसा फिर न हो ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय--

मान्यवर, मैं श्री राम गोविन्द चौधरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी जी का नाम लिया । आज यह प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां पर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ । जिस कल्पना से इस संस्था की स्थापना की गई थी, अगर उसमें कमी आती है और अनियमितता पाई जाती है तो इस वर्तमान सरकार का नैतिक दायित्व है कि उस पर अंकुश लगाये । उसकी जांच करे और जो दोषी व्यक्ति हैं, उन्हें दण्ड दे । मान्यवर, श्री शत्रुघ्न प्रकाश जी यहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी का काम कर रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि आज स्वास्थ्य विभाग से इस प्रदेश की जनता को बहुत निराशा हुई है । वह अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहें कि वह अपना आचरण ऐसा न करें । संस्थान की जो स्थापना हुई है, उसमें जो कमी है उसे ठीक करें ।

*श्री शारदा नन्द अंचल--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह 11 करोड़ के घपले का मामला है । निश्चित रूप से सामान की खरीददारी और निर्माण के कार्यों में इसमें घपला किया गया है, इसमें बहुत से लोग शामिल होंगे । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस घपले में डा0 सेठी के साथ जो अन्य लोग भी शामिल हैं, उन सारे लोगों को पकड़ा जाना चाहिये । सारे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि यह संस्थान अच्छा बनना चाहिये । जो इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ रही है, उस पर अंकुश लगाये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिये ।

*श्री रवीन्द्र शुक्ल--

मान्यवर, नई सरकार आई । हर बार व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया जा रहा है सबसे पहले सरकार ने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करने का वायदा किया, उसी के अनुरूप इस मामले में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

11 करोड़ का घपला पाया गया। इसमें जांच रिपोर्ट का आ चुकी है। डा0 सेठी को केन्द्रीय सरकार ने फेरा कानून के अन्दर गिरफ्तार किया, जबकि मामला डेढ़ करोड़ का था, यहां 11 करोड़ का मामला है। मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें यू0 पी0 निर्माण निगम के अधिकारी, पी0जी0 आई0 के वित्त अधिकारी तथा प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी, इस घपले में लिप्त हैं। यदि इसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाय तो इसकी जड़ें पुराने कांग्रेस शासन में पहुंच जायेंगी। यह मैं अपनी निश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। इसमें तत्कालीन मंत्री भी शामिल हो सकते हैं इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, इसलिये वृहद जांच होनी चाहिये और निश्चित रूप से कार्यवाही होनी चाहिये। इसमें पुरानी सरकार ने, जैसा मैंने कहा, भ्रष्टाचार की जड़ों को जमाने का काम किया है। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा वट वृक्ष लगा दिया है कांग्रेस की सरकार ने, जिसको उखाड़ना इस सरकार की जिम्मेदारी है नहीं तो सारा दोष नयी सरकार के ऊपर आ जायगा।

(व्यवधान)

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले में स्पष्ट घोषणा होनी चाहिये कि पुराने शासन के जिन लोगों का इस भ्रष्टाचार में हाथ था, उनके विरुद्ध कड़ी और दन्डात्मक कार्यवाही की जायगी।

श्री रवीन्द्र कुमार सिंह—

मुझे यह कहना है कि जो तथ्य छिपाये जा रहे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा तत्काल कार्यवाही करके पुरानी सरकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)—

जो संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है, यह काफी महत्वपूर्ण है। यह इसी उम्मीद से बनवाया गया था कि इसमें जो धनराशि लगी है उस धनराशि का सदुपयोग हो और जो गहन और गंभीर बीमार हैं, उनका इलाज हो सके। इसके बारे में कुछ ऐसी वित्तीय अनियमिततायें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में सदन में ध्यान आकर्षित कराया है। वर्ष 1983–84 से 85–86 तक के बीच के जितने मामले थे, माननीय रवीन्द्र कुमार जी ने अपने प्रश्न के माध्यम से यहां उपस्थित किये हैं। इसमें जो अब तक जानकारी मिली है वहां लेखा परीक्षण हुआ था और उसमें जो आडिट कराया गया था उसके बाद जो आपत्तियां आयीं उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम उसको दोहरा भुगतान 2,31,32,000 रु0 का किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को अधिक भुगतान किया है 57,66,000 रु0 का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम के जरिये जो सामान लिया गया वह मंहगा था और वह अनावश्यक ही नहीं बल्कि खराब भी था। इस मद में 19.4 लाख रु0 का भुगतान किया गया। इसी प्रकार राज्य विद्युत् परिषद् को 79.90 लाख रु0 का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार 3 करोड़ 88 लाख यानी करीब–करीब 4 करोड़ रु0 के लगभग जो वहां पर लेखा परीक्षण कराया गया, उसमें आपत्तियां दी गयीं हैं। 2 नवम्बर, 1989 को सरकार के पास इसकी जानकारी आ गयी और तब से लेकर आज तक कई स्मरण–पत्र उनको लिखे गये कि इस बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिये। यह बात साफ है कि हमको कार्यवाही करनी है। अब दिक्कत यह है कि जहां इस तरह के सवाल आते हैं, जहां पत्रावलियां खोलिये, वहीं महासमुद्र नजर आ रहा है। एक दो नहीं, जहां हाथ डालो वहीं पर करोड़ों रुपयों की बात नजर आती है, इसलिये देखना पड़ रहा है, लेकिन यह तो है कि कार्यवाही तो होगी, हम कार्यवाही करेंगे लेकिन कानून के मुताबिक

गैर कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे, न पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यवाही करेंगे। यद्यपि पहले ऐसा ही होता था कि किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी का इनकाउन्टर करवा दिया। इसके संबंध में शासन ने उनको 4-5 पत्र लिखे हैं और आखिर में 17 जनवरी 1990 को उनका एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि हमने कुछ कार्यवाही की है।

आखिरी पत्र उनको 5 जून, 1990 को लिखा गया था और उनको साफ तौर पर कहा दिया है कि आपका आडिट का जो विवरण आया है उसको आप अपने आडिटर से उसका उत्तर दिलवा दें या फिर अपने आडिटर से उस पैरा को ड्राप करवा दें अन्यथा हम कार्यवाही करने के लिये बाध्य होंगे। उनको कहा गया है कि जल्दी से जल्दी यानी कि दो तीन महीने में जल्दी से जल्दी, अतिशीघ्र अगर इसका उन्होंने समुचित प्राविधान न कर लिया तो यह आडिट आबजेक्शन बने रहेंगे और फिर सरकार कानून के मुताबिक कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो जायेगी। इसमें किसी की ढील नहीं दी जायगी, बल्कि कठोर कार्यवाही की जायेगी।

मैं पूरे सम्मानित सदन को बतलाना चाहूंगा कि इसमें हम कानूनी प्रक्रिया का इन्तजार कर रहे हैं क्योंकि इसमें कानूनी कार्यवाही की जायेगी। माननीय उपाध्याय जी आप बधाई दे रहे हैं कि यह हमारी देन है, मैं कहता हूं कि यह भी आपकी ही देन है हमारे यहां बनारस में एक कहावत है कि मीठा-मीठा गप्प और कड़ुआ-कड़ुआ थू। तो माननीय उपाध्याय जी, थोड़ा कड़ुआ खाना भी सीखिये, थोड़ा कड़ुआ भी ग्रहण कर लीजिये तभी आप सफल हो पायेंगे अन्यथा कांग्रेस पार्टी केवल चाटुकारों की पार्टी बन कर रह जायेगी। जो सत्य है उसे स्वीकार करना चाहिये। जो तथ्य हैं उनको भी स्वीकार करना चाहिये। यह जो भी है यह सारी घटना जो हुई है वह 1983-84 से लेकर 1985-86 के बीच की है।

हम विश्वास दिलाते हैं कि इस पर हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी प्रतीक्षा और कर लें।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11-00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

माल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

12 जुलाई, 1990।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 7 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 5 वें गुरुवार के लिये निर्धारित श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक :

1––जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष रात–दिन कार्यरत हैं ।

2––समस्त ज्वर रोगियों की रक्त पट्टिकाओं की जांच कर उपचारित किया गया ।

3––प्रभावित क्षेत्र में रोगियों की सघन खोज की गयी।

4––रोग की सूचना, प्राप्त होते ही त्वरित व प्रभावी चिकित्सा उपचार किया गया ।

5––पेयजल का प्रभावी/नियमित विसंक्रमण करवाकर शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की गयी ।

6––नियमित अनुश्रवण किया गया ।

7––प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया ।

8––प्रभावित क्षेत्रों में टीका करण सघन रूप से किया गया।

9––समुचित मात्रा में औषधियों, कीटनाशकों, विसंक्रमक एवं वैक्सीन आदि की आपूर्ति जनपदों को जा चुकी है तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समुचित मात्रा में उपलब्ध है ।

10––नियंत्रण एवं बचाव कार्यों का मूल्यांकन समय–समय पर मुख्य चिकित्साधिकारियों एवं महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया एवं कार्यस्थल पर ही दिशा निर्देश दिये गये ।

11––रोग प्रसार से प्रभावित ग्रामों में अस्थाई चिकित्सा राहत शिविरों की स्थापना की गई ।

12––समय-समय पर आवश्यकतानुसार महानिदेशालय से विशेषज्ञ दलों को प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण कर तकनीकी मार्ग निर्देशन हेतु भेजा गया ।

13––दोनों जनपदों के समस्त ग्रामीण अंचलों के चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी प्रकार के रोग प्रसार नियंत्रण हेतु सतर्क कर दिया गया है ।

14––रोग के लक्षणों, कारणों एवं बचाव के उपायों का प्रभावी क्षेत्र में व्यापक प्रसार व प्रचार किया गया तथा स्थानीय जन संचार माध्यमों द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा दी गई ।

पी0 एस0 यू0 पी0––23 वि0 स0–4–10–90–813 प्रतियां (मोनो)